# एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड

# विषयसूची


| क्र.सं. | विषय | पृष्ठ सं. |
|---|---|---|
| 1. | निदेशक मंडल | 1 |
| 2. | अध्यक्ष का संबोधन | 2 |
| 3. | निदेशकों की रिपोर्ट | 6 |
| 4. | प्रबंधन विचारविमर्श तथा विश्लेषण रिपोर्ट | 15 |
| 5. | भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां | 44 |
| 6. | स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट | 47 |
| 7. | 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र | 73 |
| 8. | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण | 74 |
| 9. | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण | 75 |
| 10. | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण | 76 |
| 11. | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां | 77 |

## दिनांक 30 नवंबर 2021 को निदेशक मंडल

श्री राजीव बंसल, अध्यक्ष
श्रीमती अमृता शरण
श्री विमलेन्द्र आनन्द पटवर्धन
श्री सत्येंद्र कुमार मिश्रा

### मुख्य कार्यपालक अधिकारी

रामबाबू सी.एच

### कंपनी सचिव

श्रीमती शशी भदूला

### लेखापरीक्षक

मैसर्स शाह गुप्ता एंड कंपनी,
सनदी लेखाकार, दिल्ली

### बैंकर्स

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
एक्सिस बैंक

### पंजीकृत कार्यालय

दूसरा तल, जीएसडी भवन,
एअर इंडिया परिसर, टर्मिनल–2,
आईजीआई हवाईअड्डा,
नई दिल्ली–110037

# अध्यक्ष का संबोधन

**प्रिय शेयरधारकों,**

मुझे आपके समक्ष कंपनी की वर्ष 2020–21 की 18वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (पूर्व में एयर इंडिया एयर ट्रांस्पोर्ट सर्विसेस लिमिटेड) भारत का एक अग्रणी ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदाता है और यह पेन भारत स्तर पर प्रचालन कर रही है।

कंपनी ने फरवरी, 2013 में प्रचालन आरंभ किया और वर्ष 2014–15 से अपना स्वायत्त प्रचालन आरंभ किया तथा कंपनी ने अपने स्टैंडएलोन प्रचालन से पहले वर्ष में शुद्ध लाभ अर्जित किया, केवल वित्तीय वर्ष 2020–21 को छोडकर। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, कोविड–19 महामारी के आगमन के कारण कंपनी का प्रचालन व्यापक रूप से प्रभावित हुआ, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को 2,230.85 मिलियन रुपये का घाटा हुआ है। अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय उड़ान प्रचालन पूरी तरह से निलंबित हो गया था। अनुसूचित घरेलू उड़ानों के प्रचालन को लगभग दो महीने के लिए पूरी तरह से निलंबित कर दिया गया है। बाद में, घरेलू उड़ानों को धीरे–ध ीरे पूर्व–कोविड अनुसूची के 45 प्रतिशत से पूर्व–कोविड शेड्यूल के 85 प्रतिशत तक प्रचालित करने की अनुमति दी गई है और ऐसा कोविड की दूसरी लहर में 50 प्रतिशत तक कम किए जाने से पूर्व किया गया था। हालांकि, कंपनी का व्यवसाय पुनः शुरू होने की उम्मीद है और कंपनी अपने व्यवसाय में भी धीरे–धीरे वृद्धि देख रही है। कंपनी को आने वाले वर्षों में अपने वित्तीय मानकों को पूर्णत परिवर्तित करने और परिचालन लाभ में वापस आने की भी उम्मीद है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने (ग्राउंड हैंडलिग सेवाएं) विनियम, 2018 जारी किया, जो दिनांक 30 अक्टूबर, 2018 को लागू हुआ और यह उम्मीद की गई थी कि इससे भारत के ग्राउंड हैंडलिंग सेक्टर के आकार और संरचना पर असर पड़ेगा, जो अप्रत्याशित रूप से परिवर्तित हो जाएगा और इसमें रातोंरात तीसरे पक्ष के संचालकों के लिए प्रतिस्पर्धी बाजार के आकार में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हो जाएगी। यह पहली बार है कि भारत के पास विमानन क्षेत्र के लिए एकल अभिलेख दृष्टिकोण है और यह एक स्वागत योग्य विकास है।

## कंपनी का निष्पादन

वर्ष 2020–21 के दौरान कंपनी का कुल राजस्व 2019–20 के 6961.56 मिलियन रूपए की तुलना में 3341.15 मिलियन रूपए था। कुल खर्च वर्ष 2019–20 के पुनर्घोषित 5780.29 मिलियन रूपए की तुलना में 5572.00 मिलियन रूपए था। दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए हुई हानि वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 1,181.27 मिलियन रुपये के कर पूर्व लाभ के पुनर्निर्धारित आंकड़े की तुलना में 2,230.85 मिलियन है। इस अवधि के दौरान हुआ शुद्ध घाटा 2,036.56 मिलियन रुपये था, जबकि 2019–20 के दौरान 504.83 मिलियन रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था।

एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ने वर्ष 2020–21 के दौरान 51,774 उड़ानों (एआई और सहायक कंपनियों) की व्यवस्था की है, जबकि 2019–20 के दौरान 1,33,668 उड़ानें थीं। इसी प्रकार, एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ने 2020–21 के दौरान अनुसूचित और गैर–अनुसूचित ग्राहकों की 26,579 उड़ानों की व्यवस्था की है, जबकि 2019–20 के दौरान 25,020 उड़ानें थीं। इसके अतिरिक्त, ग्राहक एयरलाइंस की अनुसूचित उड़ानें 2020–21 के दौरान 21,859 हैं, जबकि 2019–20 के दौरान 25,148 उड़ानें हैं। हालांकि गैर–अनुसूचित उड़ानें के अंतर्गत 2020–21 के दौरान 3,161 उड़ानों की व्यवस्था की गईं, जबकि 2019–20 के दौरान 1,431 उड़नों की व्यवस्था की गई। वर्ष 2020–2021 के दौरान हमारी ग्राहक एयरलाइंस की अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में उल्लेखनीय गिरावट आई है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 की पहली तिमाही में कोविड–19 का व्यापक असर रहा, जिसने समग्र आर्थिक विकास को प्रभावित किया। नुकसान और चुनौतीपूर्ण समय का सामना कर रहे वर्ष 2020 में कोविड–19 महामारी का भारतीय विमानन क्षेत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ा। काविड–19 की पहली लहर के बीच भी, एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, जो भारत में 82 हवाईअड्डों पर (दिनांक 31.03. 021 को) प्रचालनरत थी, ने अपने व्यवसाय का विस्तार किया है और निःस्वार्थ सेवा प्रदान करना जारी रखा है और नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार की लाइफलाइन उड़ान अभियान की सफलता में इसका बहुत बड़ा योगदान है।

एआई एयरपोर्ट सर्विसेज के लिए संकट की चुनौतियों का सामना करना कोई नई बात नहीं है। जब दिनांक 01 जनवरी 2021 से गैर–पत्र ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों द्वारा ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं को बंद करने की घोषणा की गई, तो एआई एयरपोर्ट सर्विसेज ने नागर विमानन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा संबोधित चुनौती का सामना करने के लिए 04 हवाईअड्डों अर्थात चेन्नई, कोलकाता, गोवा और पुणे पर अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दोनों वाहकों व्यवस्था के कार्य को स्वीकार किया था। 15 दिनों के रिकॉर्ड समय में, एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ने एक निर्बाध और सुचारू प्रचालन को संचालित करने तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ–साथ संसाधन भी जुटाए थे। एयर एशिया, एयर अरेबिया, ड्रुक एयर, एतिहाद, स्पाइसजेट, विस्तारा जैसी एयरलाइंस कुछ नाम हैं, जिन्हें सेवा प्रदान की गई।

इस वैश्विक महामारी की अवधि के दौरान, मानव त्रासदी के साथ–साथ संकट ने रोजगार को भी अप्रत्याशित रूप से हानि पहुंचाई है, जहां कई एयरलाइंस और ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों को अपने कर्मचारियों को रोजगार से बाहर करना पड़ा या व्यवसाय को बनाए रखने के लिए जनशक्ति को कम करना पड़ा।

वहीं, एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ने कर्मचारियों के वेतन को बनाए रखा और छंटनी पर रोक लगा दी। इससे भी अधिक एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ने गैर–पात्र ग्राउंड हैंडलर के कर्मचारियों को एक हद अपने संगठन में आमेलित कर लिया है, जिनकी नौकरी चली गईं थी।

इस परीक्षा के समय में कर्मचारियों द्वारा दिखाई गई प्रतिबद्धता और धैर्य अनुकरणीय है। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान निस्वार्थ रूप से योगदान देने वाले हमारे 3348 कर्मचारियों की सेवाओं को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए, उन्हें 3000 रूपए के मौद्रिक पुरस्कार के साथ–साथ प्रशंसा के प्रतीक के रूप में कोविड वारियर का एक प्रमाण पत्र जारी किया गया था।

एआई एयरपोर्ट सर्विसेज को भारत के माननीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधान मंत्री की वीवीआईपी उड़ानों की व्यवस्था का विशेषाधिकार प्राप्त होगा। भारत के सभी हवाईअड्डों पर इन वीवीआईपी उड़ानों को संभालने के लिए अगले 07 वर्षों के लिए भारतीय वायु सेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं।

एआई एयरपोर्ट सर्विसेज को वर्ष 2020–21 में बीएमएल मुंजाल अवार्ड्स द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की श्रेणी में उपविजेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसका नाम हीरो ग्रुप के अध्यक्ष और पद्म भूषण पुरस्कार विजेता – डॉ बृजमोहन लाल मुंजाल के नाम पर 'बिजनेस एक्सीलेंस थ्रू लर्निंग एंड डेवलपमेंट' के लिए रखा गया है।

## निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति का गठन किया है और यह सीएसआर नीति अधिक प्रभावपूर्ण संधारणीय कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में सकारात्मक योगदान के उद्देश्य से बनाई गई है। कंपनी की लाभप्रदता को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2020–21 के दौरान 23.66 मिलियन रूपए खर्च करने की आवश्यकता थी। यह निर्णय लिया गया है कि इस राशि का प्रधान मंत्री केयर्स निधि में अंशदान किया जाए। सीएसआर कार्यों पर एक विस्तृत रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट का भाग है और **अनुलग्नक–।।** पर संलग्न है।

## निगमित शासन

एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ने वर्ष के दौरान, जहां कहीं भी लागू हुओ, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों का अनुपालन किया था। वित्तीय और तकनीकी, दोनों दृष्टिकोणों से विभिन्न मापदंडों का मूल्यांकन कंपनी द्वारा किए गए समझौता ज्ञापन में निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में किया गया था। मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ–साथ कॉरपोरेट गवर्नेंस पर रिटर्न संबंधित अधिकारियों के पास दायर की गई थी।

## आभारोक्ति

मैं, इस अवसर पर एअर इंडिया लिमिटेड और नागर विमानन मंत्रालय को उनके अत्यधिक समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं, बैंकों और विनियामक एजेंसियों सहित अन्य सभी प्राधिकरणों द्वारा दिए गए समर्थन के लिए भी धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं और यह

आश्वस्त करता हूं कि हम एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड को उंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रगति की ओर लगातार अग्रसर रहेंगे। मैं बोर्ड के अपने सहयोगियों को उनके अमूल्य मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूं।

मैं, एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड के सभी कर्मचारियों को उत्कृष्टता हासिल करने में अपने दल की भावना की शक्ति और निरंतरता को दुनिया के सामने लाने हेतु किए गए प्रयासों के प्रति धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं, मैं अपने हर कर्मचारी को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड की छवि को हमेशा बनाए रखा है।

बोर्ड की ओर से हमेशा की तरह मैं सतत समर्थन की आशा करता हूं।

**ह/–**
**राजीव बंसल**
**अध्यक्ष**

**परिकल्पना :**

सभी भारतीय हवाईअड्डों पर विश्वस्तरीय ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदान करने में अग्रणीय रहते हुए इसे विश्वस्तर तक बढाना।

**मिशनः**

**ग्राहक**

- सुरक्षित, विश्वसनीय और समयानुकूल सेवा प्रदान करना।
- सभी भारतीय हवाईअड्डों पर उच्चतम स्तर की सेवा प्रदान करना।
- अत्याधुनिक रैम्प उपकरण उपलब्ध कराना।
- भारतीय परम्परागत आतिथ्य के शिखर पर पहुंचना।

**प्रकिया**

- सुरक्षा एवं सक्षमता के स्तर में निंरतर सुधार।
- रैम्प उपकरण का निंरतर आधुनिकीकरण एवं उन्नयन।

**कार्यदल**

- समुत्साहन, योग्य एंव लक्ष्यानिमुख कर्मिकों की टीम बनाए रखना ।
- कार्य निष्पादन का उच्च स्तर बनाए रखना ।

# निदेशकों की रिपोर्ट

दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखों, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित कंपनी की अठारहवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए निदेशकों को प्रसन्नता है।

## वित्तीय निष्पादन

**(लाख मिलियन में)**

| विवरण | 2020-21 | 2019-20 (पुनर्घोषित) |
|---|---|---|
| कुल राजस्व | 3341.15 | 6961.56 |
| कुल व्यय | 5572.00 | 5780.29 |
| **असाधारण मद और कर पूर्व लाभ (हानि)** | (2230.85) | 1181.27 |
| **कर पूर्व लाभ (हानि)** | (2230.85) | 1181.27 |
| चालू कर | शून्य | 393.60 |
| कर के लिए अल्प प्रावधान | शून्य | 27.16 |
| आस्थगित कर परिसंपत्ति | (194.29) | 310.00 |
| कर पूर्व निवल लाभ (हानि) | **(2036.56)** | **504.83** |

वर्ष 2020–21 के दौरान कंपनी का कुल राजस्व 2019–20 के 6961.56 मिलियन रूपए की तुलना में 3341.15 मिलियन रूपए था। कुल खर्च वर्ष 2019–20 के पुनर्घोषित 5780.29 मिलियन रूपए की तुलना में 5572.00 मिलियन रूपए था। दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए हुई हानि वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 1,181.27 मिलियन रुपये के कर पूर्व लाभ के पुनर्निर्धारित आंकड़े की तुलना में 2,230.85 मिलियन है। इस अवधि के दौरान हुआ शुद्ध घाटा 2,036.56 मिलियन रुपये था, जबकि 2019–20 के दौरान 504.83 मिलियन रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था।

## अन्य वित्तीय सूचनाएं

### <u>शेयर पूंजी</u>:

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी रु.1000,00,00,000/– (एक हजार करोड़ रुपए) है। कंपनी की संपूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी रु. 138,42,42,000/– (प्रत्येक रु. 10/– के 13,84,24,200 इक्विटी शेयर) का एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा अंशदान किया गया है।

### शेयर पूंजी में परिवर्तन, यदि कोई है

कंपनी की प्राधिकृत एवं प्रदत्त शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

### कर्मचारियों की संख्या

विभिन्न भारतीय स्टेशनों पर एअर इंडिया, एअर इंडिया एक्सप्रेस, एलायंस एअर एवं ग्राहक एअरलाइनों की उड़ानों की हैंडलिंग की आवश्यकता के आधार पर 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों में संविदा आधार पर रखे गए कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है:

| | |
|---|---|
| मुख्य कार्यपालक अधिकारी | 01 |
| कंपनी संचिव | 01 |
| मुख्य वित्त अधिकारी | 01 |
| उप टर्मिनल प्रबंधक/सहायक टर्मिनल प्रबंधक/ टर्मिनल प्रबंधक/ड्यूटी प्रबंधक/अस्थायी मुख्य सुरक्षा अधिकारी/ लेखा सहायक/विमान तकनीशियन/उप रैम प्रबंधक/कार्यपालक अधिकारी वाणिज्यिक/अधिकारी–एचआर/ अधिकारी लेखा/अधिकारी बी एंड डी/सहायक अधिकारी वाणिज्यिक/अधिकारी प्रशासन | 100 |

| | |
|---|---|
| प्रबंधक– लागत लेखांकन/वित्त | 22 |
| कनिष्ठ कार्यपाल तकनीकी | 4 |
| कनिष्ठ कार्यपालक–यात्री हैंडलिंग/कनिष्ठ कार्यपालक–ग्राहक सेवा/जेईएचआर | 95 |
| कस्टमर एजेंट | 152 |
| कनिष्ठ कस्टमर एजेंट | 2842 |
| वरिष्ठ कस्टमर एजेंट | 594 |
| आरएसए/आरएसए–आई/आरएसए(एलजी) | 111 |
| वरिष्ठ आरएसए/वरिष्ठ आरएसए–आई/पर्यवेक्षक आरएसए | 563 |
| सुरक्षा एजेंट | 106 |
| वरिष्ठ सुरक्षा एजेंट/पर्यवेक्षक सुरक्षा एजेंट | 1180 |
| अस्थायी एफएफपी स्टाफ/पर्यवेक्षक एफएफपी | 970 |
| उपयोगिता एजेंट | 12 |
| उपयोगिता एजेंट सह रैम्प ड्राइवर | 91 |
| हैंडीमैन/सफाई कामगार | 841 |
| यूटिलिटी सर्विस एजेंट | 5411 |
| (एमओयू के अनुसार समाहित) | 25 |
| **कुल** | **13122** |

### आरक्षण नीति का कियान्वयनः

वर्ष 1975 में जारी राष्ट्रपति के निदेशों एवं वर्ष 1991 एवं 1996 में जारी संशोधित निदेशों के अनुसार आरक्षण नीति का कार्यान्वयन किया जाता है।

### अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग – 31 मार्च, 2021 को कर्मचारियों की संख्या

| कर्मचारियों की कुल संख्या | अनु. जाति कर्मचारियों की कुल संख्या | अनु. जाति कर्मचारियों का प्रतिशत | अ.ज.जा कर्मचारियों की कुल संख्या | अ.ज.जा कर्मचारियों का प्रतिशत | ओ.बी.सी कर्मचारियों की कुल संख्या | ओ.बी.सी कर्मचारियों का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13122 | 2626 | 20.01 | 568 | 4.32 | 2980 | 22.70 |

### एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड की गतिविधियां

नागर विमानन मंत्रालय के निदेशानुसार दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 से सुरक्षा कारणों से आउटसोर्सिंग की अनुमति न होने के कारण, एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड ने सभी प्रचालनिक हवाईअड्डों (गैर–पात्र बाहर निकल गए) पर, जहां एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड द्वारा ग्राउंड हैंडलिंग उपलब्ध कराई जाती है, सरकार के निर्णय को क्रियान्वित किया है। एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड में आज की तारीख को जनशक्ति की आउटसोर्सिंग शून्य है।

### राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

राजभाषा अधिनियम और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के प्रावधानों का कार्यान्वयन करने के लिए कंपनी प्रभावी कदम उठा रही है।

### यौन उत्पीड़न

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को कंपनी में लागू किया गया है और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए समय–समय पर प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई की जाती है। यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का

गठन किया गया है। सभी कर्मचारी (स्थायी, संविदात्मक, अस्थायी, प्रशिक्षु) इसके अंतर्गत शामिल हैं।

वर्ष 2020–21 के दौरान यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

**सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अनुपालन**

एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड ने नागरिकों को जानकारी प्रदान करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का सफलतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया है।

एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड ने दिनांक 18 फरवरी, 2014 से सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों/अपीलों का निपटान करने के लिए अपनी संरचना विकेन्द्रित की है। आवेदनों/अपीलों को शीघ्र निपटाने के लिए 08 सहायक लोक सूचना अधिकारी (एपीआईओ), 05 लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) तथा एक अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।

वर्ष 2020–21 के दौरान, 51 अनुरोध और 05 अपीलें प्राप्त हुईं और सभी का निपटान किया गया।

**व्यवसाय के स्वरूप में परिवर्तन**

कंपनी के व्यवसाय के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

**लाभांश**

निदेशकों द्वारा इस वर्ष के लिए किसी लाभांष की सिफारिश नहीं की गई है।

**दावा नहीं किए गए लाभांश का निवेशक शिक्षा तथा सुरक्षा निधि में स्थानांतरण**

चूंकि पिछले वर्षों में भुगतान नहीं किया गया/दावा नहीं किया गया लाभांश नहीं था, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–125 के प्रावधान लागू नहीं होते।

**आरक्षित निधि में हस्तांतरित राशि**

वर्ष के दौरान हुए घाटे के कारण, निदेशक मंडल ने वर्ष के दौरान आरक्षित निधि में किसी भी राशि का अंतरण न किए जाने का निर्णय लिया है।

**सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनियों संबंधी सूचना**

कंपनी की कोई सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम कंपनी या सहयोगी कंपनी नहीं है।

**वास्तविक परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएं**

दिनांक 31 मार्च, 2021 एवं बोर्ड की रिपोर्ट की तारीख तक कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुए हैं।

**निदेशक मंडल की बैठकें**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–173 के तहत, वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, कोविड–19 वैश्विक महामारी के खतरे के साथ–साथ कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई छूट के कारण, बोर्ड की 08 बैठकें वीडियो–कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गईं। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पालन दो बैठकों के बीच समय अंतराल पर विचार करते समय किया गया था। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान हुई बैठकों का विवरण इस प्रकार है:

| क्र. सं. | बैठक की तिथि | निदेशक मंडल की संख्या | उपस्थित निदेशकों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 जून, 2020 | 4 | 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 10 अगस्त, 2020 | 4 | 4 |
| 3 | 10 सितंबर, 2020 | 4 | 4 |
| 4 | 18 नवंबर, 2020 | 4 | 4 |
| 5 | 14 दिसंबर, 2020 | 4 | 3 |
| 6 | 18 दिसंबर, 2020 | 4 | 4 |
| 7 | 02 मार्च, 2021 | 4 | 4 |
| 8 | 31 मार्च, 2021 | 4 | 4 |

## निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कंपनी का निदेशक मंडल यह पुष्टि करता है कि :

1. वार्षिक लेखों को तैयार करते समय, लागू भारतीय लेखाकरण मानकों (इंड एएस) का अनुसरण किया गया है और इसमें कोई वास्तविक विचलन नहीं हैं।
2. चयन की गई लेखाकरण नीतियों को संगत रूप से प्रयुक्त किया गया और निदेशकों ने जो निर्णय लिए और आकलन किए, वे इस रूप से औचित्यपूर्ण और विवेकपूर्ण हैं कि वे 31 मार्च 2021 को कंपनी के क्रियाकलापों और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के लाभ अथवा हानि की सही और निष्पक्ष जानकारी प्रस्तुत करते हैं।
3. कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा एवं धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उसका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण अभिलेखों के अनुरक्षण हेतु उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है।
4. यह कंपनी गैर–सूचीबद्ध कंपनी होने के कारण, धारा 134(3)(ङ) के प्रावधान लागू नहीं हैं।
5. वार्षिक लेखे सतत सरोकार के आधार पर तैयार किए गए हैं, तथा
6. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणालियां निर्धारित की हैं और कि ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी रूप से कार्य कर रहीं थीं।

## लेखापरीक्षा समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–177 के प्रावधानों के अनुसार निम्न निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति नवंबर 2014 में गठित की गई है:

वर्तमान समय में लेखापरीक्षा समिति में निम्न सदस्य शामिल हैं:

| निदेशक का नाम | समिति में धारित पद | निदेशक की श्रेणी |
|---|---|---|
| श्री वी.ए.पटवर्धन,<br>संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय | अध्यक्ष | सरकारी नामिती निदेशक |
| श्री एस.के.मिश्रा,<br>संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय | सदस्य | सरकारी नामिती निदेशक |
| श्री राजीव बंसल,<br>अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एअर इंडिया लिमिटेड | सदस्य | अध्यक्ष (नामिती निदेशक) |
| श्रीमती अमृता शरण,<br>एअर इंडिया नामिती निदेशक | सदस्य | नामित निदेशक |

बोर्ड ने लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया है।

## लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2020–21 के लिए मैसर्स शाह गुप्ता एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, दिल्ली को सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में उनके द्वारा की गई टिप्पिणयों/अर्हताओं या प्रतिकूल टिप्पणियों के लिए प्रबंधन का स्पष्टीकरण/व्याख्या इसके साथ संलग्न है। वित्तीय विवरणों के संबंध में नोट स्वतः स्पष्ट हैं और इसके लिए किसी और टिप्पणी की कोई आवश्यकता नहीं है।

## ऋण, प्रतिभूति और निवेश

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–186 के अंतर्गत कंपनी द्वारा कोई ऋण नहीं लिए गए, गारंटियां नहीं दी गईं या निवेश नहीं किए गए है और इसलिए, अधिनियम की धारा–186 के प्रावधान कंपनी पर लागू नही होते हैं।

## सचिवीय लेखापरीक्षक

निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा करने के लिए मैसर्स अग्रवाल एस एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, दिल्ली को नियुक्त किया है। दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुबंध–IV के रूप में संलग्न है।

सचिवीय लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर निम्नानुसार हैं:

| सचिवीय लेखापरीक्षक की टिप्पणियां | प्रबंधन का उत्तर |
|---|---|
| कंपनी ने कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम–3 के साथ पठित धारा–149(1) के दूसरे प्रावधान के तहत दिनांक 01.04.2020 से 10.09.2020 तक की अवधि के दौरान आवश्यकतानुसार महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं की है। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है।<br><br>इस मामले में आवश्यक कार्रवाई के लिए इसे नागर विमानन मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और तदनुसार श्रीमती अमृता शरण, महिला निदेशक, एआई नामित को कंपनी के बोर्ड में दिनांक 11.09.2020 को नियुक्त किया गया है। |

## लागत लेखापरीक्षा

कंपनी द्वारा अधिनियम की धारा 148(1) के प्रावधानों के अनुसार लागत लेखों और अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाता है और लागत लेखापरीक्षकों द्वारा उनकी लेखापरीक्षा की जाती है। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, वित्त वर्ष 2018–19 और 2019–20 के लिए लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट क्रमशः 06 जुलाई, 2020 और 22 मार्च, 2021 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के साथ दायर की गई है। वित्तीय वर्ष 2018–2019 और 2019–20 के लिए लागत लेखापरीक्षा मेसर्स मीना गुप्ता एंड एसोसिएट्स, लागत लेखाकार, मुंबई द्वारा निष्पादित की गई थी। वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए समान लागत लेखापरीक्षकों को नियुक्त किया गया था।

## महत्वपूर्ण तथा वास्तविक आदेश

वर्ष के दौरान विनियामकों, न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण तथा वास्तविक आदेश पारित नहीं किया गया, जिससे गोइंग कन्सर्न स्थिति तथा कंपनी के भावी प्रचालनों पर प्रभाव पड़े।

## ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समामेलन और विदेशी मुद्रा अर्जन तथा व्यय

### (क) ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी समामेलन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किए जा रहे कार्यकलापों के स्वरूप को देखते हुए, ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी

समामेलन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–134(3)(ड) के प्रावधानों के अंतर्गत यथापेक्षित विवरण नहीं प्रस्तुत किए गए हैं।

तथापि, कंपनी ने दिल्ली तथा चेन्नई में 50 कि.वा. पावर क्षमता की ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा प्रणाली छत पर स्थापित की है, जो प्रतिदिन औसतन 220 कि.वा. विद्युत उर्जा का निर्माण कर सकती है और यह सुव्यवस्थित रूप से कार्य कर रही है।

**(ख) विदेशी मुद्रा अर्जन तथा व्यय**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय निम्नानुसार था:

| | **मिलियन अमरीकी डालर में** |
|---|---|
| अर्जन | 11.86 अमरीकी डालर |
| व्यय | 10.75 अमरीकी डालर |

**कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)**

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों, उसके अंतर्गत बनाए नियमों एवं सरकारी उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुपालन में कॉरपोरेट सामजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन निम्नानुसार किया है। 31 मार्च 2021 को सीएसआर समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

| | |
|---|---|
| श्री राजीव बंसल | अध्यक्ष |
| श्री वी.ए. पटवर्धन | सदस्य |
| श्री एस.के. मिश्रा | सदस्य |
| श्रीमती अमृता शरण | सदस्य |

बोर्ड ने दिनांक 23 मई, 2016 को हुई अपनी बैठक में सीएसआर नीति को स्वीकृति प्रदान की और आगे दिनांक 11 जून 2020 को आयोजित अपनी बैठक में बोर्ड ने सीएसआर नीति को आगे संशोधित किया है। बोर्ड ने कंपनी की लाभप्रद्दता को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान सीएसआर गतिविधियों के लिए 23.66 मिलियन रूपए का व्यय अनुमोदित किया है। इसके अतिरिक्त, यह निर्णय लिया गया है कि उक्त राशि द्वारा कंपनी पी एम केयर्स फंड में योगदान करेगी।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट **अनुबंध–II** पर संलग्न है।

**सचिवीय मानक**

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, कंपनी ने इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सभी लागू अनिवार्य सचिवीय मानकों का अनुपालन किया है।

**कॉरपोरेट शासन**

कंपनी ने कॉरपोरेट शासन की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है। विस्तृत कॉरपोरेट शासन की रिपोर्ट पृथक रूप से इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

**वार्षिक रिटर्न का सारांश**

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन (गवर्नेंस)) नियम, 2014 के नियम 12(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) के प्रावधानों के अनुपालन में वार्षिक रिटर्न का सारांश अनुलग्नक–III में संलग्न किया गया है तथा फॉर्म एमजीटी–7, वार्षिक रिटर्न को कंपनी की वेबसाइट www.aiatsl.com पर प्रदर्शित किया गया है।

**कर्मचारियों का विवरण**

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार, धारा 134(3)(ङ) के प्रावधान सरकारी कंपनी पर लागू नहीं हैं।

इसके फलस्वरूप, धारा 178(3) के अंतर्गत निदेशकों की नियुक्ति एवं अन्य मामलों से संबंधित कंपनी की नीति नहीं उपलब्ध कराई गई है।

इसी प्रकार, धारा–197 सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होती है। इसके परिणामस्वरूप, कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी का नाम एवं अन्य ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण, जिसे पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान/कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया था और नियमों में निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक पाते थे, उनका विवरण कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम–5(1)/(2) के साथ पठित धारा–197(12) के निबंधनों के अनुसार नहीं उपलब्ध कराया गया है।

चूंकि एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड सरकारी कंपनी है, अतः निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन भारत सरकार द्वारा सरकारी/डीपीई मार्गनिर्देशों के अनुसार की जाती है, जिसमें योग्यताओं एवं अन्य मामले निर्धारित करने के लिए वेतन मानदंड नियत करना भी शामिल है।

### जमाराशि

कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है।

### वार्षिक मूल्यांकन

दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर.463(ई) के अनुसार, बोर्ड मूल्यांकन से संबंधित धारा 134(3)(पी) के प्रावधान लागू नहीं होते, चूंकि निदेशकों का मूल्यांकन नागर विमानन मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

### स्वतंत्र निदेशक एवं घोषणा

एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड एअर इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद–98 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के निदेशकों की संख्या तीन से कम और पंद्रह से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और भारत सरकार के निदेशों के अधीन वे ऐसा कर सकते हैं।

एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड एक गैर–सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी और एअर इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है तथा कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के दिनांक 5 जुलाई 2017 के परिपत्र के अनुसार, गैर–सूचीबद्ध पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने के प्रावधान से छूट दी गई है।

### नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा–178 के तहत नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठन के संबंध में दिनांक 13.07.2017 की जीएसआर 880 (ई) के तहत गैर–सूचीबद्ध पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को छूट प्रदान की गई है। एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड को एअर इंडिया की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के कारण इन प्रावधानों से छूट प्रदान की गई है।

### पारिश्रमिक नीति

### कार्यपालक निदेशकों एवं गैर–कार्यपालक निदेशकों को पारिश्रमिक

कंपनी के निदेशकों के लिए पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धार–197 के प्रावधान दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर.463(ई) के अनुसार सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होते।

### जोखिम प्रबंधन

कंपनी निम्न उद्देश्यों के साथ जोखिम प्रबंधन नीति बना रही है :

- जोखिम प्रबंधन के सिद्धांतों की समीक्षा उपलब्ध कराना।
- जोखिम प्रबंधन के लिए कंपनी द्वारा अपनाया गया तरीका स्पष्ट करना।
- प्रभावी जोखिम प्रबंधन के लिए संगठनात्मक संरचना को परिभाषित करना।

- ''जोखिम'' संस्कृति विकसित करना, जिससे सभी कर्मचारियों को जोखिमों और उससे जुड़े अवसरों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और उन पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके।
- मौजूदा एवं योजनाबद्ध तथा न्यूनतम बाधा एवं लागत के साथ समन्वित रूप से नए जोखिमों का पता लगाना, मूल्यांकन करना और प्रबंधन करना।

### निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, कंपनी के निदेशकों की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:

| क्र. सं. | नाम | पदनाम | नियुक्ति की तिथि | सेवा समाप्त होने की तिथि | सेवा समाप्ति का तरीका |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री अमृता शरण | नामिती निदेशक | 11.09.2020 | | |
| 2. | श्री विनोद शंकर हेजमाडी | नामिती निदेशक | 07.12.2015 | 11.09.2020 | नामिति निदेशक के रूप में सेवा समाप्त |
| 3. | श्री अश्विनी कुमार शर्मा | सीईओ | 11.06.2020 | | |
| 4. | श्री शशी भदूला | सीएस | 11.06.2020 | | |
| 5. | श्री जे वी रवि कुमार | सीएफओ | 28.03.2018 | 02.03.2021 | सीएफओ के रूप में सेवा समाप्त |
| 6. | श्री राजेश नरायण | सीएफओ | 02.03.2021 | | |

हालांकि, कैप्टन अश्विनी कुमार शर्मा दिनांक 31–07–2021 से मुख्य कार्यकारी अधिकारी नहीं रहे और श्री रामबाबू सी.एच को नागर विमान मंत्रालय के दिनांक 09.07.2021 के आदेश संख्या 18014/02/2015–एआई के तहत मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है और उन्होंने दिनांक 31–07–2021 से सीईओ के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

### संबंधित पक्ष संव्यवहार

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने संबंधित पक्षों के साथ संविदाएं अथवा व्यवस्थाएं की हैं, जो सामान्य कारोबार के दौरान निकट संबंधों पर आधारित थी। ये संव्यवहार अधिनियम की धारा 188(1) के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते।

किसी अन्य सरकारी कंपनी के साथ की गई संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं के बारे में आम सभा में कंपनी का अनुमोदन प्राप्त करने संबंधी धारा 188 की उप धारा (1) के प्रथम एवं द्वितीय परंतुकों से छूट सरकारी कंपनी को उपलब्ध कराई गई है।

कंपनी ने एअर इंडिया लिमिटेड एवं उसकी सहायक कंपनियों (सरकारी कंपनियों) के साथ वर्ष 2020–21 के दौरान लगभग 274 करोड़ रूपए की अनुमानित राशि की संविदाएं/व्यवस्थाओं को करने के लिए 18 दिसंबर, 2020 को हुई अपनी 81वीं बैठक में बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया है।

### भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

### आभारोक्ति

बोर्ड, एअर इंडिया लिमिटेड, नागर विमानन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो से प्राप्त समर्थन

एवं मार्गदर्शन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। बोर्ड भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, सांविधिक लेखापरीक्षक तथा अन्य विभिन्न सरकारी विभागों के प्रति अपना आभार प्रदर्शित करता है।

**बोर्ड के लिए एवं उनकी ओर से**

ह/–
**राजीव बंसल**
**अध्यक्ष**

**स्थान : नई दिल्ली**
**दिनांक : 13.09.2021**

# प्रबंधन विचारविमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट

## 1. वित्तीय निष्पादन का विश्लेषण

### राजस्व

- वर्ष 2020–21 के दौरान अर्जित 3341.15 मिलियन रूपए की पुनर्घोषित राशि के राजस्व की तुलना में इस वर्ष के दौरान कुल अर्जित राजस्व 6961.56 मिलियन रूपए था।

### व्यय

- पिछले वर्ष के 5780.29 मिलियन रूपए की पुनर्घोषित राशि की तुलना में इस वर्ष के दौरान कुल खर्च 5572.00 मिलियन रूपए था।

## 2. भावी परिदृश्य

एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, एअर इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी दिनांक 01 फरवरी, 2013 को प्रचालन में आई थी और कंपनी ने अप्रैल, 2014 से स्वतंत्र प्रचालन आरंभ किए। कंपनी वर्तमान में भारत में 103 हवाईअड्डों (82 हवाईअड्डों पर एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड पूर्ण रूप से प्रचालनिक है और 21 हवाईअड्डों पर एआई एयरपोर्ट सर्विसेस व्यवसाय विकास के अनुसार स्थापित हो रही है) हवाईअड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं उपलब्ध कराती है। एअर इंडिया एवं इसकी सहायक कंपनियों की उड़ानों की हैंडलिंग के अलावा, 55 विदेशी अनुसूचित एअरलाइनों, 4 घरेलू अनुसूचित एअरलाइनों, 4 क्षेत्रीय एअरलाइनों, 7 सीजनल चार्टर एअरलाइनों, 23 विदेशी एअरलाइनों, जो नाश्वान कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करती हैं, को भी ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं उपलब्ध कराती है। इसके अतिरिक्त एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड विमान यूनिट लोड डिवाइस (यूएलडी) की मरम्मत कार्य के अतिरिक्त केबिन की सफाई और केबिन की ड्रैसिंग सेवाएं भी उपलब्ध कराती है। वर्ष 2020–21 के दौरान 51774 उड़ानों (एअर इंडिया एवं उसकी सहायक कंपनियों) एवं अनुसूचित एवं गैर–अनुसूचित ग्राहक एअरलाइनों की 26579 उड़ानों के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सेवा उपलब्ध कराई गई।

कोविड–19 महामारी का विमानन और पर्यटन क्षेत्रों पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। आरंभ में करीब ढाई महीने के लिए निर्धारित उड़ानें पूरी तरह से ठप रहीं। तत्पश्चात, इसे कैलिब्रेटेड तरीके से घरेलू उड़ान प्रचालनों के लिए खोल दिया गया। ''वंदे भारत'' निकासी उड़ानों के नाम पर निकासी उड़ानों की अनुमति देते हुए, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को पूरी तरह से रोक दिया गया था। फिर कोविड महामारी की दूसरी लहर आई, जिसने घरेलू अनुसूचित प्रचालनों और अंतर्राष्ट्रीय अनुसूचित प्रचालनों को और अधिक प्रभावित किया। जबकि घरेलू उड़ानों का प्रचालन महामारी पूर्व अनुसूची के 50 प्रतिशत तक कम हो गया और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में 100 प्रतिशत की कटौती जारी रही। हालांकि, निकासी उड़ानें कैलिब्रेटेड तरीके से जारी रहीं और एयर बबल उड़ानें प्रचालित होने लगीं।

इन कटौती का भारत और पूरी दुनिया के नागर विमानन उद्योग पर गंभीर प्रभाव पड़ा। एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड इस गंभीर प्रभाव का अपवाद नहीं था। इसके अतिरिक्त, एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ने भारत सरकार के निदेश का अनुपालन किया और इसलिए, अपने किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं की। भारत में अन्य ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों, जिन्होंने अपने कर्मचारियों को बिना वेतन के छुट्टी पर भेजा और अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के विकल्प का चयन किया के विपरीत, अपने किसी भी कर्मचारी/कार्मिक को बिना वेतन के छुट्टी पर नहीं भेजा गया था। इस अवधि के दौरान सीमित राजस्व के साथ स्थल किराया, पट्टा किराया ने वित्तीय स्थिति को प्रभावित किया था।

इन सभी कारकों ने भारत में सभी ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों को समग्र रूप से प्रभावित किया था और एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड अभी भी मुख्य रूप से एआई ग्रुप कंपनियों, एअर इंडिया, एअर इंडिया एक्सप्रेस, एलायंस एयर और एआई इंजीनियरिंग के व्यवसाय के कारण प्रचालन में बनी रह पाई है।

गैर–पात्र कंपनियों के बाहर जाने और घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय उड़ान प्रचालनों के आरंभ होने के कारण महत्वपूर्ण अवसर उत्पन्न होंगे।

दिनांक 01 जनवरी 2021 से, एमएए, सीसीयू, पीएनक्यू और जओई में चार एएआई नियंत्रित हवाईअड्डों पर अनधिकृत ग्राउंड

हैंडलर के अनुबंध को समयविस्तार नहीं दिया गया है। एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड को इन हवाईअड्डों पर प्रचालन सभी वाहकों को ऐसे अनधिकृत ग्राउंड हैंडलर द्वारा संचालित करने के लिए इन हवाईअड्डों पर ग्राहक आधार का विस्तार करने का अवसर मिला है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अपनी अधिसूचना के तहत दिनांक 01 जुलाई 2021 से सभी हवाईअड्डों पर अनधिकृत हैंडलिंग एजेंसियों को ग्राउंड हैंडलिंग करने की अनुमति नहीं दी है। अनुसूचित एयरलाइंस के लिए ग्राउंड हैंडलिंग की व्यवस्था करने हेतु दिनांक 15 जुलाई 2021 तक का समय बढ़ा दिया था। गैर–अनुसूचित एयरलाइनों के लिए एआई एयरपोर्ट सर्विसेज ने इन सभी हवाईअड़डों पर ग्राउंड हैंडलिंग को अपने हाथ में ले लिया है, जहां ऐसे अनधिकृत ग्राउंड हैंडलर मौजूद नहीं हैं। अनुसूचित घरेलू एयरलाइंस के लिए ग्राउंड हैंडलिंग को एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड द्वारा दिनांक 16 जुलाई 2021 से प्रभावी रूप से इन सभी हवाईअड़डों पर ले लिया गया है, केवल कुछ हवाईअड्डों को छोड़कर, जहां अनधिकृत हैंडलिंग एजेंसियां अभी भी एयरपोर्ट प्रचालक के साथ वैधता के कारण काम कर रही हैं।

डीजीसीए/नागर विमानन मंत्रालय द्वारा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह के उडान प्रचालनों के आरंभ करने के साथ एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के प्रचालन वित्तीय रूप से सुदृढ हो रहा है। प्रमुख आय अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को संभालने से प्राप्त होती है, जिससे विदेशी खरीद के लिए विदेशी मुद्रा प्रवाह उपलब्ध होगा और साथ ही कंपनी को राजस्व आय में विदेशी मुद्रा लाभ प्राप्त होगा। अखिल भारतीय उपस्थिति के साथ एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड को देश में बाजार अग्रणी बनना है और अपनी क्षमता के साथ कुछ अन्य देशों में व्यवसाय करने में सक्षम होना है, जहां एअर इंडिया का प्रचालन हो रहा है।

अब आने वाले वर्ष की ओर देखते हुए, कंपनी का सकारात्मक दृष्टिकोण है और हमारा ध्यान लाभप्रदता और विकास से नकद प्रबंधन और तरलता पर स्थानांतरित हो गया है। जबकि हम आशावादी हैं, हम किसी भी स्थिति को हल्के में नहीं लेते हैं। हम सतर्क रहेंगे और अपने व्यवसाय के प्रमुख मूल्य चालकों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इसमें ग्राउंड हैंडलिंग व्यवसाय को 82 हवाईअड़डों से बढ़ाकर 103 हवाईअड्डों तक करना शामिल है। अनुसूचित उडानों के साथ–साथ गैर अनुसूचित उडानों के प्रचालन के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं की मांग बढ़ने की उम्मीद है। हम ग्राउंड हैंडलिंग के अधिक व्यवसायों के प्रापत करने के अवसरों का आकलन करना जारी रखेंगे।

## 3. सतत सरोकार

कंपनी वर्ष 2012–13 से निवल लाभ अर्जित कर रही है, जो 2012–13 में 5.06 मिलियन रूपए से बढ़कर 2019–20 में 504.83 मिलियन रूपए हो गया है। तथपि, काविड–19 की स्थिति के कारण कंपनी को 2036.56 मिलियन का घाटा हुआ है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं) विनियम, 2018 जो 30 अक्टूबर, 2018 को लागू हुआ, के साथ भारत के ग्राउंड हैंडलिंग क्षेत्र में अप्रत्याशित रूप से परिवर्तन आया है।

भारत में ग्राउंड हैंडलिंग बाजार विमान द्वारा यात्रा की वरियता, बढती जनसंख्या, सरकार की उड़ान योजना तथा हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के कारण विकास के पथ पर अग्रसर है। इस प्रकार के उद्धीपक औद्योगिक वातावरण में एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में ग्राउंड हैंडलिंग के लिए व्यापक स्तर पर बड़े बाजार अवसर विद्यमान हैं।

## 4. मानव संसाधन

**<u>कर्मचारियों की संख्या</u>**

31 मार्च, 2021 तक विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत संविदा आधार पर लिए गए कर्मचारियों की संख्या 13122 थी।

## 5. जोखिम निवारण नीतियां

कंपनी लगातार जोखिम अवधारणाओं की निगरानी करती है और विभिन्न मोर्चों पर जोखिमों को कम करने के लिए निवारक कार्रवाई करती है।

### 6. आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां

सभी प्रयोज्य विधियों एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने एवं कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए व्यावसायिक प्रक्रियाओं की समीक्षा और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के मूल्यांकन करने के लिए मैसर्स ककारिया एण्ड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार, मुंबई को वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

# कॉरपोरेट शासन पर रिपोर्ट

## 1. निदेशक मंडल

एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और एअर इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इसके निदेशक धारक कंपनी/ प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुसार, निदेशकों की संख्या तीन से कम और पंद्रह से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिनमें से सभी को एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तदनुसार, एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के बोर्ड की संरचना को नागर विमानन मंत्रालय के दिनांक 26.12.2012 के आदेश के तहत निर्धारित किया गया है।

**31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल**

| | |
|---|---|
| श्री राजीव बंसल, अध्यक्ष | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एअर इंडिया लिमिटेड |
| श्रीमती अमृता शरण | एअर इंडिया द्वारा नामिती निदेशक |
| श्री वी.ए. पटवर्धन<br>संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार<br>नागर विमानन मंत्रालय | सरकार द्वारा नामिती निदेशक |
| श्री एस.के. मिश्रा<br>संयुक्त सचिव,<br>नागर विमानन मंत्रालय | सरकार द्वारा नामिती निदेशक |

श्री अश्विनी लोहानी दिनांक 14–02–2020 से अध्यक्ष नहीं हैं और श्री राजीव बंसल, जिन्हें एअर इंडिया का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया, उस तिथि से पदेन क्षमता में कंपनी के अध्यक्ष बन हैं।

इसके अतिरिक्त, श्रीमती अमृता शरण को एअर इंडिया के उपाध्यक्ष श्री विनोद हेजमादी द्वारा दिनांक 11–09–2020 से महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

बोर्ड ने कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में श्री विनोद शंकर हेजमाडी द्वारा प्रदान की गई मूल्यवान सेवाओं की सराहना की है और एक विशेष आमंत्रित के रूप में बोर्ड में उनका स्वागत किया है।

वर्ष के दौरान, अध्यक्ष द्वारा निदेशक मंडल की सभी बैठकों एवं वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता की गई।

निदेशक मंडल की बैठकों, वार्षिक आम बैठक, उनमें निदेशकों की उपस्थिति, डायरेक्टरशिप और निदेशकों द्वारा धारित समिति के पदों का ब्यौरा निम्नानुसार हैरू

## 2. निदेशक मंडल की बैठकें

वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की आठ बैठकें निम्नलिखित तारीखों पर आयोजित की गईं:

11 जून, 2020 (76वीं बैठक)

10 अगस्त, 2020 (77वीं बैठक)

10 सितंबर, 2020 (78वीं बैठक)

18 नवंबर, 2020 (79वीं बैठक)

14 दिसंबर, 2020 (80वीं बैठक)

18 दिसंबर, 2020 (81वीं बैठक)

02 मार्च, 2021 (82वीं बैठक)

31 मार्च, 2021 (83वीं बैठक)

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान बोर्ड/शेयरधारकों की बैठक में निदेशकों की उपस्थिति सहित उनका विवरणः

| निदेशक का नाम | शैक्षणिक अर्हताएं | वर्ष के दौरान आयोजित 8 बैठकों में उपस्थिति | अन्य कंपनियों में धारित डायरेक्टरशिप | समितियों में धारित सदस्यता |
|---|---|---|---|---|
| श्री राजीव बंसल, अध्यक्ष (14 फरवरी, 2019 से) | आईआईटी, दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग, वित्त में डिप्लोमा, आईसीएफएआई, हैदराबाद, एक्जीक्यूटिव मास्टर–अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय, आईआईएफटी, दिल्ली | 8 | अध्यक्ष<br>एअर इंडिया लिमिटेड, एअर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड, एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड, एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड,<br>एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड,<br>भारतीय होटल निगम लिमिटेड, एअर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड, एअर इंडिया सेट्स एयरपोर्ट<br>निदेशक<br>एअर मारिशस लिमिटेड,<br>एअर मारिशस होल्डिंग लिमिटेड, भारत यंत्र निगम लिमिटेड | अध्यक्ष<br>निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति, एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड<br>सदस्य<br>नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति – एअर इंडिया लिमिटेड,<br>लेखापरीक्षा समिति– भारतीय होटल निगम लिमिटेड, एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड<br>स्थायी आमंत्रितीः<br>लेखापरीक्षा समिति–एअर इंडिया लिमिटेड,<br>एआई इंजीनियरिग सर्विसेस लिमिटेड तथा एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड |

| निदेशक का नाम | शैक्षणिक अर्हताएं | वर्ष के दौरान आयोजित 8 बैठकों में उपस्थिति | अन्य कंपनियों में धारित डायरेक्टरशिप | समितियों में धारित सदस्यता |
|---|---|---|---|---|
| श्री एस.के.मिश्रा, संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय – सरकारी नामिती निदेशक (2 फरवरी, 2017 से) | एम.टेक (अप्लायड जियोलॉजी) एम. ए. (पब्लिक पालिसी) | 8 | निदेशक<br>एअर इंडिया लिमिटेड, एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड,<br>एआई इंजीनियरिंग<br>सर्विसेस लिमिटेड,<br>भारतीय होटल निगम लिमिटेड, एअर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड | सदस्य<br>नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति–एअर इंडिया लिमिटेड,<br>एचआर समिति– एअर इंडिया लिमिटेड, लेखापरीक्षा समिति एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड, एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड, भारतीय होटल निगम लिमिटेड, एअर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड<br>सीएसआर समिति– एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड |
| श्री विनोद शंकर हेज़माडी<br>एअर इंडिया नामित निदेशक (7 दिसंबर 2015 से 11 सितंबर, 2020 तक) | बी.काम, एसीए | 3<br>(उनके द्वारा निदेशक के रूप में 03 बैठकों में भाग लिया गया और शेष बैठकों में उनके द्वारा विशेश आमंत्रिती के रूप में भाग लिया गया) | निदेशक<br>एअर इंडिया लिमिटेड,<br>एअर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड, एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड, एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड,<br>भारतीय होटल निगम लि., एलायंस एयर एविएशन निमिटेड,<br>एअर इंडिया सैट्स एयरपोर्ट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड, एअर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड | अध्यक्ष<br>एचआर समिति–एअर इंडिया लिमिटेड,<br>निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति–एअर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड<br>सदस्य<br>नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, एअर इंडिया लिमिटेड, |

| निदेशक का नाम | शैक्षणिक अर्हताएं | वर्ष के दौरान आयोजित 8 बैठकों में उपस्थिति | अन्य कंपनियों में धारित डायरेक्टरशिप | समितियों में धारित सदस्यता |
|---|---|---|---|---|
| | | | | सीएसआर समिति और धारणीय विकास समिति–एअर इंडिया लिमिटेड, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व<br><br>समिति–एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड, शेयर आवंटन समिति : एअर इंडिया लिमिटेड,<br><br>लेखापरीक्षा समिति–भारतीय होटल निगम लि., एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड, एअर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड, एआई इंजीनियरिंग<br><br>सर्विसेस लिमिटेड और एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड,<br><br>वित्त समिति –एअर इंडिया लिमिटेड।<br><br>विशेष आमंत्रिती:<br><br>लेखापरीक्षा समिति–एअर इंडिया लिमिटेड। |
| श्रीमती अमृता शरण (11 सितंबर 2020) | एमबीए | 5 | निदेशक<br><br>एअर इंडिया लिमिटेड,<br><br>एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड,<br><br>भारतीय होटल निगम लिमिटेड | सदस्य<br><br>लेखापरीक्षा समिति एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड, सीएसआर समिति– एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड |

| निदेशक का नाम | शैक्षणिक अर्हताएं | वर्ष के दौरान आयोजित 8 बैठकों में उपस्थिति | अन्य कंपनियों में धारित डायरेक्टरशिप | समितियों में धारित सदस्यता |
|---|---|---|---|---|
| श्री वी.ए. पटवर्धन, संयुक्त सचिव तथा वित्त सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय – सरकारी नामिती निदेशक (20 मार्च, 2020 से) | बी कॉम | 7 | निदेशक<br>एअर इंडिया लिमिटेड,<br>एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड,<br>एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड,<br>भारतीय होटल निगम लिमिटेड, एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, पवन हंस लिमिटेड, भारतीय अक्षय उर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए), भारतीय सौर उर्जा निगम लिमिटेड (एसईसीआई)। | अध्यक्ष<br>लेखापरीक्षा समिति– एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड तथा भारतीय होटल निगम लिमिटेड, एआई इंजीनियरिंग<br>सर्विसेस लिमिटेड,<br>शेयर आवंटन समितिः एअर इंडिया लिमिटेड।<br>सदस्य<br>लेखापरीक्षा समिति,–एअर इंडिया लिमिटेड, भारतीय सौर उर्जा निगम लिमिटेड (एसईसीआई) सीएसआर समिति– एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड।<br>पारिश्रमिक समिति – भारतीय सौर उर्जा निगम लिमिटेड। |

## 3. बोर्ड की प्रकिया

निदेशक मंडल की बैठकें सामान्य रूप से नई दिल्ली में एअर इंडिया के मुख्यालय में आयोजित की जाती हैं। बैठकें काफी पहले से निर्धारित की जाती हैं। अत्यावश्यकता या तात्कालिकता के मामले में, प्रस्तावों को परिपत्रण द्वारा पारित किया जाता है। कंपनी के प्रचालनिक कार्यनिष्पादन की समीक्षा के लिए बोर्ड की तिमाही में कम से कम एक बार बैठक होती है। बैठकों की कार्यसूची संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा तैयार की जाती है और इसे सीईओ और अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जाता है। बोर्ड के अभिलेख निदेशकों को अग्रिम रूप से परिपत्रित किए जाते हैं। बोर्ड के सदस्यों के पास सभी सूचनाओं तक पहुंच उपलब्ध होती है और वे चर्चा के लिए कार्यसूची में किसी भी मामले को शामिल करने की सिफारिश करने के लिए स्वतंत्र हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को बोर्ड की बैठकों में भाग लेने और आवश्यकता पड़ने पर स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। की गई कार्रवाई रिपोर्ट समय–समय पर बोर्ड को प्रस्तुत की जाती है। कंपनी के मामलों पर बेहतर और अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए, बोर्ड कुछ मामलों को इस उद्देश्य के लिए गठित बोर्ड की समितियों को सौंपता है।

## 4. आचार संहिता

सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के संदर्भ में, बोर्ड ने निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता को स्वीकार किया है। बोर्ड के सदस्यों और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों द्वारा संहिता के अनुपालन की पुष्टि करने की एक प्रणाली है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अनुपालन की घोषणा रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

## 5. बोर्ड समितियां

### लेखापरीक्षा समिति

कॉरपोरेट शासन (गवर्नेंस) के भाग के रूप में और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं डीपीई मार्गनिर्देशों के अनुपालन में, कंपनी ने नवंबर, 2014 में बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति का गठन किया था।

31 मार्च, 2021 को लेखापरीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य थे:

| | |
|---|---|
| संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय | अध्यक्ष |
| संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय | सदस्य |
| अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एअर इंडिया लिमिटेड | सदस्य |
| एअर इंडिया मनोनीत सदस्य | सदस्य |

**इस समिति के विचारार्थ विषय हैं :**

- कंपनी के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक एवं नियुक्ति की शर्तों की सिफारिश करने हेतु।
- लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता एवं निष्पादन एवं लेखापरीक्षा प्रणाली की प्रभावकारिता का निरीक्षण एवं निगरानी करने हेतु।
- आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम की समीक्षा एवं आंतरिक एवं बाहरी लेखापरीक्षकों के बीच समन्वयन का सुनिश्चित करना तथा यह भी निर्धारण करना कि आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य कंपनी के व्यवसाय के आकार एवं प्रकार के अनुरूप है।
- लेखापरीक्षा आरंभ होने से पहले लेखापरीक्षा के प्रकार एवं कार्यक्षेत्र के बारे में लेखापरीक्षकों से विचार–विमर्श करने हेतु।
- वित्तीय विवरणों एवं उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की जांच करने हेतु।
- सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, उस पर प्रबंधन के उत्तर की समीक्षा करना तथा सांविधिक लेखापरीक्षकों की सिफारिशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चय करने के लिए कदम उठाने हेतु।
- संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी के संव्यवहार का अनुमोदन या कोई संशोधन करने हेतु।
- अंतर्निगमित ऋणों एवं विनिवेशों की संवीक्षा करने हेतु।
- कंपनी के उपक्रमों अथवा परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करना, जहां कहीं आवश्यक हो।
- आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों एवं जोखिम प्रबंधन पद्धतियों का मूल्यांकन करने हेतु।
- सार्वजनिक प्रस्तावों एवं संबंधित मामलों के माध्यम से उगाही गई तिथियों के अंतिम उपयोग की निगरानी।
- बोर्ड द्वारा वांछित किसी अन्य विषय पर विचार करना।

### लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण सहित विभिन्न मुद्दों की समीक्षा करने के लिए लेखापरीक्षा समिति ने वर्ष के दौरान आठ बैठकें आयोजित की थीं:

| | |
|---|---|
| 11 जून, 2020 | (17वीं बैठक) |
| 10 अगस्त, 2020 | (18वीं बैठक) |
| 10 सितंबर, 2020 | (19वीं बैठक) |
| 18 नवंबर, 2020 | (20वीं बैठक) |
| 14 दिसंबर, 2020 | (21वीं बैठक) |

18 दिसंबर, 2020 (22वीं बैठक)

02 मार्च, 2021 (23वीं बैठक)

31 मार्च, 2021 (24वीं बैठक)

## कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–135 के प्रावधानों और उसके तहत निर्मित नियमों और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देशों के अनुपालन में निम्नानुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति का गठन किया है। दिनांक 31 मार्च, 2021 को सीएसआर समिति में शामिल हैं:

| | |
|---|---|
| अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एअर इंडिया लिमिटेड | अध्यक्ष |
| संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय | सदस्य |
| संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय | सदस्य |
| एयर इंडिया नामित निदेशक | सदस्य |

### सीएसआर समिति की बैठक

सीएसआर समिति ने वर्ष के दौरान सीएसआर बजट, सीएसआर गतिविधियों आदि से संबंधित विभिन्न मुद्दों की समीक्षा के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार छह बैठकों का आयोजन किया था:

11 जून, 2020 (8वीं बैठक)

10 अगस्त, 2020 (9वीं बैठक)

18 नवंबर, 2020 (10वीं बैठक)

14 दिसंबर, 2020 (11वीं बैठक)

18 दिसंबर, 2020 (12वीं बैठक)

31 मार्च, 2021 (13वीं बैठक)

### पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई वार्षिक आम बैठकें (एजीएम):

| एजीएम संख्या | बैठक की तिथि व समय | स्थान | विशेष संकल्प |
|---|---|---|---|
| 15वीं | 26 दिसंबर, 2018 को 1600 बजे | एयरलाइन्स हाउस, 113 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली–110001 | शून्य |
| 15वीं (स्थगित) | 03 जनवरी, 2019 को 1200 बजे | एयरलाइन्स हाउस, 113 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली–110001 | शून्य |
| 16वीं | 26 दिसंबर, 2019 को 1130 बजे | दूसरा तल, जीएसडी भवन, एअर इंडिया परिसर, टर्मिनल–2, आईजीआई हवाईअड्डा, नई दिल्ली–110037 | हां |

| एजीएम संख्या | बैठक की तिथि व समय | स्थान | विशेष संकल्प |
|---|---|---|---|
| 17वीं | 29 दिसंबर, 2020 को 1100 बजे | एयरलाइन्स हाउस, 113 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली–110001 | हां |
| 17वीं (स्थगित) | 09 मार्च, 2021 को 1100 बजे | एयरलाइन्स हाउस, 113 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली–110001 | शून्य |

# आचार संहिता

## घोषणापत्र

मैं, एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशक मंडल द्वारा यथा अंगीकृत आचार संहिता का अनुपालन करने की पुष्टि बोर्ड के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग द्वारा की गई है ।

ह/–
**(रामबाबू सी.एच )**
सीईओ
एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड
(पूर्व में एअर इंडिया एयर ट्रांस्पोर्ट सर्विसेस लिमिटेड)

**स्थान : दिल्ली**
**दिनांक : 13.09.2021**

अनुलग्नक–I

# एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड
# (पूर्व में एअर इंडिया एयर ट्रांस्पोर्ट सर्विसेस लिमिटेड)
# सीएसआर नीति

## क. पृष्ठभूमि

नए कंपनी अधिनियम, 2013 में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) की संकल्पना इसका 'अनुपालन' करने तथा इसकी व्याख्या को अनिवार्य बनाने के माध्यम से शुरू की गई है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 01 अप्रैल 2014 से प्रत्येक कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड अथवा पब्लिक लिमिटेड, जिसका शुद्ध मूल्य 500 करोड़ रुपए अथवा 1000 करोड़ रुपए का टर्नओवर अथवा 5 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ है, को अपने पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत सीएसआर कार्यकलापों पर खर्च करना होगा। सीएसआर कार्यकलाप कारोबार की सामान्य कार्यविधि में नहीं की जानी हैं और अधिनियम की अनुसूची–VII में उल्लिखित किसी कार्यकलाप से संबंधित होने चाहिए। कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 में सीएसआर कार्यकलापों की रूपरेखा और उसके कार्यविधि निर्धारित की गई हैं।

## ख. सीएसआर नीति

### I. उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र

सीएसआर नीति का मुख्य उद्देश्य एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (पूर्व में एआई एयर ट्रांस्पोर्ट सर्विसेस लिमिटेड)। (''एआई एपीएस'') के लिए दिशानिर्देश तैयार करना है, ताकि सीएसआर को एक ऐसा क्षेत्र बनाया जाए, जिसमे उच्च क्षमता और धारणीय कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को सकारात्मक सहयोग देने पर ध्यान केंद्रित हो।

एआईएपीएस कंपनी के प्रचालन क्षेत्र यथा हवाईअड्डों एवं नगर कार्यालयों में एवं उसके आसपास सीएसआर कार्यकलापों पर ध्यान केंद्रित करेगी। एआई एपीएस सीएसआर बजट का 60 प्रतिशत तक इन स्थानीय कम्युनिटीज के लिए आबंटित करने के लिए प्रतिबद्ध है ।

एआई एपीएस सामाजिक पूंजी का निर्माण करने के लिए समाज के कमजोर, उपेक्षित एवं सीमांत वर्ग को सशक्त बनाने के लिए सीएसआर कार्यकलापों को क्रियान्वित करेगी ।

### II सीएसआर संगठन ढांचा

#### क. <u>सीएसआर समिति</u>

कंपनी की बोर्ड स्तर की उप समिति होगी, जिसे इसके बाद सीएसआर समिति कहा जाएगा। इस समिति में तीन या उससे अधिक निदेशक होंगे, जिनमें से कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक यदि कोई हो, होगा। सीएसआर समिति की भूमिका/उत्तरदायित्वों में निम्न कार्य शामिल होगाः

(i) सीएसआर नीति तैयार करना व अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल के समक्ष सिफारिश करना।

(ii) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में उल्लिखित सीएसआर कार्यकलापों की सिफारिश करना।

(iii) उपर्युक्त खंड (ii) में संदर्भित कार्यकलापों पर होने वाले व्यय के लिए सीएसआर बजट की सिफारिश।

(iv) निदेशक मंडल के अनुमोदन के बाद सीएसआर कार्यकलापों के लिए आबंटित राशि खर्च करना।

(v) कंपनी की सीएसआर नीति की समय–समय पर मॉनीटरिंग करना।

(vi) सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए पारदर्शी मानीटरिंग प्रणाली बनाना।

(vii) प्रत्येक मामले में 50 लाख रुपए एवं उससे अधिक के आर्थिक मूल्य की परियोजनाएं/कार्यक्रम/कार्यकलापों

को अनुमोदित करना।

(viii) किसी भी मूल्य की परियोजनाए/कार्यक्रम/कार्यकलाप अनुमोदित करना, जो एआईएटीएसएल के फोकस क्षेत्र के बाहर हों ।

**ख. <u>सीएसआर कार्य समिति</u>**

सीएसआर कार्य समिति के सदस्यः

(i) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष

(ii) वित्त प्रमुख

(iii) कार्मिक प्रमुख

(iv) कंपनी सचिव

सीएसआर कार्य समिति की भूमिका एवं उत्तरदायित्वों में शामिल हैः

(i) विभिन्न स्थानों से प्राप्त सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/कार्यकलापों के लिए प्रस्तावों की समीक्षा करना।

(ii) अनुमोदित आबंटित बजट में से 10 लाख रुपए से कम मूल्य के प्रस्तावों को अनुमोदित करना।

**III** सीएसआर के ध्यानार्थ क्षेत्र – परियोजनाएं/कार्यक्रम/कार्यकलाप

(क) एआई एपीएस सीएसआर के ध्यानार्थ क्षेत्र की परियोजनाएं/कार्यक्रम/कार्यकलाप बाल, महिला एवं समाज के कमजोर वर्ग के विकास के लिए बनी राष्ट्रीय विकास नीतियों से प्रेरित हैं और बाल अधिकार, बाल विकास एवं शिक्षा, राष्ट्रीय कौशल विकास अभियान, स्वच्छ भारत अभियान एवं समाज/ग्रामीण विकास पर बनी नीतियों पर आधारित कानूनों से प्रेरणा प्राप्त करती है।

(ख) कंपनी का प्रस्ताव अपनी सीएसआर कार्यकलाप निम्न क्षेत्रों में कार्यान्वित करने का हैः

- शिक्षा
- कौशल विकास
- पर्यावरण एवं सामाजिक विकास
- पीने का पानी
- ग्रामीण विकास
- शिशु देखभाल
- प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण
- कला एवं संस्कृति का संवर्धन एवं विकास
- जन पुस्तकालय
- पारंपरिक कला एवं हस्थशिल्प संवर्धन एवं विकास
- खेलकूद
- स्वास्थ्य एवं पोषण

(ग) उपर्युक्त प्रत्येक क्षेत्र में परियोजनाओं/कार्यक्रमों/कार्यकलापों का विस्तृत ब्यौरा प्राधिकार मैनुअल की सीमाओं के अनुसार अनुमोदित किया जाएगा ।

(घ) उपर्युक्त के अलावा अन्य क्षेत्र में किसी परियोजना/कार्यक्रम/कार्यकलापों को करने से पहले सीएसआर समिति का अनुमोदन लिया जाएगा।

(ङ) ये परियोजनाएं/कार्यक्रम/कार्यकलाप निम्न में से किसी भी स्थान पर की जाएंगीः

- एआईएपीएस प्रचालन क्षेत्र/स्थान के समीप के क्षेत्र में,

- योजना आयोग द्वारा चिन्हित पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (बीआरजीएफ) जिलों में,
- जहां एआईएपीएस का नीतिगत संबंध है।

(च) सीएसआर परियोजनाएं/कार्यक्रम/कार्यकलाप का कार्यान्वयन भागीदारों/विशिष्ट एजेंसियों के माध्यम से की जाएंगी। कार्यान्वयन भागीदार के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड निम्नानुसार है:

- कोई पंजीकृत सोसायटी, ट्रस्ट, कंपनी या कोई विशिष्ट एजेंसी, जिसे पंजीकरण के पश्चात इस प्रकार की कार्यकलापों की हैंडलिंग में तीन वर्ष का अनुभव हो ।
- किसी सरकारी निकाय अथवा पब्लिक सैक्टर उद्यम में कार्य करने का अनुभव रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी ।

तथापि, कार्यान्वयन भागीदार का चयन करते समय चयन प्राधिकारी आवेदक से अनिवार्य आधार पर किसी अन्य योग्यता की मांग कर सकता है।

IV <u>सीएसआर बजट/सीएसआर व्यय</u>

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, एआई एपीएस पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों केदौरान कंपनी के शद्ध लाभ का औसतन कम से कम 2 प्रतिशत सीएसआर बजट के रूप में अलग रखेगी ।

(ii) <u>बजटीय आबंटन</u>:

(क) बजट का कम से कम 60 प्रतिशत प्रोजेक्ट मोड में कार्यकलापों के लिए आबंटित किया जाएगा ।

(ख) क्षमता निर्माण एवं कम्यूनिकेशन के लिए बजट की 5 प्रतिशत तक राशि आबंटित की जाएगी ।

(ग) शेष बजट एक बार अथवा अन्य सामाजिक कार्यकलापों के लिए होगा ।

(घ) यदि कंपनी किसी विशेष वित्तीय वर्ष में बजट व्यय नहीं करती, तो समिति को राशि व्यय न करने के कारणों का उल्लेख करते हुए निदेशक मंडल के पास लिखित रूप में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसका उल्लेख बोर्ड द्वारा उस वित्तीय वर्ष की निदेशकों की रिपोर्ट में किया जाएगा। सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/कार्यकलापों के कारण हुआ कोई अतिरिक्त व्यय कंपनी के कारोबार लाभ का हिस्सा नहीं होगा ।

V <u>मानीटरिंग प्रणाली</u>

(i) मानीटरिंग प्रक्रिया दो स्तरीय तंत्र होगा जो इस प्रकार होगा

(क) तिमाही आधार पर सीएसआर समिति ।

(ख) निकायों की सीएसआर कार्य समिति एवं प्रतिनिधि, जिनके साथ कंपनी जुड़ना चाहती है, वे सीएसआर समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/कार्यक्रमों/कार्यकलापों के प्रभावी कार्यान्वयन एवं मानिटरिंग का सुनिश्चय करेंगे। वे समिति द्वारा अनुमोदित विभिन्न परियोजनाओं/कार्यक्रमों/कार्यकलापों की प्रगति के बारे में सीएसआर समिति को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

(ii) उपर्युक्त के अतिरिक्त, वर्ष के अंत में बृहत परियोजनाओं के तीसरा पक्ष प्रभाव का मूल्यांकन किया जाएगा।

VI. <u>सीएसआर नीति एवं कार्यक्रमों का प्रकाशन</u>

सीएसआर नियमों के अनुसार, सीएसआर नीति की विषयवस्तु निदेशकों की रिपोर्ट में शामिल की जाएगी औरउसे कंपनी की वेबसाइट पर दर्शाया जाएगा ।

VII. <u>नीति समीक्षा एवं भावी संशोधन</u>

समिति अपनी सीएसआर नीति की वार्षिक समीक्षा करेगी और आवश्यकतानुसार उपयुक्त सुधार करेगी तथाउसे बोर्ड के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगी ।

अनुबंध–।।

# एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (पूर्व में एअर इंडिया एयर ट्रांस्पोर्ट सर्विसेस लिमिटेड)
## सीएसआर कार्यकलापों पर परियोजना रिपोर्ट
## वित्तीय वर्ष 2020–21

**1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा**

- कंपनी के निदेशक मंडल ने एक सीएसआर नीति अपनाई है, जिसमें शिक्षा, कौशल विकास, महिला सशक्तीकरण, पर्यावरण, ग्रामीण विकास, बाल और महिला स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में सीएसआर कार्यकलापों का कार्यान्वयन किया जाना शामिल है। कंपनी की नीति उच्च प्रभाव, सतत कार्यक्रमों द्वारा समाज में सकारात्मक योगदान करने पर ध्यान केंद्रित करना है। सीएसआर बजट का कम से कम 60 प्रतिशत परियोजना मोड में सीएसआर कार्यकलापों के लिए आबंटित किया जाएगा। कंपनी सामाजिक उत्थान के लिए कमजोर, अपेक्षित और सीमांत वर्गों को सशक्त बनाने के लिए सीएसआर कार्यकलापों का कार्यान्वयन करेगी।
- सीएसआर ध्यानार्थ क्षेत्र परियोजनाएं/कार्यक्रम/कार्यकलाप राष्ट्रीय विकास नीतियों से प्रेरित हैं और सीएसआर नीति में किए गए उल्लेख के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। इन कार्यकलापों को कंपनी के प्रचालन क्षेत्र, योजना आयोग द्वारा चिन्हित बीआरजीएफ जिलों और जहां कंपनी के रणनीतिक संबंध थे, उन क्षेत्रों में किया जा सकता है।
- सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/कार्यकलापों का कार्यान्वयन भागीदारों/विशेष एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा, जिनका चयन निर्धारित मानदंड के अनुसार किया जाएगा।
- कंपनी की सीएसआर नीति की एक संक्षिप्त रूपरेखा, जिसमें प्रस्तावित परियोजनाओं या कार्यक्रमों का अवलोकन शामिल है, को कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.aiatsl.com पर देखा जा सकता है।

**2. सीएसआर समिति की संरचना**

| क्र. सं | निदेशक का नाम | निदेशक का पद/प्रकृति | वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या | वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों में उपस्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री राजीव बंसल | अध्यक्ष | 6 | 6 |
| 2. | श्री वी.ए.पटवर्धन | सदस्य | 6 | 6 |
| 3. | श्री एस.के.मिश्रा | सदस्य | 6 | 6 |
| 4. | श्रीमती अमृता शरण | सदस्य | 6 | 4 |

**3. वेब–लिंक प्रदान करें, जहां कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का प्रकटन किया गया है:**

| क्र. सं. | विवरण | वेबलिंक |
|---|---|---|
| 1. | सीएसआर समिति की संरचना | http://www.aiatsl.com/resources/Composition%20of%20CSR%20Committee.PDF |
| 2. | सीएसआर नीति | http://www.aiatsl.com/resources/CSR%20Policy.pdf |
| 3. | बोर्ड द्वारा अनुमोदित परियोजनाएं | http://www.aiatsl.com/resources/CSR%20Activity%202020-21.PDF |

4. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014, यदि लागू हो, के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें (रिपोर्ट संलग्न करें)।

   लागू नहीं।

5. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप–नियम (3) के अनुसरण में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि का विवरण और वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो का विवरण प्रदान करें:

   लागू नहीं

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभः

   रू. 1,182,987,656/–

7. (क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशतः रू. 2,36,59,751/–

   (ख) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेषः शून्य

   (ग) वित्तीय वर्ष के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई होः लागू नहीं

   (घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क+ 7ख+ 7ग) : रू. 2,36,59,751/–

8. (क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई/खर्च न की गई सीएसआर राशि :

| वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (रूपए में) | खर्च न की गई राशि (रूपए में) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | धारा 135(6) के अनुसार खर्च न किए गए सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि | | धारा 135/5 के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची–7 के अंतर्गत विनिर्दिष्ठ किसी निधि में अंतरित राशि | | |
| | | | निधि का नाम | | |
| | राशि | अंतरण की तिथि | | राशि | अंतरण की तिथि |
| 538,90,383/- | . | . | | | |

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं के प्रति खर्च की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा :

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. सं. | परियोजना का नाम | अधिनियम की अनुसूची–7 में गतिविधियों की सूची से मद | स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं ) | परियोजना का स्थल | | परियोजना की अवधि | परियोजना के लिए आवंटित राशि (रूपए में) | चालू वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि | धारा 135/6 के अनुसार परियोजना के लिए अव्यय सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रूपए में) | कियान्यन का माध्यम | कियान्वयन एजेंसी के माध्यम से कियान्वयन का माध्यम | |
| | | | | राज्य | जिला | | | | | | नाम | सीएसआर पंजीकरण सं. |

**ग) वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं से इतर के प्रति खर्च की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा :**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र.सं. | परियोजना का नाम | अधिनियम की अनुसूची–7 में गतिविधियों की सूची से मद | स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं ) | परियोजना का स्थल | | परियोजना पर खर्च की गई राशि (रूपए में) | कियान्यन का माध्यम | कियान्वयन एजेंसी के माध्यम से कियान्वयन का माध्यम | |
| | | | | राज्य | राज्य | | | नाम | सीएसआर पंजीकरण सं. |
| 1ए | इग्रुआ | शिक्षा का संवर्धन | नहीं | यूपी | अमेठी | 5,38,90,383 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | कुल | | | | | 5,38,90,383 | | | |

**(घ) प्रशासनिक उपरिव्यय में खर्च की गई राशिः शून्य**

**(ड.) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू होः लागू नहीं**

**(च) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (8ख+8ग+8घ+8ड.): 5,38,90,383**

**(छ) समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो**

| क्र.सं. | विवरण | राशि/रूपए में |
|---|---|---|
| (i) | धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत | - |
| (ii) | वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि | - |
| (iii) | वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)] | - |
| (iv) | पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियाँ, यदि कोई हों, से उत्पन्न अधिशेष या | - |
| (v) | आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)] | - |

**9 (क) पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए खर्च न की गई सीएसआर राशि का ब्यौराः**

| क्र.सं. | पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष | धारा 135/6 के अनुसार परियोजना के लिए अव्यय सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रूपए में) | रिपोर्टिंग वर्ष में खर्च की गई राशि (रूपए में) | धारा 135/6 के अनुसार परियोजना के लिए अव्यय सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रूपए में) | | | आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च न की गई राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | निधि का नाम | राशि (रूपए में) | अंतरण की तिथि | |
| 1 | 2018-19 | - | 3,31,41,569 | - | - | - | - |
| 2 | 2019-20 | - | 2,07,48,814 | | | | - |
| | कुल | | 5,38,90,383 | | | | |

**(ख) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का ब्यौराः**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र.सं. | परियोजना आईडी | परियोजना का नाम | वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी | परियोजना अवधि | परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रुपये में) | रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (रुपये में) | वित्तीय वर्ष की रिपोर्टिंग के अंत में खर्च की गई संचयी राशि। (रुपये में) | परियोजना की स्थिति –पूरा हुआ/ चालू |
| 1. | | | | | | | | |
| | कुल | | | | | | | |

**10. पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में सीएसआर खर्च के माध्यम से बनाई या अर्जित की गई संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें (परिसंपत्ति–वार विवरण)ः लागू नहीं**

**(क) पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि।**

लागू नहीं

**(ख) इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण, उनका पता आदि, जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है,**

लागू नहीं

**(ग) सृजित या अधिग्रहीत पूंजीगत संपत्ति (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) का विवरण प्रदान करेंः**

लागू नहीं

**(घ) यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण बताएं,**

कंपनी को वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर 7,75,50,134/– रूपए (2020–21 के 2,36,59,751/– रुपये और पिछले कुछ वर्षों से 5,38,90,383/– अव्ययित) खर्च करने की आवश्यकता थी। कंपनी ने 2020–21 के दौरान रु. 5, 38, 90,383/– इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (इग्रुआ) को शिक्षा के प्रचार के लिए प्रदान किए। हालांकि, यह देखते हुए कि सीएसआर खर्च के वांछित स्तर को पूरा नहीं किया जा सका, इस मामला को दिनांक 31 मार्च 2021 की बैठक में सीएसआर समिति और बोर्ड के समक्ष रखा गया, जिसमें बोर्ड ने जल्द से जल्द लेकिन 30.09.2021 से पूर्व 2,36, 59,751/– पीएम केयर फंड में योगदान करने का निर्णय लिया।

**एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के लिए**
**(पूर्व में एअर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड)**

**ह/–**
**राजीव बंसल**
**अध्यक्ष, सीएसआर समिति**

**ह/–**
**रामबाबू सी.एच**
**मुख्य कार्यकारी अधिकारी**

**ह/–**
**शशी भदूला**
**कंपनी सचिव**

**ह/–**
**राजेश नारायण**
**मुख्य वित्तीय अधिकारी**

अनुलग्नक– III

## वर्ष 2020–21 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक
## फॉर्म संख्या एमजीटी 9–वार्षिक विवरणी से उद्धरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(3) के अनुसरण में

**I. पंजीकरण तथा अन्य विवरणी:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | सीआईएन | यू63090डीएल2003पीएलसी120790 |
| 2. | पंजीकरण की तारीख | 9 जून, 2003 |
| 3. | कंपनी का नाम | **एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (पूर्व में एअर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड)** |
| 4. | कंपनी की श्रेणी / उप–श्रेणी | सरकारी कंपनी |
| 5. | पंजीकृत कार्यालय का पता तथा संपर्क विवरण | दूसरा तल, जीएसडी भवन, एअर इंडिया परिसर, टर्मिनल–2, आईजीआई हवाईअड्डा, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली–110037, भारत |
| 6 | क्या सूचीबद्ध कंपनी है | जी, नहीं |
| 7. | पंजीकार एवं अंतरण एजेंट, यदि कोई हों, का नाम, पता और संपर्क विवरण | लिंक इंनटाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सी–101, 247 पार्क, एल.बी.एस मार्ग, विखरोली(वेस्ट), मुंबई –400083, +91 22 49186000 |

**II. कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियां** (कंपनी के कुल टर्नओवर का 10% अथवा उससे अधिक अंशदान करने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों का उल्लेख करें)

| क्र.सं. | मुख्य उत्पादों / सेवाओं का नाम तथा विवरण | उत्पाद / सेवा का एनआईसी कोड | कंपनी के कुल टर्नओवर का % |
|---|---|---|---|
| I. | वायु परिवहन की नैमेतिक सेवा गतिविधियां | 522 | 100 |

**III. होल्डिंग, सहायक तथा सहयोजित कंपनी का विवरण:**

| क्र.सं. | कंपनी का नाम एवं पता | सीआईएन / जीआईएन | होल्डिंग / सहायक / सहयोजित | शेयरों का % | लागू धारा |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | एअर इंडिया दलिमिटेड एयरलाइन्स हाऊस, 113, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली – 110001. | यू62200डीएल2007जीओ आई161431 | NBVC./ होल्डिंग | 100% | 2 (46) |

**IV. शेयर धारिता का पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का ब्यौरा)**

| शेयरधारकों की श्रेणी | वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या (01.04.2020 को) | | | | वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31.03.2021 को) | | | | वर्ष के दौरान % में परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | डिमैट | वास्तविक | कुल | कुल शेयरों का % | डिमैट | वास्तविक | कुल | कुल शेयरों का % | |
| क. प्रवर्तक | | | | | | | | | |
| (1) भारतीय | | | | | | | | | |
| (क) वैयक्तिक/हिंदू संयुक्त परिवार | | | | | | | | | |
| (ख) केन्द्र सरकार | | | | | | | | | |
| (ग) राज्य सरकार (रें) | | | | | | | | | |
| (घ) निगमित निकाय | 138424191 | 9 | 138424200 | 100 | 138424191 | 9 | 138424200 | 100 | |
| (ङ) बैंक/वित्तीय संस्थान | | | | | | | | | |
| (च) कोई अन्य | | | | | | | | | |
| प्रवर्तक (क) की कुल शेयर धारिता | 138424191 | 9 | 138424200 | 100 | 138424191 | 9 | 138424200 | 100 | |
| ख. सार्वजनिक शेयरधारिता | लागू नहीं | | | | | | | | |
| 1. संस्थाएं | | | | | | | | | |
| (क) म्युचुअल फंड/ यूटीआई | | | | | | | | | |
| (ख) बैंक/वित्तीय संस्था | | | | | | | | | |
| (ग) केन्द्र सरकार | | | | | | | | | |
| (घ) राज्य सरकार (सरकारें) | | | | | | | | | |
| (ङ) वेंचर कैपिटल फंड | | | | | | | | | |
| (च) बीमा कंपनियां | | | | | | | | | |
| (छ) वित्तीय संस्थान | | | | | | | | | |
| (ज) विदेशी वेंचर कैपिटल फंड | | | | | | | | | |
| (झ) अन्य (स्पष्ट करें) विदेशी बैंक | | | | | | | | | |
| उप–जोड़ (ख) (1) | - | - | - | - | - | | - | - | - |

## श्रेणीवार शेयरधारिता

| शेयरधारकों की श्रेणी | वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या (01.04.2020 को) | | | | वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31.03.2021 को) | | | | वर्ष के दौरान % में परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | डिमैट | वास्तविक | कुल | कुल शेयरों का % | डिमैट | वास्तविक | कुल | कुल शेयरों का % | |
| **2. गैर–संस्थाएं** | **लागू नहीं** | | | | | | | | |
| (क) निगमित निकाय (मार्केट मेकर + एलएलपी) | | | | | | | | | |
| i) भारतीय | | | | | | | | | |
| ii) विदेशी | | | | | | | | | |
| ख) वैयक्तिक | | | | | | | | | |
| i) 1 लाख रुपए तक अंकित शेयर पूंजी धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक | | | | | | | | | |
| ii) 1 लाख रुपए से अधिक अंकित शेयर पूंजी धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक | | | | | | | | | |
| ग) अन्य (स्पष्ट करें) | | | | | | | | | |
| i) अनिवासी भारतीय | | | | | | | | | |
| ii) अनिवासी भारतीय – गैर प्रत्यावर्तित | | | | | | | | | |
| iii) कार्यालय पदधारक | | | | | | | | | |
| iv) निदेशकगण | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v) हिंदू संयुक्त परिवार | | | | | | | | | |
| vi)विदेशी निगमित निकाय | | | | | | | | | |
| vii)विदेशी नागरिक | | | | | | | | | |
| viii) क्लीयरिंग सदस्य | | | | | | | | | |
| ix) न्यास | | | | | | | | | |
| x)विदेशी निकाय – डी आर | | | | | | | | | |
| उप–जोड़ (ख) (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख) = (ख)(1)+ (ख)(2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ग. जीडीआर एवं एडीआर के लिए अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| कुल योग (क+ख+ग) | | 138424191 | 9 | 100 | 138424191 | 9 | 138424200 | 100 | |

**ख) प्रवर्तक की शेयरधारिता**

| क्र सं. | शेयरधारक का नाम | वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता | | | वर्ष के अंत में शेयरधारिता | | | वर्ष के दौरान शेयर धारिता में % परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का % | गिरवी रखे गए शेयर/ भारग्रस्त शेयरों का% | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का % | गिरवी रखे गए शेयर/ भारग्रस्त शेयरों का% | |
| 1. | एअर इंडिया लिमिटेड | 138424200 | 100 | शून्य | 138424200 | 100 | शून्य | 0-00 |

**ग) प्रवर्तक की शेयरधारिता में परिवर्तन(यदि कोई परिवर्तन नहीं है, तो कृपया स्पष्ट करें)**

| क्र सं. | विवरण | वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता | | वर्ष के अंत में संचित शेयरधारिता | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का % | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का % |
| | **वर्ष के आरंभ में** | | | | |
| | एअर इंडिया लिमिटेड | 138424200 | 100 | 138424200 | 100 |
| | **वर्ष के अंत में** | | | | |
| | एअर इंडिया लिमिटेड | 138424200 | 100 | 138424200 | 100 |

**घ) दस शीर्ष शेयरधारकों की शेयरधारिता का पैटर्न : (निदेशकगण, प्रवर्तक तथा जीडीआर एवं एडीआर के अलावा):**

| क्र. सं. | 10 शीर्ष शेयरधारको में से प्रत्येक के लिए | वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता | वर्ष के अंत में संचित शेयरधारिता |
|---|---|---|---|

| | | शेयरों की संख्या | कंपनी के शयरों का कुल प्रतिशत | शेयरों की संख्या | कंपनी के शयरों का कुल प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | लागू नहीं | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |

**ङ) निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता:**

| क्र. सं. | प्रत्येक निदेशकगण तथा प्रत्येक मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता | वर्ष के आरंभ में धारित शेयर | | वर्ष के अंत में धारित संचित शेयरधारिता | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का % | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का % |
| 1 | श्री राजीव बंसल (एअर इंडिया लिमिटेड के नामिति) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | श्री अमृता शरण (एअर इंडिया लिमिटेड के नामिति) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | **कुल** | 2 | 0 | 2 | 0 |

**V. ऋणग्रस्तता – बकाया ब्याज/अर्जित परंतु भुगतान के लिए देय नहीं सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता**

(करोड़ रुपए में)

| | जमा को छोड़कर रक्षित ऋण | अरक्षित ऋण | जमा | कुल ऋणग्रस्तता |
|---|---|---|---|---|
| वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i) मूल राशि | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ii) भुगतान न किया गया देय ब्याज | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iii) प्रोद्भूत ब्याज परंतु देय नहीं | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कुल (i+ii+iii) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * परिवर्धन | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * कमी | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| निवल परिवर्तन | 0 | 0 | 0 | 0 |
| वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i) मूल राशि | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ii) भुगतान न किया गया देय ब्याज | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iii) प्रोद्भूत ब्याज परंतु देय नहीं | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कुल (i+ii+iii) | 0 | 0 | 0 | 0 |

**VI. निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक**

**क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों तथा/या प्रबंधक को दिया जाने वाला पारिश्रमिक :**

(आंकडे रूपये में)

| क्र.सं. | पारिश्रमिक का विवरण | प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम | | | | | कुल राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सकल वेतन | | | | | | |
| | (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन | | | | | | |
| | (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलब्धियों का मूल्य | | | | | | |
| | (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अधीन वेतन के बदले में लाभ | | | | | | |
| 2 | स्टॉक विकल्प | | | | | | |
| 3 | स्वेट इक्विटी | | | | | | |
| 4 | अन्य के लाभ का प्रतिशत बतौर कमीशन, उल्लेख करें | | | | | | |
| 5 | अन्य (पीएफ, डीसीएस, हाउस पर्क्स टैक्स आदि) | | | | | | |
| | **कुल** (क) | | | | | | |
| | अधिनियम के अनुसार सीमा | | | | | | |

***कंपनी में कोई प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक नहीं हैं ।**

**ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक**

| क्र.सं. | पारिश्रमिक का विवरण | निदेशकों के नाम | | | | | कुल राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | स्वतंत्र निदेशक | | | | | | |
| | बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए शुल्क | | | | | | |
| | कमीशन | - | - | - | - | - | - |
| | अन्य, कृपया स्पष्ट करें (बोर्ड उप–समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए शुल्क) | - | - | - | - | - | - |
| | **कुल** (1) | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | अन्य गैर अधिशासी निदेशक | - | - | - | - | - | - |
| | बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए शुल्क | - | - | - | - | - | - |
| | कमीशन | - | - | - | - | - | - |
| | अन्य, कृपया स्पष्ट करें | - | - | - | - | - | - |
| | **कुल** (2) | - | - | - | | - | - |
| | **कुल** (ख) = (1 + 2) | - | - | - | - | - | - |
| | कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक | - | - | - | - | - | - |
| | अधिनियम के अनुसार समग्र सीमा | - | - | - | - | - | - |

**ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशकों के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक**

**(आंकड़े मिलियन में)**

| **क्र. सं.** | **पारिश्रमिक का विवरण** | **मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **मुख्य अधिशासी अधिकारी** | **कंपनी सचिव** | **मुख्य वित्त अधिकारी** | **मुख्य अधिशासी अधिकारी** |
| 1 | सकल वेतन | — | ' | ' | 4.54 |
| | (क)आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन | | - | - | |
| | (ख)आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलब्धियों का मूल्य | - | - | - | |
| | (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले में लाभ | - | - | - | |
| 2 | स्टॉक विकल्प | - | - | - | |
| 3 | स्वेट इक्विटी | - | - | - | |
| 4 | कमीशन | - | - | - | |
| | लाभ के % के रूप में | - | - | - | |
| | अन्य स्पष्ट करें | - | - | - | |
| 5 | अन्य (पीएफ, डीसीएस, हाउस पर्क्स टैक्स आदि) | - | - | - | |
| | **कुल** | | - | - | |

## VII. दंड/सज़ा/अपराधों की कंपाउंडिंग

| **प्रकार** | **कंपनी अधिनियम की धारा** | **संक्षिप्त विवरण** | **दंड/सज़ा/कंपाउंडिंग फीस का विवरण** | **प्राधिकरण (आरडी/एनसीएलटी/कोर्ट)** | **अपील, यदि की गई है (विवरण दें)** |
|---|---|---|---|---|---|
| **क. कंपनी** | | | | | |
| दंड | - | - | - | - | - |
| सजा | - | - | - | - | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| कंपाउंडिंग | - | - | - | - | - |
| **ख. निदेशकगण** | | | | | |
| दंड | - | - | - | - | - |
| सज़ा | - | - | - | - | - |
| कंपाउंडिंग | - | - | - | - | - |
| **ग. चूक करने वाले अन्य अधिकारी** | | | | | |
| दंड | - | - | - | - | - |
| सज़ा | - | - | - | - | - |
| कंपाउंडिंग | - | - | - | - | - |

# 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी
(प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में)

**सेवा में**
**सदस्य,**
**एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड,**
**(पूर्व में एअर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड)**

हमने एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड, (इसके बाद '**कंपनी**' के नाम से जानी जाएगी) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन एवं उचित निगमित कार्यप्रणाली के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार से की गई है जिससे मुझे निगमित कार्यों/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने एवं उस पर अपनी राय व्यक्त करने हेतु एक उचित आधार मिला और उस पर अपनी राय व्यक्त कर सका।

कंपनी की बहियों, दस्तावेज़ों, कार्यवृत्त की बहियों, दायर किए गए फॉर्मों एवं विवरणियों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य अभिलेखों के मेरे सत्यापन के आधार पर और इसके अलावा कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों, सचिवीय लेखापरीक्षा करते समय प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर और हमें दिए गए स्पष्टीकरण और प्रबंधन द्वारा दिए गए अभ्यावेदन के आधार पर मैं एतदद्वारा रिपोर्ट करता हूं कि कंपनी ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा अवधि को रक्षित करते हुए, इसके अंतर्गत सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और इसके अतिरिक्त कंपनी के पास इसके नीचे दी गई रिपोर्टिंग की पद्धति से और उसके अधीन, कंपनी के पास उपयुक्त व्यापक आधार की प्रक्रियाएं एवं अनुपालन प्रणाली मौजूद है :

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा बहियों, कागज़ातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फाइल किए गए रिटर्न एवं शर्तें तथा कंपनी द्वारा रखे जा रहे अन्य रिकार्डों की जांच की है, जो निम्न हैं :

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) एवं उसके अधीन बनाए गए नियम (जहां तक वे लागू हों);

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम एवं उप विधियां;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एवं बाह्य वाणिज्यिक ऋण की सीमा तक;

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के अंतर्गत विहित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश :–

  (क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों एवं टेक ओवर्स का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011;

  (ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (आंतरिक व्यापार निषेध) विनियम, 2015;

  (ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन अपेक्षां) विनियम, 2009;

  (घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी हितलाभ) विनियम 2014;

  (ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों के निर्गम और लिस्टिंग) विनियम, 2008;

  (च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (निर्गम पंजीकार तथा शेयर स्थानांतरण एजेंट) विनियम, 1993, जो कंपनी अधिनियम एवं ग्राहक के साथ व्यवहार करने के संबंध में है;

  (छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2009 एवं;

(ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापस खरीद) विनियम, 1998

(vi) कंपनी पर लागू अन्य कानूनों के अंतर्गत अनुपालनों/प्रक्रियाओं/प्रणालियों का हमारे द्वारा सत्यापन नहीं किया गया है : मैंने निम्न प्रयोज्य खंडों के अनुपालन की भी जांच की है :

(क) इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेकरेटरी ऑफ इंडिया द्वारा समय समय पर जारी यथा संशोधित सचिवीय मानक– *सामान्यत अनुपालन किया जाता है।*

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग की बाध्यताएं तथा प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 – लागू नहीं।

(ग) सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट शासन पर डीपीई दिशानिर्देश।

समीक्षाधीन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने निम्न प्रेक्षणों के अधीन उपर्युक्त उल्लिखित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों के प्रावधानों का सामान्यतः अनुपालन किया है :

*i. कंपनी ने 01.04.2020 से 10.09.2020 तक की अवधि के दौरान कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 3 साथ पठित धारा 149 (1) के दूसरे प्रावधान के तहत आवश्यकतानुसार महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं की है।*

हम आगे यह भी सूचित करते हैं कि कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में हुए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए हैं।

सामान्यत, बोर्ड की बैठकों के संबंध में सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी गई, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेज दिए गए और बैठक के पहले और बैठक में सार्थक प्रतिभागिता के लिए कार्यसूची की मदों पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण लेने और प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है ।

प्रबंधन द्वारा जैसा प्रतिनिधित्व किया गया, बोर्ड की बैठकों में सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए ।

**हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि** प्रयोज्य विधियों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी करने एवं उन्हें सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार एवं प्रचालनों के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां एवं प्रक्रियाएं मौजूद हैं ।

**हमं आगे रिपोर्ट करते हैं कि** लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, ऊपर संदर्भित कानून के अनुसरण में कोई विशिष्ट घटना/कार्रवाई नहीं हुई जिसका कंपनी के मामलों पर भारी प्रभाव पड़े।

ह/–
**कृते अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स**
**कंपनी सचिव**
**(आईसीएसआई यूनिक कोड स.पी2003डीई49100)**
**पीयर समीक्षा प्रमाणपत्र संख्या :626/2019**

ह/–
**सीएस धीरज कुमार पांडेय**
**साझेदार**
**एसीएस सं.: 46269**
**सीपी सं.: 24308**

**स्थान : नई दिल्ली**
**दिनांक : 27.07.2021**
**यूडीआईएन : A046269C000693432**

**नोट :** यह रिपोर्ट हमारे समसंख्यक दिनांक के पत्र के साथ पढ़ी जाए, जो '**अनुबंध–क**' के रूप में संलग्न किया गया है और इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है ।

**'अनुबंध–क'**

**सेवा में**
**सदस्यगण,**
**एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड,**

समसंख्यक दिनांक की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाए :

1. सचिवीय अभिलेखों का अनुरक्षण करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर राय व्यक्त करना है ।
2. हमने, सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की यथार्थता के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा चलनों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है। सत्यापन परीक्षण जांच के आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य प्रतिबिंबित हों। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं एवं चलन हमारी राय के लिए युक्तिसंगत आधार प्रदान करती हैं ।
3. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों एवं लेखा बहियों की यथार्थता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है और हमारी रिपोर्ट में अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा पहले से इंगित अवलोकनों/टिप्पणियों/कमियों को शामिल नहीं किया गया है।
4. जहां कहीं अपेक्षित हुआ है, मैंने विधियों, नियमों और विनियमों तथा घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है ।
5. निगम एवं अन्य प्रयोज्य विधियों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है । हमारा परीक्षण, परीक्षण जांच के आधार पर क्रियाविधियों के सत्यापन तक तथा यह मत प्रस्तुत करने तक सीमित था कि क्या कंपनी ने उचित बोर्ड प्रक्रियाओं और प्रस्तुत अनुपालन तंत्र का अनुपालन किया है या नहीं।
6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का कोई आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावकारिता के बारे में कोई आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी का कारोबार किया है।
7. देश में लॉकडाउन/आवागमन पर प्रतिबंध और कोविड–19 वैश्विक महामारी के कारण मौजूदा परिस्थितियों ने कंपनी के रिकॉर्ड/दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन को प्रभावित किया है।

ह/–
**कृते अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स**
**कंपनी सचिव**
**(आईसीएसआई यूनिक कोड स.पी2003डीई49100)**
**पीयर समीक्षा प्रमाणपत्र संख्या :626/2019**

ह/–
**सीएस धीरज कुमार पांडेय**
**साझेदार**
**एसीएस सं.: 46269**
**सीपी सं.: 24308**

**स्थान : नई दिल्ली**
**दिनांक : 27.07.2021**
**यूडीआईएन : A046269C000693432**

**31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 143(6)(ख) के अंर्तगत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।**

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (एआईएएसएल) के वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कम्पनी के प्रबंधन का है। अधिनियम के अनुच्छेद 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम के अनुच्छेद 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखांकन संबंधी मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षण के आधार पर अधिनियम के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह उल्लेखनीय है कि दिनाँक 13 सितंबर 2021 की उनकी लेखापरीक्षा रिर्पोट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(क) के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य दस्तावेजों पर पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है तथा यह सांविधिक लेखापरीक्षकों व कम्पनी के कार्मिकों की जांच तथा कुछ लेखांकन रिकार्डो की चुनिंदा जांच तक ही सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मैं अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो मेरे संज्ञान में आए हैं और जो मेरे विचार से वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के बहतर ज्ञान हेतु आवश्यक हैं।

**क. लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ**

**लाभ और हानि का विवरण**

**प्रचालन से राजस्व (नोट संख्या 19) – 289.25 करोड़ रूपए**

उपरोक्त में एआईएएसएल द्वारा एयरलाइनों को प्रदान की जाने वाली सेवा के लिए थाई एयरवेज को प्रस्तुत किए गए बिलों के लिए 4.62 करोड़ रुपये शामिल हैं। हालांकि, एआईएएसएल द्वारा उक्त एयरलाइनों को प्रस्तुत किए गए बिलों को एयरलाइनों द्वारा 'उड़ानों का प्रचालन नहीं करने और गलत मुद्रा' के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप, प्रचालन और व्यापार प्राप्य से राजस्व का अधिविवरण (ओवरस्टेटमेंट) हुआ है और इसके कारण, वर्ष के लिए हानि को 4.62 करोड़ रूपए कम परिकलित किया गया है।

**ख. प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ**

**आकस्मिक देयताएं (नोट संख्या 26) – 3.31 करोड़ रुपए**

उपरोक्त को 59.53 लाख रुपये से कम दर्शाया गया है क्योंकि इसमें (i) दो स्थायी कर्मचारियों के लंबित न्यायालयी मामलों के संबंध में 28.00 लाख रुपये और (ii) आय पर देय ब्याज के संबंध में 31.53 लाख रुपये की राशि कर मांग शामिल नहीं है।

**कृते एवं की ओर से**
**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**

**हस्ता/–**
**(विधु सूद)**
**प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक (अवसंरचना)**
**नई दिल्ली**

**स्थान : नई दिल्ली**
**दिनांक : 02 दिसंबर 2021**

**31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।**

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (एआईएएसएल) के वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कम्पनी के प्रबंधन का है। अधिनियम के अनुच्छेद 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम के अनुच्छेद 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखांकन संबंधी मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षण के आधार पर अधिनियम के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह उल्लेखनीय है कि दिनाँक 13 सितंबर 2021 की उनकी लेखापरीक्षा रिर्पोट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(क) के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य दस्तावेजों पर पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है तथा यह सांविधिक लेखापरीक्षकों व कम्पनी के कार्मिकों की जांच तथा कुछ लेखांकन रिकार्डों की चुनिंदा जांच तक ही सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मैं अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो मेरे संज्ञान में आए हैं और जो मेरे विचार से वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के बहतर ज्ञान हेतु आवश्यक हैं।

**क. लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ**

**लाभ और हानि का विवरण**

**प्रचालन से राजस्व (नोट संख्या 19) – 289.25 करोड़ रूपए**

उपरोक्त में एआईएएसएल द्वारा एयरलाइनों को प्रदान की जाने वाली सेवा के लिए थाई एयरवेज को प्रस्तुत किए गए बिलों के लिए 4.62 करोड़ रुपये शामिल हैं। हालांकि, एआईएएसएल द्वारा उक्त एयरलाइनों को प्रस्तुत किए गए बिलों को एयरलाइनों द्वारा 'उड़ानों का प्रचालन नहीं करने और गलत मुद्रा' के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप, प्रचालन और व्यापार प्राप्य से राजस्व का अधिविवरण (ओवरस्टेटमेंट) हुआ है और इसके कारण, वर्ष के लिए हानि को 4.62 करोड़ रूपए कम परिकलित किया गया है।

**प्रबंधन का उत्तरः**

थाई एयरवेज ने 4.62 करोड़ रुपये के बिल को अस्वीकार कर दिए। हालांकि, दिनांक 31 मार्च, 2021 तक उपरोक्त अस्वीकृति सत्यापन के अधीन थी। उचित सत्यापन के पश्चात, बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के पश्चात वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान इस अस्वीकृति को स्वीकार कर लिया गया था। इस प्रकार, दिनांक 31 मार्च, 2021 तक थाई एयरवेज द्वारा 4.62 करोड़ रुपये की अस्वीकृति को एआईएएसएल द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, जिसके कारण राजस्व वित्तीय वर्ष 2020–21 में राजस्व को रिवर्स नहीं किया गया था इसे वित्तीय वर्ष 2021–22 में किया गया था।

**ख. प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ**

आकस्मिक देयताएं (नोट संख्या 26) – 3.31 करोड़ रुपए

उपरोक्त को 59.53 लाख रुपये से कम दर्शाया गया है क्योंकि इसमें (i) दो स्थायी कर्मचारियों के लंबित न्यायालयी मामलों के संबंध में 28.00 लाख रुपये और (ii) आय पर देय ब्याज के संबंध में 31.53 लाख रुपये की राशि कर मांग शामिल नहीं है।

**प्रबंधन का उत्तर**

दो स्थायी कर्मचारियों, जिनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था, के वेतन के संबंध में, लंबित न्यायाधिकरण मामलों के विषय

में 28 लाख रुपये को निम्नलिखित कारणों से आकस्मिक देनदारियों (नोट संख्या 26) में शामिल नहीं किया गया थाः

– प्रबंधन को विश्वास है कि कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त करने के लिए उपयुक्त/आवश्यक प्रक्रिया का अनुपालन किया गया था और सेवा समाप्ति के आधार पूर्णत मान्य हैं।

– निर्धारित तिथि यथा दिनांक 31 मार्च, 2021 को यह मामला न्यायाधीन था।

– इस बात की प्रबल संभावना है कि इस मामले का निर्णय एआईएएसएल के पक्ष में होगा।

आयकर मांग पर देय ब्याज के संबंध में 31.53 लाख रुपये, क्योंकि कंपनी को आयकर विभाग से कोई मांग पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। यदि मांग पत्र प्राप्त होता है, तो उसका लेखांकन चालू वित्तीय वर्ष में किया जाएगा।

# स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

## एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (पूर्व में एअर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड) के सदस्यों हेतु

## वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण की रिपोर्ट

### अर्हक मत

हमने **एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड** (''कंपनी'') के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र और इस वर्ष की समाप्ति के लिए लाभ और हानि विवरण (अन्य वृहत आय सहित) और रोकड़ प्रवाह विवरण तथा वित्तीय विवरणों पर नोट सहित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और अन्य विवरणात्मक सूचना (जिसे यहां आगे ''वित्तीय विवरण'' कहा जाएगा) शामिल है।

हमारे मतानुसार तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारी रिपोर्ट के अर्हक मत हेतु आधार पैरा में वर्णित विषय के प्रभावों के निर्धारण/विनिर्धारण को छोड़कर, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के अंतर्गत की गई अपेक्षा के अनुसार भारत में सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार हैं तथा जिनसे दिनांक 31 मार्च 2021 को लाभ और हानि तथा कुल वृहत आय, इक्विटी परिवर्तन तथा रोकड़ प्रवाह की स्थिति प्रस्तुत होती हैं ।

### मत का अर्हक आधार

1. कंपनी ने निम्नलिखित लेखा शेषों को अग्रेषित किया है जो 31 मार्च 2021 को समाधान/समायोजन (यदि कोई हो) के लिए लंबित हैं।

   (क) कंपनी ने स्टशनों से प्राप्त भौतिक सेवा अभिलेखों के आधार पर आयटा प्लेटफार्म से ग्राउंड हैंडलिंग सेवा राजस्व हेतु लेखांकन किया है और विविध बिलिंग प्रणाली प्लेटफार्म के माध्यम से इसे बुक किया है। यह राजस्व ग्राहक से अस्वीकृति/समायोजन के मद्देजनर है।

   वर्ष के दौरान, कंपनी ने मार्च 2015, 2017, 2018, 2019 और 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए आईएटीए रिचार्ज शेष से डुप्लिकेट बिलिंग, अस्वीकार स्वीकार और स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) से संबंधित राशि को परिवर्तित कर दिया है, जो 169.30 मिलियन रुपये है। वित्त वर्ष 2017–18 तक इस तरह के परिवर्तन के पश्चात शेष राशि के लिए प्रावधान किया गया है। कंपनी ग्राहकों को पुनः बिल करने की प्रक्रिया में है और बकाया राशि की वसूली के लिए पत्राचार कर रही है। दिनांक 31 मार्च, 2021 को इसके संबंध में बकाया राशि 483.46 मिलियन रुपये है, जिसके प्रति कंपनी ने 268.81 मिलियन रुपये का अपेक्षित ऋण हानि भत्ता दिया है। हमने रिपोर्ट किए गए मूल्य के बराबर ऐसी शेष राशि की वसूली के लिए प्रबंधन के तर्क पर विश्वास किया है और इसलिए, इस संबंध में कोई और समायोजन करने की आवश्यकता नहीं है।

   (ख) कर्मचारियों के लाभों से संबंधित व्ययों को रिकार्ड करने या लेखांकन की प्रक्रिया स्वचालित नहीं है। सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान, भविष्य निधि, ईएसआईसी, व्यावसायिक कर, स्रोत पर कर कटौती के संबंध में विभिन्न सांविधिक गैरअनुपान देखे गए हैं। इसके अतिरिक्त, हम सूचित करते हैं कि कर्मचारी लाभ और वस्तु एवं सेवा कर संबंधी खातों में प्रतिकूल शेष रिपोर्ट किया गया है, जिनका समाधान किया जा रहा है और इन्हें निवल आधार पर रिपोर्ट किया गया है। हम वित्तीय विवरणों पर ऐसे शेषों के प्रभाव का पता लगाने में असमर्थ हैं। वस्तु और सेवा कर की शेष राशि, आयकर परिसंपत्तियां, व्यावसायिक कर और स्रोत पर कर कटौती का संबंधित सांविधिक विवरणों के साथ समाधान किया जा रहा है। कंपनी उक्त शेष राशि का मिलान करने और वित्तीय विवरणों पर प्रभाव का आकलन करने की प्रक्रिया में है। हम वित्तीय विवरणों पर ऐसे शेषों के प्रभाव का पता लगाने में असमर्थ हैं। हमने प्रबंधन के इस तर्क पर विश्वास किया है कि इस तरह की शेष राशि के समाधान से वित्तीय विवरणों पर वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसलिए, चालू वर्ष के लिए और किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं है।

(ग) कंपनी ने एअर इंडिया लिमिटेड और उसकी समूह कंपनियों के अलावा अन्य पक्षों को प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में हवाईअड्डा प्राधिकरण कर एकत्र किया है। दिनांक 31 मार्च, 2021 तक, पिछले छह वर्षों के लिए 913.03 मिलियन रुपये के कर को अन्य वित्तीय देयता के तहत वर्गीकृत किया गया है। यह राशि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के साथ सुलह की जा रही है। इस तरह के कर के समायोजन के लंबित होने के कारण वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव अनिश्चित है।

(घ) (i) कंपनी ने विभिन्न वाणिज्यिक परिसरों/वाहनों आदि के लिए पट्टों (खरीद/नवीनीकरण के विकल्प के साथ किन्तु उसी का शीर्षक अंततः स्थानांतरित किया जा सकता है या नहीं) में प्रवेश किया है, जो विभिन्न स्थानों/स्टेशनों/क्षेत्रों में फैले हुए हैं। कंपनी द्वारा पट्टा समझौते के मूल्यांकन के आधार पर, एअर इंडिया और उसकी सहायक कंपनियों के विनिवेश की स्थिति में समझोते को समाप्त कर दिया जाएगा। प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए, इसे रद्द करने योग्य पट्टे के आधार पर, यह इंडस्ट्रीज एएस 116–लीज अकाउंटिंग के तहत मान्यता के लिए योग्य नहीं है।

(ii) कंपनी धारक कंपनी द्वारा प्रदान की गई पट्टा सेवाओं, बिजली, बीमा, स्टाफ यात्रा, सामग्री प्रबंधन सेवाओं, आईटी सेवाओं आदि सहित सभी सेवाओं के विवरण को रेखांकित करते हुए एक व्यापक व्यवस्था में प्रवेश करने की प्रक्रिया में है। अनुमोदित मास्टर सेवा समझौते की अनुपस्थिति में, कंपनी इंड एएस 116 – पट्टा लेखांकन की आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए पट्टा दायित्वों की पहचान करने में असमर्थ।

मूल्यांकन के लंबित होने के कारण इन पट्टों को इंड एएस–116 के तहत उपयोग के अधिकार की संपत्ति के रूप में नहीं माना गया है और इसका किराया चालू वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण के लिए व्यवस्थित रूप से प्रभाारित किया गया है।

ऊपर बताए गए मामलों का वित्तीय विवरणों में प्रदान की गई जानकारी के मापन और प्रकटीकरण पर परिणामी प्रभाव हो सकता है, लेकिन राजस्व, वस्तु और सेवा कर, आयकर, वर्ष के लिए लाभ और प्राप्य, देय राशि तक सीमित नहीं है। संबंधित वित्तीय वर्षों के लिए संपत्ति, सूची, शेयरधारकों के धन का उपयोग करने का अधिकार, जिसका निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

हमने अधिनियम की धारा–143 की उप–धारा (10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा संबंधी मानकों (एसए) के अनुसार अपने वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को, आगे हमारी रिपोर्ट के 'वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व' खंड में वर्णित किया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी 'आचार संहिता' के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, और साथ अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत निर्मित नियमों के अंतर्गत ही वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए नैतिक आवश्यकताओं के रूप में प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरणों पर हमारी योग्य राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

## विषय पर बल

1. हम वित्तीय विवरणों के नोट सं. 53 पर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो वित्तीय विवरणों पर कोविड–19 महामारी के प्रभाव के लिए प्रबंधन मूल्यांकन को प्रकट करता है। वैश्विक महामारी से भावी आर्थिक परिस्थितिया से जुड़ी अत्यधिक अनिश्चिता के मद्देनजर, आगामी समय में वित्तीय विवरणों पर वास्तविक प्रभाव अत्यधिक रूप से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों पर निर्भर है।

2. हम वित्तीय विवरण के नोट सं. 49(i) पर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं कि, अभी तक कंपनी ने इंड एएस–109: वित्तीय साधनों की अपेक्षाओं के अनुसार वित्तीय परिसंपत्तियों (व्यापार और अन्य संविदागत प्राप्यों) के घाटे के लिए प्रावधान नहीं किया है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने 958.75 मिलियन रूपए की राशि के समहू कंपनियों से इतर पक्षों से प्राप्य व्यापर और अन्य संविदागत प्राप्य राशियों के लिए सरलीकृत दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए 31 मार्च 2021 को संभावित ऋण घाटे के संचयी

प्रभाव का परिकलन किया है। कंपनी ने समूह कंपनियों से प्राप्यों के सबंध में संभावित ऋण घाटे के प्रति शून्य रूप लेखांकित किया है।

3. हम वित्तीय विवरणों के नोट सं. 29 पर ध्यान आकर्षित करते हैं, कंपनी ने दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए इंड एएस –8, ''लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन'' के अनुसार अपने वित्तीय विवरणों को पुनःप्रस्तुत किया है। पूर्व अवधि के समायोजन में राजस्व/व्यय की रिकॉर्डिंग और प्राप्य / देय सामंजस्य के प्रभाव में त्रुटियों / चूक शामिल हैं। तदनुसार, संबंधित संपत्ति/ देनदारियों में संबंधित प्रभाव के साथ पिछले वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में 157.31 मिलियन रूपए का शुद्ध प्रभाव स्वीकार किया गया है। इससे कर और अन्य व्यापक आय से पूर्व लाभ में कमी आई है और पिछले वर्ष के लिए 157.31 मिलियन रूपए की अन्य इक्विटी की अनुवर्ती कमी के साथ क्रमशः 157.31 मिलियन रूपए और शून्य रूपए का वृहत आय हुई है।

4. कंपनी एअर इंडिया लिमिटेड (धारक कंपनी) को सेवाएं प्रदान करके अपने राजस्व का अधिकांश भाग अर्जित करती है। जैसा कि हमें स्पष्ट किया गया है, कंपनी दोनों के द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं के ब्यौरे को रेखांकित करते हुए एक व्यापक व्यवस्था में प्रवेश करने की प्रक्रिया में है। अनुमोदित मास्टर सेवा समझौते की अनुपस्थिति में, कंपनी ने दोनों पक्षों द्व ारा अनुमोदित दर चार्ट के आधार पर अपने लेनदेन को रिकॉर्ड किया है। हमने प्रबंधन मत पर विश्वास किया है कि मास्टर सेवा समझौते का प्रभाव भौतिक नहीं होगा और उस वर्ष पर विचार किया जाएगा जिसमें समझौता यह हस्ताक्षर किया जाएगा।

5. हम वित्तीय विवरणों के नोट स. 35 पर ध्यान देते हैं, कंपनी समूह कंपनिया यथा, एअर इंडिया लिमिटेड, एअर इंडिया एक्सप्रेस, एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड और एलायंस एयरलाइंस लिमिटेड के संबंध में प्राप्तियों की अतिदेय शेष राशि पर 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज ले रही है। चालू वर्ष के दौरान, अतिदेय भुगतानों पर ब्याज रु 289.05 मिलियन रूपए (पिछले वर्ष रु. 269.41 मिलियन रूपए) को अन्य आय के रूप में लेखांकित किया गया है। हमने प्रबंधन के मत पर विश्वास किया है कि इस तरह की राशि पूर्ण रूप से वसूल की जाएगी और इसलिए, वर्तमान वर्ष के लिए कोई और समायोजन की आवश्यकता नहीं है।

6. हम वित्तीय विवरणों में नोट 33 पर ध्यान आकर्षित करते हैं, कंपनी के पास भंडार और पुर्जों सहित 62.27 मिलियन रूपए राशि की इन्वेंटरी उपलबध हैं। इन इन्वेंटरी को एअर इंडिया लिमिटेड और एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड से स्थानांतरित किया गया है, जिनका उपयोग तीन वर्षों से अधिक के लिए नहीं किया जाता है। हमने प्रबंधन के मत पर विश्वास किया है कि इस तरह की इन्वेंटरी का मूल्य कम से कम बहियों में वहन मूल्य के समान है और इसलिए, वर्तमान वर्ष के लिए और समायोजन की आवश्यकता नहीं है।

7. हम वित्तीय विवरणों के नोट 31(क) पर ध्यान आकर्षित करते हैं, व्यापार देय और व्यापार प्राप्य की शेष राशि (समूह कंपनियों के मामले को छोड़कर)संतुलन की पुष्टि और सामंजस्य के अध्यधीन है। इस प्रकार से समायोजन के लंबित होने के कारण व्यापार प्राप्त ऋण शेष के निवल का 16.06 मिलियन रूपए और व्यापार प्राप्य निवल शेष राशि रु 245.06 मिलियन की प्रस्तुत की गई है। उपयुक्त समायोजन के अभाव में, हम वित्तीय विवरणों पर इस प्रकार के समायोजनों का अनुमान लगाने में असमर्थ हैं। कंपनी कोविड–19 वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए प्राप्तियों की पुनर्प्राप्ति का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में है। इस तरह के विश्लेषण के लंबित होने पर, कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोविड–19 के प्रभाव को इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तिथि के अनुसार निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

इन विषयों के संबंध में हमारा मत परिवर्तित नहीं है।

## वित्तीय विवरणों तथा उनसे संबंधित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से अलग अन्य सूचना

कम्पनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल अन्य सूचना के प्रति उत्तरदायी है। अन्य सूचना में निदेशक की रिपोर्ट शामिल है परन्तु इसमें वित्तीय विवरणों तथा उससे संबंधित हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट को शामिल नहीं किया जाता है। निदेशक की रिपोर्ट इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि के पश्चात हमे उपलब्ध होने की संभावना है।

वित्तीय विवरणों में व्यक्त हमारे मत में अन्य सूचना शामिल नहीं है तथा हम किसी भी प्रकार से उसके संबंध में कोई आश्वासन निष्कर्ष की प्रस्तुति नहीं कर रहे हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारे लेखापरीक्षण के संबंध में हमारा दायित्व इसमें उपर्युक्त सूचना को पढ़ना है, जब वह हमें उपलब्ध हो जाए तथा ऐसा करते हुए यह विचार करना है कि क्या अन्य सूचना की सामग्री वित्तीय विवरणों तथा लेखा परीक्षा की प्रक्रिया के दौरान हमें प्राप्त जानकारी से वस्तुगत रुप से संगत है अथवा इसमें किसी प्रकार के किसी वस्तुगत दुर्विवरण का उल्लेख किया गया है अथवा नहीं। यदि, हमारे द्वारा निष्पादित कार्य के आधार पर हमें अन्य सूचना में किसी प्रकार के सामग्रीगत मिथ्या कथन का आभास होता है तो ऐसे तथ्यों की रिपोर्ट किए जाने की हमसे अपेक्षा की गई है। इसके संबंध में रिपोर्ट के लिए कुछ प्रकाश में नहीं आया है।

## वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन के उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, इन वित्तीय विवरणों, जो कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित के साथ पठित अधिनियम के अनुच्छेद–133, के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन सहित अन्य वृहत आय, रोकड प्रवाह, इक्विटी परिवर्तन के संबंध में वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद 134 के उप–अनुच्छेद (5) में उल्लिखित विषयों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग; युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाने; उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डो की परिशुद्धता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहीं थीं और एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हैं जो वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं और किसी प्रकार के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकार्डो का अनुरक्षण भी शामिल है।

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रबंधन और निदेशक मंडल कम्पनी की गोइंग कंसर्न को जारी रखे जाने की क्षमता का मूल्यांकन करने, गोइंग कंसर्न को जारी रखे जाने से सम्बद्ध मामलों, यदि कोई हों, का प्रकटीकरण करने तथा प्रबंधन द्वारा कम्पनी को बंद किए जाने का विचार यदि नहीं है तो लेखांकन के लिए गोइंग कंसर्न को जारी रखने के आधार अथवा गोइंग कंसर्न को जारी रखने के अलावा अन्य कोई विकल्प न होने की प्रस्तुति करने के प्रति उत्तरदायी है।

कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख का दायित्व कम्पनी के निदेशक मंडल का भी है।

## वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के लिए लेखा परीक्षकों के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरणों समग्र रूप से महत्वपूर्ण दुर्विवरण से मुक्त हैं, क्श्स, जालसाजी अथवा चूक ये मुक्त हैं, ऐसी लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार करना जो हमारे मत को प्रस्तुत करे। युक्तिसंगत आश्वासन को आश्वासन का उच्च स्तर कहा जा सकता है, परन्तु इसमें किए गए लेखा परीक्षण के संबंध में यह गारंटी नहीं होती है कि एसए प्रक्रिया के अंतर्गत किए गए लेखा परीक्षण से तथ्यात्मक दुर्विवरण, यदि कोई है, की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो सकेगी। तथ्यात्मक दुर्विववरण जालसाजी अथवा चूक के कारण हो सकता है तथा इसे तथ्यात्मक तभी माना जा सकता है जब इनसे अलग अलग अथवा समस्त रुप में इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोक्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर किसी प्रकार का औचित्यपरक प्रभाव होने की संभावना की गई हो।

एसए के अंतर्गत की जाने वाली लेखापरीक्षा की पूरी प्रक्रिया के दौरान हमें व्यावसायिक तौर पर संशयात्मक दृष्टिकोण के साथ व्यावसायिक निर्धारण करने होते हैं। हमारे द्वारा निम्नलिखित प्रक्रियाएं भी की गई हैः–

- वित्तीय विवरणों में तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिमों, जो चाहे जालसाजी अथवा चूक के कारण हों, का संज्ञान लेना तथा मूल्यांकन करना तथा ऐसे जोखिमों पर प्रभावी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का स्वरुप तैयार लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं करके अपने मत के आधार के लिए ऐसे लेखापरीक्षा प्रमाण की प्राप्ति करना जो पर्याप्त एवं औचित्यपरक हो। पता न लगाई जा सकी किसी जालसाजी से किए गए तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिम परिणाम किसी चूक से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से कहीं अधिक होते हैं क्योंकि जालसाजियां साठ–गांठ, धोखाधड़ी, किन्हीं उद्देश्यों से की गई चूक, गलत बयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना किए जाने के कारण हो सकती हैं।
- परिस्थितियों के अनुकूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए लेखापरीक्षा से सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रण को संज्ञान में लेना।

अधिनियम के अनुच्छेद 143 के उप–अनुच्छेद (3) के खंड (i) के अंतर्गत हमारा दायित्व अपने इस मत की अभिव्यक्ति करना भी है कि क्या कम्पनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली स्थापित किया गया है तथा क्या ऐसे नियंत्रणों पर यह प्रणाली प्रभावी है अथवा नहीं है।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की पर्याप्तता तथा प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों की औचित्यपरकता एवं सम्बद्ध प्रकटनों का मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए उपयोग में लाए गए गोइंग कंसर्न के आधार तथा प्राप्त लेखापरीक्षा परिणामों के आधार की उपयुक्तता के संबंध में यह निश्चय करना कि क्या स्थितियां अथवा परिस्थितियां है जिनसे यह तथ्यपरक अनिश्चितता होती हो तथा जिनसे गोइंग कंसर्न के लिए कम्पनी की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव की आशंका हुई हो। यदि ऐसी किसी प्रकार की तथ्यपरक अनिश्चितता को शामिल किया जाता है तो हम से अपनी वित्तीय विवरणों से सम्बद्ध लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संबद्ध प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करवाए जाने तथा ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होने की स्थिति में अपना मत संशोधित करने की अपेक्षा है। हमारे द्वारा किया गया निश्चय हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित तिथि के दौरान प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा प्रमाणों पर आधारित है। तथापि, भावी स्थितियों अथवा परिस्थितियों के परिणाम कम्पनी की प्रक्रियाओं को गोइंग कंसर्न के रुप में जारी न रखे जाने का कारण हो सकते हैं।
- प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों की पूर्ण प्रस्तुति, संरचना एवं सार संक्षेप का मूल्यांकन करना तथा यह ज्ञात करना कि क्या वित्तीय विवरणों में लेनदेन संव्यवहार एवं स्थिति का विवरण उचित स्वरुप में दिया गया है अथवा नहीं।

हम, अन्य मामलों के साथ–साथ शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को योजनाबद्ध कार्य {ात्र तथा लेखा परीक्षा की समय सारणी एवं लेखा परीक्षण के निष्कर्षों और साथ ही हमारे }ारा किए गए लेखा परीक्षण के दौरान प्रकाश में आई आंतरिक नियंत्रण से जुड़ खामियों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं।

हमारे द्वारा शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को लेखापरीक्षा स्वतंत्रता से संबंद्ध आचार अपेक्षाओं के संबंध में हमारे द्वारा समेकित विवरण भी प्रस्तुत किए गए हैं तथा हमारी लेखापरीक्षा स्वतंत्रता एवं उससे जुड़े सुरक्षा उपायों, जहां लागू हो, के प्रभाव के लिए प्रत्येक प्रकार की औचित्यपरक संबंधता एवं अन्य मामलों का सम्प्रेषण भी उन्हें किया गया है।

## अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के निबंधनों के अनुसार भारत सरकार द्वारा कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (''आदेश'') द्वारा अपेक्षित उक्त आदेश के पैरा 3 और 4 में यथा लागू विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण हम अनुबंध–क के रूप में दे रहे हैं।
2. अधिनियम के अनुच्छेद 143 के उप–अनुच्छेद(3) में की गई अपेक्षाओं के अनुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :

   (क) हमने वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं।

   (ख) हमारे मतानुसार, उपुर्यक्त अर्हता मत का आधार पैरा में वर्णित मुद्दे को छोड़कर विधि द्वारा अपेक्षित अनुसार कंपनी ने उचित लेखाबहियों का अनुरक्षण किया है जैसा कि लेखाबहियों की हमारी जांच से प्रतीत हुआ है।

   (ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र, लाभ हानि विवरण (अन्य वृहत आय सहित) तथा रोकड़ प्रवाह विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

   (घ) उपुर्यक्त अर्हता मत का आधार पैरा में वर्णित मुद्दों के निर्धारित/अनिर्धारित प्रभावों को छोड़कर, हमारे मतानुसार, उपयुक्त वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानक से संगत हैं।

   (ङ.) हमाने मतानुसार उपुर्यक्त अर्हता मत हेतु आधार में वर्णित मुद्दे का निष्कर्ष, का कंपनी की कार्यप्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

(च) निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) तारीख 05.06.2015 के अनुसरण में अधिनियम की धारा 164 की उपधारा (2) के प्रावधानों सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनिक प्रभाव का उल्लेख ''अनुबंध–ख'' में प्रस्तुत हमारी पृथक रिपोर्ट में किया गया है।

(ज) निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) तारीख 05.06.2015 के अनुसरण में प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(झ) हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2015 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में:

(i) कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है– वित्तीय विवरण के नोट सं. 26 का संदर्भ लें;

(ii) कंपनी के डैरिवेटिव संविदाएं सहित कोई दीर्घकालीन संविदाएं नहीं हैं, जिनके संबंध में कोई सामग्रीगत अपरिहार्य घाटे हुए थे।

(iii) ऐसी कोई राशियां नहीं थीं जिन्हें कंपनी के निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता थी।

3. अधिनियम के अनुच्छेद 143 के उप–अनुच्छेद (5) द्वारा अपेक्षित अनुसार तथा एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देश के अनुसार हम सूचित करते हैं कि:

(क) क्या कम्पनी में सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया किए जाने व्यवस्था स्थापित की गई है? यदि हां, तो लेखांकन संव्यवहारों को बाह्य सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से की जाने वाली प्रक्रिया से लेखों के समेकन में होने वाली कठिनाईयों तथा वित्तीय कठिनाईयों, यदि कोई हों, का विवरण प्रस्तुत करें।

कंपनी में आईटी प्रणाली के माध्यम से लेखांकन संव्यवहारों के लिए प्रणाली उपस्थित है। तथापि, यह अवलोकन किया गया है कि वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप पूर्ण और सटीक सूचना उपलब्ध कराने के लिए सूचना प्रणाली के निवारण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के डिजाइन की उपयुक्तता को सुदृढ किए जाने की आवश्यकता है। हम और अधिक ब्यौरे के लिए अधिनियम के अनुच्छेद 143 के उप अनुच्छेद (3) के खंड (i) के अंतर्गत उपर्युक्त वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट – अनुबंध ख पर हमारी पृथक रिपोर्ट में प्रस्तुत टिप्पणियों का संदर्भ लें।

(ख) क्या किसी विद्यमान ऋण अथवा किसी ऋणदाता द्वारा कम्पनी को दिए गए उधार/ऋण/ब्याज इत्यादि के संबंध में कम्पनी द्वारा ऋण अदायगी न किए जाने के कारण ऋण की किसी प्रकार की पुनर्संरचना अथवा छूट/बट्टा किए जाने की प्रक्रिया की गई है? यदि हां, तो इससे संबंधित किसी प्रकार की वित्तीय बाध्यताएं हों तो उसका विवरण प्रस्तुत करें।

कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई कर्ज नहीं लिए हैं।

*(ग) क्या विशिष्ट योजनाओं के अंतर्गत केन्द्र/राज्य एजेंसियों से प्राप्त/प्राप्य निधियों का उचित लेखा रखा गया है/ नियमों एवं शर्तों के अनुसार उचित उपयोग किया गया है ? व्यतिक्रम के मामलों की सूची प्रस्तुत करें।*

कंपनी ने वर्ष के दौरान केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के तहत कोई निधियां प्राप्त नहीं की हैं।

**कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन – 109574डब्ल्यू

हस्ता/–
**(विपुल के चौक्सी)**
साझेदार
सदस्यता संख्या : 037606
(यूडीआईएन) : 21037606AAAACO2003

स्थान : मुंबई
दिनांक : 13 सितंबर 2021

## स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध ''क'' (समसंख्यक तिथि की एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के 'अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' खंड के अंतर्गत पैरा 1 का संदर्भ लें)

(i) (क) कम्पनी ने लेखा बहियों में उपलब्ध ब्यौरों के आधार पर स्थिर परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) रजिस्टर का अनुरक्षण करती है। तथापि, स्थिर परिसंपत्ति रजिस्टर मात्रात्मक ब्यौरे सहित पूर्ण विवरण दर्शाता है और यह स्थिर परिसम्पतित्यों की स्थिति को नहीं दर्शाता है।

(ख) वर्ष 2018 के दौरान तीसरे पक्ष द्वारा परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया था और अगस्त 2019 के दौरान उनके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।

कंपनी की नीति के अनुसार, दो वर्ष में एक बार पीपीई का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। उक्त नीति के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020 के लिए भौतिक सत्यापन किया गया था, तथापि, वर्ष के दौरान इसे पूरा नहीं किया जा सका। भौतिक सत्यापन के अभाव में, प्रबंधन द्वारा पीपीई के भौतिक सत्यापन की प्रभावपूर्णता पर टिप्पणी नहीं की जा सकी है।

(ग) कंपनी के स्वामित्व में कोई अचल परिसंपत्ति नहीं है और इसलिए, इस आदेश का पैरा 3 (i) (ग) कंपनी पर लागू नहीं है।

(ii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा इन्वेंट्री को भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है। हमारी राय में, इस तरह के सत्यापन की आवृत्ति को और मजबूत करने की आवश्यकता है। जैसा कि हमें बताया गया है, भौतिक स्टॉक और बुक रिकॉर्ड के बीच सत्यापन में कोई विसंगति नहीं देखी गई है।

(iii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के अनुसार अधिनियम की धारा 189 के अधीन रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से कम्पनी ने रक्षित या अरक्षित किसी प्रकार का ऋण न लिया है न दिया है। इसलिए, आदेश के पैरा 3 (iii)(क), (ख) तथा (ग) के अधीन अपेक्षाएँ कम्पनी पर लागू नहीं होती।

(iv) हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऋणों, निवेशों, गारंटी और प्रतिभूति के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 185 तथा 186 का अनुपालन किया गया है। इसलिए, आदेश के पैरा 3 (iv) के अधीन अपेक्षाएँ कम्पनी पर लागू नहीं होती।

(v) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने जनसाधारण से कोई जमाराशि प्राप्त नहीं की है और इसलिए, आदेश के पैरा 3 (v) के अंतर्गत रिपोर्टिंग का प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होता।

(vi) कंपनी ने अधिनियम की धारा 148 में विनिर्दिष्ट अनुसार लागत अभिलेखों का अनुरक्षण किया है। हमने व्यापक स्तर पर अधिनियम के अनुच्छेद 148 के उप अनुच्छेद (1) के अंतर्गत लागत रिकार्डों के अनुरक्षण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसरण में कंपनी द्वारा अनुरक्षित रिकार्डों की समीक्षा की है। तथापि, हमने यह निर्धारित करने दृष्टि से लागत रिकार्डों की विस्तृत जांच नहीं की है कि, वे सही या पूर्ण हैं।

(vii) क. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे द्वारा कंपनी के रिकार्डों की जांच के आधार पर, हमारे मतानुसार, कंपनी द्वारा सामान्यतः भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्रीकर, वस्तु एवं सेवाकार, उपकर तथा अन्य सामग्रीगत सांविधिक देय राशियों को उपयुक्त प्राधिकारियों के पास ही नियमित रुप से जमा नहीं कराई जाती हैं, केवल भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, व्यावसायिक कर, आयकर, स्रोत पर कर कटौती और वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में देयराशियों के भुगतान के संबंध में गैर अनुपालन पाया गया है। इसके अतिरिक्त, वस्तु एवं सेवा कर तथा स्रोत पर कर कटौती की संबंधित सांविधिक रिटर्नों में समाधान किया जा रहा है। उपयुक्त सूचना के अभाव में, हम इस पर मत प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं।

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हमने उक्त राशियों के देय होने की तिथि से छह महीनों से अधिक की अवधि के लिए वर्ष के अंत में बकाया अविवादित देय राशियों (समाधान के लिए) को नोटिस किया गया है।

| नियम का नाम | देय राशियों की प्रकृति | राशि (मिलियन रूपए में) | अवधि जिससे यह राशि संबंधित है |
|---|---|---|---|
| कर्मचारी राज्य बीमा, 1948 | ईएसआईसी देय राशियां | 2.93 | समाधान किया जा रहा है |
| व्यावसायिक कर | व्यावसायिक कर | 2.02 | समाधान किया जा रहा है |
| आय कर अधिनियम, 1961 | स्रोत पर कर की कटौती | 10.68 | समाधान किया जा रहा है |
| वस्तु एवं सेवा कर | जीएसटी पर टीडीएस (खंड 51) | 0.34 | समाधान किया जा रहा है |

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार आयकर, बिक्री कर, वस्तु एवं सेवाकर, उपकर और अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देय राशियों के संबध में ऐसी कोई देय राशियों नहीं हैं, जिन्हें निम्नालिखित को छोडकर किसी विवाद के कारण उपयुक्त प्राधिकरणों को जमा न कराया गया हो:

| नियम का नाम | देय राशि की प्रकृति | राशि (मिलियन रूपए में) | अवधि जिससे यह राशि संबंधित है | न्यायालय जहां विवाद लंबित है |
|---|---|---|---|---|
| आयकर अधिनियम, 1961 | आयकर | 0.15 | वित्तीय वर्ष 2013–14 | आयकर अपील अधिकरण (आईटीएटी) |
| आयकर अधिनियम, 1961 | आयकर | 13.34 | वित्तीय वर्ष 2013–14 | आयकर आयुक्त (अपील) |
| आयकर अधिनियम, 1961 | आयकर | 6.60 | वित्तीय वर्ष 2017–18 | आयकर आयुक्त (अपील) |

(viii) दस्तावेजों और रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान, बैंकों, सरकार या डिबैंचरधारक से कोई ऋण या उधार नहीं लिया है या डिबैंचर जारी नहीं किए हैं। तदनुसार, इस आदेश का पैरा 3 (viii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ix) हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी ने किसी  आरंभिक पब्लिक ऑफरिंग या अगले पब्लिक ऑफरिंग (ऋण व्यवस्थाओं सहित) के माध्यम से कोई धन या सावधि ऋण प्राप्त नहीं किया है।  तदनुसार, इस आदेश का पैरा 3 (ix) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

(x) स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी और उसके अधिकारी या कर्मचारियों द्वारा कोई भी भौतिक धोखाधड़ी देखा या रिपोर्ट नहीं की गई है।

(xi) निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) तारीख 05.06.2015 के अनुसरण में प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, इसलिए इस आदेश का पैरा– 3 (ix) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

(xii) हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी निधि कंपनी नहीं है, इसलिए, इस आदेश का खंड 3 (xii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(xiii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हमें द्वाारा रिकॉर्डों की हमारी जांच के आधार पर, एक सरकारी कंपनी होने के कारण कंपनी को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 की शर्तों के अनुसार अधिनियम की धारा 188 के अनुपालन के तहत अन्य सरकारी कंपनियों के साथ संव्यवहार की छूट प्रदान की गई है। इस प्रकार के संव्यवहारों को लागू वित्तीय मानकों द्वारा आवश्यक रूप में वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

हमारे मतानुसार और कंपनी द्वारा हमें दी गई जानकारी के अनुसार, कंपनी संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहारों के संबंध में लागू

स्तर तक अधिनियम की धारा 177 में है।

हमारे मतानुसार और कंपनी द्वारा हमें दी गई जानकारी के अनुसार कंपनी ने संबंधित पक्ष संव्यवहारों के अपेक्षित ब्यौरों को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है, जैसा कि लागू लेखांकन मानक में अपेक्षित है।

(xiv) कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनी के शेयरों का पूर्ण या आंशिक रुप से निजी प्लेसमेट का कोई प्रेफरेंशियल आवंटन नहीं किया है और इसलिए इस आदेश के खंड 3 (xiv) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

(xv) वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और हमारे मतानुसार तथा प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण कंपनी ने निदेशकों या उनके संबंधित किसी व्यक्ति के साथ कोई गैर–रोकड़ संव्यवहार नहीं किया है।

(xvi) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के खंड 45–1क के अंतर्गत पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है और तदनुसार, इस आदेश का पैरा 3 (xvi) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

**कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन – 109574डब्ल्यू

**(विपुल के चौक्सी)**
साझेदार
सदस्यता संख्या : 037606
(यूडीआईएन) : 21037606AAAACO2003

स्थान : मुंबई
दिनांक : 13 सितंबर 2021

# स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध ''ख''

**अधिनियम के खंड 143 के उप खंड 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट।**

हमने इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के समायोजन में 31 मार्च 2021 को **एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड** (''कंपनी'') की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

**आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व**

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (''आईसीएआई'') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश के नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्व ारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं – अधिनियम के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, जालसाजी और खामियों का निवारण और संसूचन, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ, अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रुप से प्रचालित हो रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण शामिल हैं।

**लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व**

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधर पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत अभिव्यक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी, लेखांकन पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट के अनुसार लेखापरीक्षा की है और इसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के स्तर तक कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इन मानक तथा दिशानिर्देश नोट में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन करें और इस प्रकार युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किया गया है और क्या ऐसे नियंत्रण सभी सामग्रीगत पहलुओं में कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की कुशलता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में शामिल हैं – वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आंकलन करना कि सामग्रीगत कमजोरी मौजूद है, तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहै जालसाजी हो या त्रुटि, के जोखिम के आंकलन सहित लेखापरीक्षा के विवेक पर निर्भर करता है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार उपलब्ध कराता है।

**वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ**

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रुप से स्वीकृत वित्तीय सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए अभिकल्पित प्रकिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1)उन रिकार्डों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो युक्तिसंगत ब्यौरे में, कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान का सटीक और उचित रुप से प्रदर्शित करते हैं, (2)युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराते हैं कि सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रुप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कि कंपनी की पावतियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए गए हैं, और (3)कंपनी की परिसंपत्ति

के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग, निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराना, जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रुप से प्रभावित कर सकते हैं।

### इन वित्तीय विवरणों के संबंध में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमितताएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमितताओं में नियंत्रणों के टकराव या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावनाएं शामिल हैं, इसलिए, त्रुटि और जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण हो सकता है और उसका पता नहीं लग पाएगा। इसके अतिरिक्त, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर होगा कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है, या कि नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

### अर्हत मत

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा हमारे लेखापरीक्षक और शाखा लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च 2021 को सामग्रीगत खामियां चिह्नित की गई हैं:

(क) लेखापरीक्षित किए जा रहे वित्तीय विवरणों को तैयार करने पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन की खामियां:

(i) वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरित वित्तीय नियंत्रण पर दिशानिर्देश नोट द्वारा यथापेक्षित अभिलेखित मानक प्रचालन प्रक्रियाएं विद्यमान नहीं हैं।

(ii) लेखांकन साफ्टवेयर में मेकर/चैकर नियंत्रणों जैसे प्राधिकार नियंत्रणों को और सुदृढ किए जाने की आवश्यकता है।

(iii) महत्वपूर्ण लेखांकन प्रक्रिया के भीतर दायित्वों (उत्तरदायित्व चार्ट और कार्य विवरणों सहित) के पृथकीकरण का अभाव या अनुपयुक्त पृथकीकरण।

(iv) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सामान्य और अनुप्रयोग नियंत्रण का अनुपयुक्त डिजाइन जो वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों और चालू आवश्यकताओं के अनुसार सम्पूर्ण और सटीक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है।

(v) समय आधार पर प्रबंधन को आंतरिक नियंत्रण की कमियों की सूचना देने की आंतरिक प्रक्रिया का अभाव।

(vi) कंपनी के प्रचालनों के आकार को ध्यान में रखते पेरोल एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तथापि, यह पाया गया है कि विभिन्न प्रक्रियाएं जैसे उपस्थिति, अवकाश रिकार्ड, कार्यभार ग्रहण करने वाले नए तथा त्यागपत्र देने वाले कार्मिक का ब्यौरा, सांविधिक देयों का भुगतान, आदि पूर्ण रूप से स्वचालित नहीं है और उनका अनुरक्षण मानवीय रूप से किया जा रहा है।

(ख) परिसंपत्तियों को हानि, क्षति या दुर्विनियोजन से सुरक्षित रखने के लिए अभिकल्पित नियंत्रणों की विफलता। कंपनी के पास लेखा बहियों से भौतिक इन्वेंटरी और स्थिर परिसंपत्तियों का समाधान करने के लिए उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण उपलब्ध नहीं है।

(ग) महत्वपूर्ण लेखों जैसे प्राप्य लेखे, देय लेखे, रिटर्न सहित सांविधिक देय के समाधान के निष्पादन में विफलता तथा पेरोल शेष को समय पर और सटीक रूप से समायोजित नहीं किया गया है।

(घ) आंतरिक नियंत्रण में नियंत्रण खामियों के संकेतक और महत्वपूर्ण कमियों को कड़े संकेतक निम्नानुसार हैं:

(i) महत्वपूर्ण दुर्विवरण में शुद्धि को प्रदर्शित करने के लिए पूर्व में जारी वित्तीय विवरणों का पुनर्निर्धारण। यह दर्शाता है कि समापन के समय कटऑफ प्रक्रियाएं कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर रही हैं।

(ii) स्वतंत्र निदेशक की रिपोर्ट के अनुंध –क के बिंदु vii के संदर्भ में निकाय द्वारा नियमों और विनियमों के अनुसरण के गैर–अनुपालन की घटनाएं देखी गई हैं। यह कुशल विनियामक अनुपालन प्रक्रिया को दर्शाता है।

''सामग्रीगत खामी'' वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में एक कमी है या कमियों का संयोजन है, जिससे युक्तिसंगत संभावना है कि कंपनी की वार्षिक या आंतरिक वित्तीय विवरणों का सामग्रीगत दुर्विवरण का समय आधार पर निवारण या संसूचन

नहीं किया जा सकता है।

हमारे मतानुसार, नियंत्रण मापदंड के उद्देश्यों की प्राप्ति पर उपर्युक्त उल्लिखित महत्वपूर्ण खामियों के प्रभाव के कारण कंपनी ने दिशानिर्देश नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च 2021 को वित्तीय रिपोर्टिंग पर उपयुक्त और कुशल आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ों का अनुरक्षण नहीं किया है।

हमने 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण की हमारी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रकृति, समय और स्तर के निर्धारण में ऊपर चिह्नित और उल्लिखित सामग्रीगत खामियों पर विचार किया है और इन सामग्रीगत खामियों ने कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारे मत को प्रभावित किया है और हमने वित्तीय विवरणों पर अर्हक मत जारी किया है।

**कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन – 109574डब्ल्यू

**(विपुल के चौक्सी)**
साझेदार
सदस्यता संख्या : 037606
(यूडीआईएन) : 21037606AAAACO2003

स्थान : मुंबई
दिनांक : 13 सितंबर 2021

# वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर प्रबंधन का उत्तर

| क्र.सं | स्वतंत्र लेखापरीक्षक की टिप्पणियां | प्रबंधन की टिप्पणियां |
|---|---|---|
| | **अर्हक मत**<br><br>हमने **एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड** (''कंपनी'') के संलग्न वित्तीय विवरण ाों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र और इस वर्ष की समाप्ति के लिए लाभ और हानि विवरण (अन्य वृहत आय सहित) और रोकड़ प्रवाह विवरण तथा वित्तीय विवरणों पर नोट सहित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और अन्य विवरणात्मक सूचना (जिसे यहां आगे ''वित्तीय विवरण'' कहा जाएगा) शामिल है।<br><br>हमारे मतानुसार तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारी रिपोर्ट के अर्हक मत हेतु आधार पैरा में वर्णित विषय के प्रभावों के निर्धारण/विनिर्धारण को छोड़कर, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के अंतर्गत की गई अपेक्षा के अनुसार भारत में सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार हैं तथा जिनसे दिनांक 31 मार्च 2021 को लाभ और हानि तथा कुल वृहत आय, इक्विटी परिवर्तन तथा रोकड़ प्रवाह की स्थिति प्रस्तुत होती हैं । | यह तथ्यात्मक विवरण है। |
| | **मत का अर्हक आधार** | |
| 2.<br>1 | कंपनी ने निम्नलिखित लेखा शेषों को अग्रेषित किया है जो 31 मार्च 2021 को समाधान/समायोजन (यदि कोई हो) के लिए लंबित हैं। | |
| (क) | कंपनी ने स्टेशनों से प्राप्त भौतिक सेवा अभिलेखों के आधार पर आयटा प्लेटफार्म से ग्राउंड हैंडलिंग सेवा राजस्व हेतु लेखांकन किया है और विविध बिलिंग प्रणाली प्लेटफार्म के माध्यम से इसे बुक किया है। यह राजस्व ग्राहक से अस्वीकृति/समायोजन के मद्देजनर है। वर्श के दौरान, कंपनी ने मार्च 2015, 2017, 2018, 2019 और 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्श के लिए आईएटीए रिचार्ज शेष से डुप्लिकेट बिलिंग, अस्वीकार स्वीकार और स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) से संबंधित राशि को परिवर्तित कर दिया है, जो 169.30 मिलियन रुपये है। वित्त वर्श 2017–18 तक इस तरह के परिवर्तन के पष्चात शेष राशि के लिए प्रावधान किया गया है। कंपनी ग्राहकों को पुनः बिल करने की प्रक्रिया में है और बकाया राशि की वसूली के लिए पत्राचार कर रही है। दिनांक 31 मार्च, 2021 को इसके संबंध में बकाया राशि 483.46 मिलियन रुपये है, जिसके प्रति कंपनी ने 268.81 मिलियन रुपये का अपेक्षित ऋण हानि भत्ता दिया है। हमने रिपोर्ट किए गए मूल्य के बराबर ऐसी शेष राशि की वसूली के लिए प्रबंधन के तर्क पर विश्वास किया है और इसलिए, इस संबंध में कोई और समायोजन करने की आवश्यकता नहीं है। | आयटा क्लियरेंस हाउस (आईसीएच) के माध्यम से अन्य एयरलाइनों की बिलिंग स्वचालित प्रणाली (एमबीएस) के द्वारा की जाती है, तथापि, बिलिंग का आध ाार रैम्प सहायता फॉर्म (आरएएफ) के अनुसार होता है, जो मानवीय रूप से क्रमानुसार नियंत्रित होता है और इसके रिकार्डो का उचित अनुरक्षण किया जाता है।<br><br>एक समिति का गठन किया गया था जिसने अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसे बोर्ड के सामने रखा गया था। |

| क्र.सं | स्वतंत्र लेखापरीक्षक की टिप्पणियां | प्रबंधन की टिप्पणियां |
|---|---|---|
| | | समितियों की रिपोर्ट के आधार पर, एसएपी शेष का समायोजन किया गया है जिसके परिणामस्वरूप 169.30 मिलियन रुपये तक पीपीए होता है। तत्पश्चात, एक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है, जहां आगे की पुनः बिलिंग और वसूली कार्रवाई के लिए एयरलाइन–वार विवरण का उल्लेख किया गया है। |
| (ख) | कर्मचारियों के लाभों से संबंधित व्ययों को रिकार्ड करने या लेखांकन की प्रक्रिया स्वचालित नहीं है। सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान, भविष्य निधि, ईएसआईसी, व्यावसायिक कर, स्रोत पर कर कटौती के संबंध में विभिन्न सांविधिक गैरअनुपान देखे गए हैं। इसके अतिरिक्त, हम सूचित करते हैं कि कर्मचारी लाभ और वस्तु एवं सेवा कर संबंधी खातों में प्रतिकूल शेष रिपोर्ट किया गया है, जिनका समाधान किया जा रहा है और इन्हें निवल आधार पर रिपोर्ट किया गया है। हम वित्तीय विवरणों पर ऐसे शेषों के प्रभाव का पता लगाने में असमर्थ हैं। वस्तु और सेवा कर की शेष राशि, आयकर परिसंपत्तियां, व्यावसायिक कर और स्रोत पर कर कटौती का संबंधित सांविधिक विवरणों के साथ समाधान किया जा रहा है। कंपनी उक्त शेष राशि का मिलान करने और वित्तीय विवरणों पर प्रभाव का आकलन करने की प्रक्रिया में है। हम वित्तीय विवरणों पर ऐसे शेषों के प्रभाव का पता लगाने में असमर्थ हैं। हमने प्रबंधन के इस तर्क पर विश्वास किया है कि इस तरह की शेष राशि के समाधान से वित्तीय विवरणों पर वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसलिए, चालू वर्ष के लिए और किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं है। | हालांकि पेरोल को एसएपी के एचआर मॉडयुल में इनपुटों के आधार पर तैयार किया जाता है, कर्मचारियों की उपस्थिति का अनुरक्षण मानवीय आधार पर किया जाता है और तदनुसार सेप रिकार्डों को अद्यतन किया जाता है।<br><br>देरी के उद्वरणों का समाधान किया जा रहा है और भुगतान करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, हालांकि हम कोविड–19 की स्थिति के कारण नकदी प्रवाह के मुद्दों से प्रभावित हैं। |
| (ग) | कंपनी ने एअर इंडिया लिमिटेड और उसकी समूह कंपनियों के अलावा अन्य पक्षों को प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में हवाईअड्डा प्राधिकरण कर एकत्र किया है। दिनांक 31 मार्च, 2021 तक, पिछले छह वर्षों के लिए 913.03 मिलियन रुपये के कर को अन्य वित्तीय देयता के तहत वर्गीकृत किया गया है। यह राशि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के साथ सुलह की जा रही है। इस तरह के कर के समायोजन के लंबित होने के कारण वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव अनिश्चित है। | कंपनी ने अपनी बहियों में देयता के लिए प्रावधान किया है, हालांकि, देयता के रूप में दिखाई गई राशि और दिनांक 15.11.2020 को एएआई द्वारा मेल पर पुष्टि की गई रॉयल्टी बकाया राशि की अद्यतन स्थिति में अंतर है जो एएआई के साथ समाधान के तहत है और आशा है कि इसका समायोजन इसी वर्ष पूरा हो जाएगा। |
| (घ)<br>(i) | कंपनी ने विभिन्न वाणिज्यिक परिसरों/वाहनों आदि के लिए पट्टों (खरीद/नवीनीकरण के विकल्प के साथ किन्तु उसी का शीर्षक अंततः स्थानांतरित किया जा सकता है या नहीं) में प्रवेश किया है, जो विभिन्न स्थानों/स्टेशनों/क्षेत्रों में फैले हुए हैं। कंपनी द्वारा पट्टा समझौते के मूल्यांकन के आधार पर, एअर इंडिया और उसकी सहायक कंपनियों के विनिवेश की स्थिति में समझौते को समाप्त कर दिया जाएगा। प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए, इसे रद्द करने योग्य पट्टे के आधार पर, यह इंडस्ट्रीज एएस 116–लीज अकाउंटिंग के तहत मान्यता के लिए योग्य नहीं है। | कंपनी ने पट्टे पर लिए गए वाहनों के संबंध में इंड एएस–116 के अनुसार आवश्यक जानकारी प्रदान की है और उसका लेखांकन किया है। कंपनी ने पट्टा किराये को प्रयोग अधिकार परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकरण द्वारा वाहनों के लिए |

| क्र.सं | स्वतंत्र लेखापरीक्षक की टिप्पणियां | प्रबंधन की टिप्पणियां |
|---|---|---|
| | | इंड एएस–116 के तहत आवश्यक अनुपालन किया है। जहां तक परिसर का संबंध है, हमने इन्हें अल्पावधि पट्टे के रूप में माना है, क्योंकि समझौते में किसी भी पक्ष द्वारा 90 दिनों की अल्प सूचना पर इसे समाप्त करने का विकल्प होता है। इसलिए, यह व्याख्या की गई कि रद्द करने योग्य पट्टों के संबंध में इंड एएस 116 की प्रयोज्यता पर विचार नहीं किया गया था। हालांकि, किराये के खर्चे को लाभ व हानि विवरण से प्रभारित किया गया था और इस आशय का उपयुक्त प्रकटीकरण खातों की टिप्पणियों में किया गया है। |
| (घ) (ii) | कंपनी धारक कंपनी द्वारा प्रदान की गई पट्टा सेवाओं, बिजली, बीमा, स्टाफ यात्रा, सामग्री प्रबंधन सेवाओं, आईटी सेवाओं आदि सहित सभी सेवाओं के विवरण को रेखांकित करते हुए एक व्यापक व्यवस्था में प्रवेश करने की प्रक्रिया में है। अनुमोदित मास्टर सेवा समझौते की अनुपस्थिति में, कंपनी इंड एएस 116 – पट्टा लेखांकन की आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए पट्टा दायित्वों की पहचान करने में असमर्थ। | कंपनी एमएसए की शर्तों के अनुसार साझा सेवाओं के संबंध में भुगतान करने के लिए सहमत हो गई है। एमएसए पर हमारी ओर से हस्ताक्षर किए गए हैं और एआई की ओर से एमएसए पर प्रतिहस्ताक्षर करने के लिए एआई से अनुरोध किया गया है जो अभी भी प्रतीक्षित है। हालांकि, हमारे द्वारा एआई को प्रदान की जा रही जीएच सेवाओं के लिए दरों की अनुसूची, जो एमएसए का भाग है और दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है। |
| | **विषय पर बल** | |
| 1. | हम वित्तीय विवरणों के नोट सं. 53 पर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो वित्तीय विवरणों पर कोविड–19 महामारी के प्रभाव के लिए प्रबंधन मूल्यांकन को प्रकट करता है। वैश्विक महामारी से भावी आर्थिक परिस्थितिया से जुड़ी अत्यधिक अनिश्चिता के मद्देनजर, आगामी समय में वित्तीय विवरणों पर वास्तविक प्रभाव अत्यधिक रूप से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों पर निर्भर है। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है और इसका प्रकटन अन्य लेखा नोटों में किया गया है। |
| 2. | हम वित्तीय विवरण के नोट सं. 49(i) पर आपका ध्यान आकर्शित करते हैं कि, अभी तक कंपनी ने इंड एएस–109: वित्तीय साधनों की अपेक्षाओं के अनुसार वित्तीय परिसंपत्तियों (व्यापार और अन्य संविदागत प्राप्यों) के घाटे के लिए प्रावधान नहीं किया है। वर्श के दौरान, कंपनी ने 958.75 मिलियन रूपए की राशि के समहू कंपनियों से इतर पक्षों से प्राप्य व्यापर और अन्य संविदागत प्राप्य राशियों के लिए सरलीकृत | यह एक तथ्यात्मक विवरण है और इसका प्रकटन अन्य लेखा नोटों में किया गया है। |

| क्र.सं | स्वतंत्र लेखापरीक्षक की टिप्पणियां | प्रबंधन की टिप्पणियां |
|---|---|---|
| | दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए 31 मार्च 2021 को संभावित ऋण घाटे के संचयी प्रभाव का परिकलन किया है। कंपनी ने समूह कंपनियों से प्राप्यों के सबंध में संभावित ऋण घाटे के प्रति शून्य रूप लेखांकित किया है। | |
| 3. | हम वित्तीय विवरणों के नोट सं. 29 पर ध्यान आकर्षित करते हैं, कंपनी ने दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इंड एएस –8, ''लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन'' के अनुसार अपने वित्तीय विवरणों को पुनःप्रस्तुत किया है। पूर्व अवधि के समायोजन में राजस्व/व्यय की रिकॉर्डिंग और प्राप्य/देय सामंजस्य के प्रभाव में त्रुटियों/चूक शामिल हैं। तदनुसार, संबंधित संपत्ति/देनदारियों में संबंधित प्रभाव के साथ पिछले वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में 157.31 मिलियन रूपए का शुद्ध प्रभाव स्वीकार किया गया है। इससे कर और अन्य व्यापक आय से पूर्व लाभ में कमी आई है और पिछले वर्ष के लिए 157.31 मिलियन रूपए की अन्य इक्विटी की अनुवर्ती कमी के साथ क्रमशः 157.31 मिलियन रूपए और शून्य रूपए का वृहत आय हुई है। | कंपनी ने इंड एएस–8 द्वारा अपेक्षित बहियों में पुनर्कथन किया है और इसे वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है। |
| 4. | कंपनी एअर इंडिया लिमिटेड (धारक कंपनी) को सेवाएं प्रदान करके अपने राजस्व का अधिकांश भाग अर्जित करती है। जैसा कि हमें स्पष्ट किया गया है, कंपनी दोनों के द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं के ब्यौरे को रेखांकित करते हुए एक व्यापक व्यवस्था में प्रवेश करने की प्रक्रिया में है। अनुमोदित मास्टर सेवा समझौते की अनुपस्थिति में, कंपनी ने दोनों पक्षों द्वारा अनुमोदित दर चार्ट के आधार पर अपने लेनदेन को रिकॉर्ड किया है। हमने प्रबंधन मत पर विश्वास किया है कि मास्टर सेवा समझौते का प्रभाव भौतिक नहीं होगा और उस वर्ष पर विचार किया जाएगा जिसमें समझौता यह हस्ताक्षर किया जाएगा। | यह तथ्यात्मक विवरण है। मौजूदा एमएसए पर हमारे द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं और एआई के प्रतिहस्ताक्षर की प्रतीक्षा है। हालांकि, एमएसए का हिस्सा बनने वाली दर अनुसूची पर दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके आधार पर हम एआई को प्रदान की जा रही जीएच सेवाओं के लिए बिलिंग कर रहे हैं। मौजूदा एमएसए दिनांक 1.4.2018 से 31.3.2021 तक वैध था। अगला एमएसए जो दिनांक 1.4.2021 से प्रभावी है, उसका वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान किए गए लेनदेन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। |
| 5. | हम वित्तीय विवरणों के नोट स. 35 पर ध्यान देते हैं, कंपनी समूह कंपनिया यथा, एअर इंडिया लिमिटेड, एअर इंडिया एक्सप्रेस, एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड और एलायंस एयरलाइंस लिमिटेड के संबंध में प्राप्तियों की अतिदेय शेष राशि पर 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज ले रही है। चालू वर्ष के दौरान, अतिदेय भुगतानों पर ब्याज रु 289.05 मिलियन रूपए (पिछले वर्ष रु. 269.41 मिलियन रूपए) को अन्य आय के रूप में लेखांकित किया गया है। हमने प्रबंधन के मत पर विश्वास किया है कि इस तरह की राशि पूर्ण रूप से वसूल की जाएगी और इसलिए, वर्तमान वर्ष के लिए कोई और समायोजन की आवश्यकता नहीं है। | एआई समूह की कंपनियों से बकाया राशि पर वसूली योग्य ब्याज एमएसए के संदर्भ में है और पिछले वर्षों से एआई और समूह कंपनियों से पहले ही वसूल किया जा चुका है और लेखापरीक्षा के तहत वर्ष के लिए भी पूरी तरह से वसूली योग्य है। |

| क्र.सं | स्वतंत्र लेखापरीक्षक की टिप्पणियां | प्रबंधन की टिप्पणियां |
|---|---|---|
| 6. | हम वित्तीय विवरणों में नोट–33 पर ध्यान आकर्षित करते हैं, कंपनी के पास भंडार और पुर्जों सहित 62.27 मिलियन रूपए राशि की इन्वेंटरी उपलबध हैं। इन इन्वेंटरी को एअर इंडिया लिमिटेड और एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड से स्थानांतरित किया गया है, जिनका उपयोग तीन वर्षों से अधिक के लिए नहीं किया जाता है। हमने प्रबंधन के मत पर विश्वास किया है कि इस तरह की इन्वेंटरी का मूल्य कम से कम बहियों में वहन मूल्य के समान है और इसलिए, चालू वर्ष हेतु किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं है। | हमारे तकनीकी दल ने पुष्टि की है कि भंडारण और पुर्जों की सूची के मूल्य में कोई कमी नहीं आई है जो हमारे पास 3 वर्षों से अधिक समय से पड़ी हैं और इसलिए इन्वेंट्री को उन बहियों में ले जाया जा रहा है जिन पर इसे एआई से हमें स्थानांतरित किया गया था। |
| 7. | हम वित्तीय विवरणों के नोट 31(क) पर ध्यान आकर्षित करते हैं, व्यापार देय और व्यापार प्राप्य की शेष राशि (समूह कंपनियों के मामले को छोड़कर) संतुलन की पुष्टि और सामंजस्य के अध्यधीन है। इस प्रकार से समायोजन के लंबित होने के कारण व्यापार प्राप्त ऋण शेष के निवल का 16.06 मिलियन रूपए और व्यापार प्राप्य निवल शेष राशि रु 245.06 मिलियन की प्रस्तुत की गई है। उपयुक्त समायोजन के अभाव में, हम वित्तीय विवरणों पर इस प्रकार के समायोजनों का अनुमान लगाने में असमर्थ हैं। कंपनी कोविड–19 वैश्विक महामारी को ध्याम में रखते हुए प्राप्तियों की पुनर्प्राप्ति का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में है। इस तरह के विश्लेषण के लंबित होने पर, कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोविड–19 के प्रभाव को इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तिथि के अनुसार निर्धारित नहीं किया जा सकता है। | समूह की कंपनियों से संबंधित व्यापार प्राप्तियों के अतिरिक्त कुछ क्रेडिट शेष भी शामिल हैं जिन्हें समाधान प्रक्रिया पूरा होने के बाद मंजूरी दे दी जाएगी।<br><br>व्यापार देनदारियों के संबंध में, हमने सभी लेनदारों को शेष राशि की पुष्टि पत्र भेज दिया है और उसका समाधान किया जा रहा है। |
| | **वित्तीय विवरणों तथा उनसे संबंधित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से अलग अन्य सूचना** | |
| | कम्पनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना के प्रति उत्तरदायी है। अन्य सूचना में निदेशक की रिपोर्ट शामिल है परन्तु इसमें वित्तीय विवरणों तथा उससे संबंधित हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट को शामिल नहीं किया जाता है। निदेशक की रिपोर्ट इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि के पश्चात हमे उपलब्ध होने की संभावना है।<br><br>वित्तीय विवरणों में व्यक्त हमारे मत में अन्य सूचना शामिल नहीं है तथा हम किसी भी प्रकार से उसके संबंध में कोई आश्वासन निष्कर्ष की प्रस्तुति नहीं कर रहे हैं। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| | वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षण के संबंध में हमारा दायित्व इसमें उपर्युक्त सूचना को पढ़ना है, जब वह हमें उपलब्ध हो जाए तथा ऐसा करते हुए यह विचार करना है कि क्या अन्य सूचना की सामग्री वित्तीय विवरणों तथा लेखा परीक्षा की प्रक्रिया के दौरान हमें प्राप्त जानकारी से वस्तुगत रुप से संगत है अथवा इसमें किसी प्रकार के किसी वस्तुगत दुर्विवरण का उल्लेख किया गया है अथवा नहीं। यदि, हमारे द्वारा निष्पादित कार्य के आधार पर हमें अन्य सूचना में किसी प्रकार के सामग्रीगत मिथ्या कथन का आभास होता है तो ऐसे तथ्यों की रिपोर्ट किए जाने की हमसे अपेक्षा की गई है। इसके संबंध में रिपोर्ट के लिए कुछ प्रकाश में नहीं आया है। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| | **वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन के उत्तरदायित्व** | |

| क्र.सं | स्वतंत्र लेखापरीक्षक की टिप्पणियां | प्रबंधन की टिप्पणियां |
|---|---|---|
| | कंपनी का निदेशक मंडल, इन वित्तीय विवरणों, जो अधिनियम, 2015 के अनुच्छेद–133, समय समय पर यथासंशोधित, के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, इक्विटी परिवर्तन तथा रोकड़ प्रवाह के संबंध में वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद 134 के उप–अनुच्छेद(5) में उल्लिखित विषयों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग; युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाने; उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डो की परिशुद्धता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहीं थीं और एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हैं जो वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं और किसी प्रकार के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकार्डो का अनुरक्षण भी शामिल है।<br><br>इन वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रबंधन और निदेशक मंडल कम्पनी की गोइंग कंसर्न को जारी रखे जाने की क्षमता का मूल्यांकन करने, गोइंग कंसर्न को जारी रखे जाने से सम्बद्ध मामलों, यदि कोई हों, का प्रकटीकरण करने तथा प्रबंधन द्वारा कम्पनी को बंद किए जाने का विचार यदि नहीं है तो लेखांकन के लिए गोइंग कंसर्न को जारी रखने के आधार अथवा गोइंग कंसर्न को जारी रखने के अलावा अन्य कोई विकल्प न होने की प्रस्तुति करने के प्रति उत्तरदायी है।<br><br>कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख का दायित्व कम्पनी के निदेशक मंडल का भी है। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| | **वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के लिए लेखा परीक्षकों के उत्तरदायित्व** | |
| | हमारा उद्देष्य वित्तीय विवरणों को तथ्यात्मक दुर्विवरण, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त रखे जाने का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करके अपने मत को शामिल करते हुए लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करना है। युक्तिसंगत आश्वासन को आश्वासन का उच्च स्तर कहा जा सकता है परन्तु इसमें किए गए लेखा परीक्षण के संबंध में यह गारंटी नहीं होती है कि एसए प्रक्रिया के अंतर्गत किए गए लेखा परीक्षण से तथ्यात्मक दुर्विवरण, यदि कोई है, की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो सकेगी। तथ्यात्मक दुर्विववरण जालसाजी अथवा चूक के कारण हो सकता है तथा इसे तथ्यात्मक तभी माना जा सकता है जब इनसे अलग अलग अथवा समस्त रुप में इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोक्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर किसी प्रकार का औचित्यपरक प्रभाव होने की संभावना की गई हो।<br><br>एसए के अंतर्गत की जाने वाली लेखापरीक्षा की पूरी प्रक्रिया के दौरान हमें व्यावसायिक तौर पर संशयात्मक दृश्टिकोण के साथ व्यावसायिक निर्धारण करने होते हैं। हमारे द्वारा निम्नलिखित प्रक्रियाएं भी की गई हैं:– | |

| क्र.सं | स्वतंत्र लेखापरीक्षक की टिप्पणियां | प्रबंधन की टिप्पणियां |
|---|---|---|
| | • वित्तीय विवरणों में तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिमों, जो चाहे जालसाजी अथवा चूक के कारण हों, का संज्ञान तथा मूल्यांकन करना तथा ऐसे जोखिमों पर प्रभावीय लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का स्वरुप तैयार लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं करके अपने मत के आधार के लिए ऐसे लेखापरीक्षा प्रमाण की प्राप्ति करना जो पर्याप्त एवं औचित्यपरक हो। पता न लगाई जा सकी किसी जालसाजी से किए गए तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिम परिणाम किसी चूक से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से कहीं अधिक होते हैं क्योंकि जालसाजियां साठ–गांठ, धोखाधड़ी, किन्हीं उद्देश्यों से की गई चूक, गलत बयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना किए जाने के कारण हो सकती हैं।<br><br>• परिस्थितियों के अनुकूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए लेखापरीक्षा से सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रण को संज्ञान में लेना। अधिनियम के अनुच्छेद 143 के उप–अनुच्छेद (3)(i) के अंतर्गत हमारा दायित्व अपने इस मत की अभिव्यक्त करना भी है कि क्या कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली स्थापित किया गया है तथा क्या ऐसे नियंत्रणों पर यह सिस्टम प्रभावी है अथवा नहीं है।<br><br>• प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की पर्याप्तता तथा प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों की औचित्यपरकता एवं सम्बद्ध प्रकटनों का मूल्यांकन करना।<br><br>• प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए उपयोग में लाए गए गोइंग कंसर्न के आधार तथा प्राप्त लेखापरीक्षा परिणामों के आधार की उपयुक्तता के संबंध में यह निश्चय करना कि क्या स्थितियां अथवा परिस्थितियां है जिनसे यह तथ्यपरक अनिश्चितता होती हो तथा जिनसे गोइंग कंसर्न के लिए कम्पनी की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव की आशंका हुई हो। यदि ऐसी किसी प्रकार की तथ्यपरक अनिश्चितता को शामिल किया जाता है तो हम से अपनी वित्तीय विवरणों से सम्बद्ध लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संबद्ध प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करवाए जाने तथा ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होने की स्थिति में अपना मत संशोधित करने की अपेक्षा है। हमारे द्वारा किया गया निश्चय हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित तिथि के दौरान प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा प्रमाणों पर आधारित है। तथापि, भावी स्थितियों अथवा परिस्थितियों के परिणाम कम्पनी की प्रक्रियाओं को गोइंग कंसर्न के रुप में जारी न रखे जाने का कारण हो सकते हैं।<br><br>• प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों की पूर्ण प्रस्तुति, संरचना एवं सार संक्षेप का मूल्यांकन करना तथा यह ज्ञात करना कि क्या वित्तीय विवरणों में लेन देन संव्यवहार एवं स्थिति का विवरण उचित स्वरुप में दिया गया है अथवा नहीं। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| | **अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट** | |
| 1 | कंपनी अधिनियम की धारा 143 (11) के निबंधनों के अनुसार भारत सरकार द्वारा कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (''आदेश'') द्वारा अपेक्षित उक्त आदेश के पैरा 3 और 4 में यथा लागू विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण हम अनुबंध–क के रूप में दे रहे हैं। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| 2 | अधिनियम के अनुच्छेद 143 के उप–अनुच्छेद(3) में की गई अपेक्षाओं के अनुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं कि : | |

| क्र.सं | स्वतंत्र लेखापरीक्षक की टिप्पणियां | प्रबंधन की टिप्पणियां |
|---|---|---|
| (क) | हमने वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| (ख) | हमारे मतानुसार, उपुर्यक्त अर्हता मत का आधार पैरा में में वर्णित मुद्दे को छोड़कर विधि द्वारा अपेक्षित अनुसार कंपनी ने उचित लेखा बहियों का अनुरक्षण किया है जैसा कि लेखा बहियों की हमारी जांच से प्रतीत हुआ है। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| (ग) | इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र, लाभ–हानि विवरण (अन्य वृहत आय सहित) तथा रोकड़ प्रवाह विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| (घ) | उपुर्यक्त अर्हता मत का आधार पैरा में वर्णित मुद्दों के निर्धारित/अनिर्धारित प्रभावों को छोड़कर, हमारे मतानुसार, उपयुक्त वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानक से संगत हैं। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| (ड.) | हमारे मतानुसार उपुर्यक्त अर्हता मत हेतु आधार में वर्णित मुद्दे का निष्कर्ष, का कंपनी की कार्यप्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। | कंपनी की राय है कि कंपनी के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा |
| (च) | निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) तारीख 05 जून, 2015 के अनुसरण में अधिनियम की धारा 164 की उपधारा(2) के प्रावधान सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| (छ) | कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनिक प्रभाव का उल्लेख ''अनुबंध–ख'' में प्रस्तुत हमारी पृथक रिपोर्ट में किया गया है। | कंपनी ने अवलोकन को नोट कर लिया है और इस प्रणाली मजबूत करने की प्रक्रिया में है। |
| (ज) | निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) तारीख 05 जून, 2015 के अनुसरण में प्रबंधकीय पारिश्रमिक संबंधित अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| (झ) | हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2015 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में: | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| (i) | कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है – वित्तीय विवरण के नोट सं. 26 का संदर्भ लें; | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| (ii) | कंपनी के डैरिवेटिव संविदाएं सहित कोई दीर्घकालीन संविदाएं नहीं हैं, जिनके संबंध में कोई सामग्रीगत अपरिहार्य घाटे हुए थे। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| (iii) | ऐसी कोई राशियां नहीं थीं जिन्हें कंपनी के निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता थी। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| 3. | अधिनियम के अनुच्छेद 143 के उप–अनुच्छेद (5) द्वारा अपेक्षित अनुसार तथा एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देश के अनुसार हम सूचित करते हैं कि: | |

| क्र.सं | स्वतंत्र लेखापरीक्षक की टिप्पणियां | प्रबंधन की टिप्पणियां |
|---|---|---|
| (क) | *क्या कम्पनी में सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया किए जाने व्यवस्था स्थापित की गई है? यदि हां, तो लेखांकन संव्यवहारों को बाह्य सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से की जाने वाली प्रक्रिया से लेखों के समेकन में होने वाली कठिनाईयों तथा वित्तीय कठिनाईयों, यदि कोई हों, का विवरण प्रस्तुत करें।*<br><br>कंपनी में आईटी प्रणाली के माध्यम से लेखांकन संव्यवहारों के लिए प्रणाली उपस्थित है। तथापि, यह अवलोकन किया गया है कि वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप पूर्ण और सटीक सूचना उपलब्ध कराने के लिए सूचना प्रणाली के निवारण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के डिजाइन की उपयुक्तता को सुदृढ किए जाने की आवश्यकता है। हम और अधिक ब्यौरे के लिए अधिनियम के अनुच्छेद 143 के उप अनुच्छेद (3) के खंड (i) के अंतर्गत उपर्युक्त वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट – अनुबंध ख पर हमारी पृथक रिपोर्ट में प्रस्तुत टिप्पणियों का संदर्भ लें। | |
| | (ख) क्या किसी विद्यमान ऋण अथवा किसी ऋणदाता द्वारा कम्पनी को दिए गए उधार/ऋण/ब्याज इत्यादि के संबंध में कम्पनी द्वारा ऋण अदायगी न किए जाने के कारण ऋण की किसी प्रकार की पुनर्संरचना अथवा छूट/बट्टा किए जाने की प्रक्रिया की गई है? यदि हां, तो इससे संबंधित किसी प्रकार की वित्तीय बाध्यताएं हों तो उसका विवरण प्रस्तुत करें।<br><br>कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई कर्ज नहीं लिए हैं। | |
| | (ग) क्या विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत केन्द्र/ राज्य एजेंसियों से प्राप्त/ प्राप्य से प्राप्य निधियों का उचित लेखा रखा गया है/ नियमों एवं शर्तो के अनुसार उचित उपयोग किया गया है ? व्यतिक्रम के मामलों की सूची प्रस्तुत करें।<br><br>कंपनी ने वर्ष के दौरान केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के तहत कोई निधियां प्राप्त नहीं की हैं। | |
| | **स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध ''क''**<br><br>**(समसंख्यक तिथि की एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के 'अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' खंड के अंतर्गत पैरा 1 का संदर्भ लें)** | |
| i)<br>(क) | कम्पनी ने लेखा बहियों में उपलब्ध ब्यौरों के आधार पर स्थिर परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) रजिस्टर का अनुरक्षण करती है। तथापि, स्थिर परिसंपत्ति रजिस्टर मात्रात्मक ब्यौरे सहित पूर्ण विवरण दर्शाता है और यह स्थिर परिसम्पतित्यों की स्थिति को नहीं दर्शाता है। | एसएपी में अचल संपत्ति रजिस्टर का अनुरक्षण किया जाता है और इसमें सभी आवश्यक विवरण होते हैं और इसे व्यापार क्षेत्र के अनुसार बनाए रखा जाता है और व्यवसाय क्षेत्र द्वारा स्थान की पहचान की जाती है। |

| क्र.सं | स्वतंत्र लेखापरीक्षक की टिप्पणियां | प्रबंधन की टिप्पणियां |
|---|---|---|
| (ख) | वर्ष 2018 के दौरान तीसरे पक्ष द्वारा परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया था और अगस्त 2019 के दौरान उनके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।<br><br>कंपनी की नीति के अनुसार, दो वर्ष में एक बार पीपीई का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। उक्त नीति के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020 के लिए भौतिक सत्यापन किया गया था, तथापि, वर्ष के दौरान इसे पूरा नहीं किया जा सका। भौतिक सत्यापन के अभाव में, प्रबंधन द्वारा पीपीई के भौतिक भौतिक सत्यापन की प्रभावपूर्णता पर टिप्पणी नहीं की जा सकी है। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है।<br><br>हमने संपत्तियों का भौतिक सत्यापन करने के लिए पहले ही कार्य आदेश जारी कर दिए हैं, हालांकि, महामारी के कारण, इसमें देरी हो रही है और जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। |
| (ग) | कंपनी के स्वामित्व में कोई अचल परिसंपत्ति नहीं है और इसलिए, इस आदेश का पैरा 3 (i) (ग) कंपनी पर लागू नहीं है। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| (ii) | हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा इन्वेंट्री को भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है। हमारी राय में, इस तरह के सत्यापन की आवृत्ति को और मजबूत करने की आवश्यकता है। जैसा कि हमें बताया गया है, भौतिक स्टॉक और बुक रिकॉर्ड के बीच सत्यापन में कोई विसंगति नहीं देखी गई है। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| (iii) | हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के अनुसार अधिनियम की धारा 189 के अधीन रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से कम्पनी ने रक्षित या अरक्षित किसी प्रकार का ऋण न लिया है न दिया है। इसलिए, आदेश के पैरा 3 (iii)(क), (ख) तथा (ग) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नहीं होती। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| (iv) | हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऋणों, निवेशों, गारंटी और प्रतिभूति के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 185 तथा 186 का अनुपालन किया गया है। इसलिए, आदेश के पैरा 3 (iv) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नहीं होती। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| (v) | हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने जनसाधारण से कोई जमाराशि प्राप्त नहीं की है और इसलिए, आदेश के पैरा 3 (v) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नहीं होती। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |

| क्र.सं | स्वतंत्र लेखापरीक्षक की टिप्पणियां | प्रबंधन की टिप्पणियां |
|---|---|---|
| (vi) | कंपनी ने अधिनियम की धारा 148 में विनिर्दिष्ट अनुसार लागत अभिलेखों का अनुरक्षण किया है। हमने व्यापक स्तर पर अधिनियम के अनुच्छेद 148 के उप अनुच्छेद (1) के अंतर्गत लागत रिकार्डों के अनुरक्षण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसरण में कंपनी द्वारा अनुरक्षित रिकार्डों की समीक्षा की है। तथापि, हमने ना ही ऐसे लेखों और रिकार्डो की किसी विस्तृत जांच को करने की आवश्यकता पड़ी है और ना ही हमने ऐसा किया है। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| (vii) | क. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे द्वारा कंपनी के रिकार्डों की जांच के आधार पर, हमारे मतानुसार, कंपनी द्वारा सामान्यतः भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्रीकर, वस्तु एवं सेवाकार, उपकर तथा अन्य सामग्रीगत सांविधिक देय की राशियों को उपयुक्त प्राधिकारियों के पास नियमित रुप से जमा नहीं कराया जाता है केवल भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, व्यावसायिक कर, आयकर, स्रोत पर कर कटौती और वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में देयराशियों के भुगतान के संबंध में गैर अनुपालन पाया गया है। इसके अतिरिक्त, वस्तु एवं सेवा कर तथा स्रोत पर कर कटौती की संबंधित सांविधिक रिटर्नों में समाधान किया जा रहा है। उपयुक्त सूचना के अभाव में, हम इस पर मत प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं।<br><br>हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हमने उक्त राशियों के देय होने की तिथि से छह महीनों से अधिक की अवधि के लिए वर्ष के अंत में बकाया अविवादित देय राशियों (समाधान के लिए) को नोटिस किया गया है। | कंपनी समग्र रूप से कुछ गैर–अनुपालनों को छोड़कर सांविधिक देय राशियों को समय पर जमा कर रही है, जिसके लिए लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान देखे गए मुद्दों के निवारण के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू की जा रही है और आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि इन्हें तेजी से पूरा किया जा सके। कोविड–19 महामारी के कारण नकदी की कमी ने बकाया भुगतान में देरी को और बढ़ा दिया है। |

| नियम का नाम | देय राशियों की प्रकृति | राशि (मिलियन रूपए में) | अवधि जिससे यह राशि संबंधित है |
|---|---|---|---|
| कर्मचारी राज्य बीमा, 1948 | ईएसआईसी देय राशियां | 2.93 | समाधान किया जा रहा है |
| व्यावसायिक कर | व्यावसायिक कर | 2.02 | समाधान किया जा रहा है |
| आय कर अधिनियम, 1961 | स्रोत पर कर की कटौती | 10.68 | समाधान किया जा रहा है |
| वस्तु एवं सेवा कर | जीएसटी पर टीडीएस (खंड 51) | 0.34 | समाधान किया जा रहा है |

<table>
<tr><th>क्र.सं</th><th>स्वतंत्र लेखापरीक्षक की टिप्पणियां</th><th>प्रबंधन की टिप्पणियां</th></tr>
<tr><td></td><td>(ख) हमे ं दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार आयकर, बिक्री कर, वस्तु एवं सेवाकर, उपकर और अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देय राशियों के संबध में ऐसी कोई देय राशियों नहीं हैं, जिन्हें निम्नालिखित को छोडकर किसी विवाद के कारण उपयुक्त प्राधिकरणों को जमा न कराया गया होः<br>
<table>
<tr><th>नियम का नाम</th><th>देय राशि की प्रकृति</th><th>राशि (मिलियन रूपए में)</th><th>अवधि जिससे यह राशि संबंधित है</th><th>न्यायालय जहां विवाद लंबित है</th></tr>
<tr><td>आयकर अधिनियम, 1961</td><td>आयकर</td><td>0.15</td><td>वित्तीय वर्श 2013–14</td><td>आयकर अपील अधिकरण (आईटीएटी)</td></tr>
<tr><td>आयकर अधिनियम, 1961</td><td>आयकर</td><td>13.34</td><td>वित्तीय वर्श 2013–14</td><td>आयकर आयुक्त (अपील)</td></tr>
<tr><td>आयकर अधिनियम, 1961</td><td>आयकर</td><td>6.60</td><td>वित्तीय वर्श 2017–18</td><td>आयकर आयुक्त (अपील)</td></tr>
</table></td><td>यह एक तथ्यात्मक विवरण है।</td></tr>
<tr><td>(viii)</td><td>दस्तावेजों और रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान, बैंकों, सरकार या डिबैंचरधारक से कोई ऋण या उधार नहीं लिया है या डिबैंचर जारी नहीं किए हैं। तदनुसार, इस आदेश का पैरा 3 (viii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।</td><td>यह एक तथ्यात्मक विवरण है।</td></tr>
<tr><td>(ix)</td><td>हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी ने किसी आरंभिक पब्लिक ऑफरिंग या अगले पब्लिक ऑफरिंग (ऋण व्यवस्थाओं सहित) के माध्यम से कोई धन या सावधि ऋण प्राप्त नहीं किया है। तदनुसार, इस आदेश का पैरा 3 (ix) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।</td><td>यह एक तथ्यात्मक विवरण है।</td></tr>
<tr><td>(x)</td><td>स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी और उसके अधिकारी या कर्मचारियों द्वारा कोई भी भौतिक धोखाधड़ी देखा या रिपोर्ट नहीं की गई है।</td><td>यह एक तथ्यात्मक विवरण है।</td></tr>
<tr><td>(xi)</td><td>निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) तारीख 05 जून, 2015 के अनुसरण में प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, इसलिए इस आदेश का पैरा 3 (ix) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।</td><td>यह एक तथ्यात्मक विवरण है।</td></tr>
<tr><td>(xii)</td><td>हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी निधि कंपनी नहीं है, इसलिए, इस आदेश का खंड 3 (xii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होता है।</td><td>यह एक तथ्यात्मक विवरण है।</td></tr>
</table>

| क्र.सं | स्वतंत्र लेखापरीक्षक की टिप्पणियां | प्रबंधन की टिप्पणियां |
|---|---|---|
| (xiii) | हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हमें द्वाारा रिकॉर्डों की हमारी जांच के आधार पर, एक सरकारी कंपनी होने के कारण कंपनी को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 की शर्तों के अनुसार अधिनियम की धारा 188 के अनुपालन के तहत अन्य सरकारी कंपनियों के साथ संव्यवहार की छूट प्रदान की गई है। इस प्रकार के संव्यवहारों को लागू वित्तीय मानकों द्वारा आवश्यक रूप में वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।<br><br>हमारे मतानुसार और कंपनी द्वारा हमें दी गई जानकारी के अनुसार, कंपनी संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहारों के संबंध में लागू स्तर तक अधिनियम की धारा 177 में है।<br><br>हमारे मतानुसार और कंपनी द्वारा हमें दी गई जानकारी के अनुसार कंपनी ने संबंधित पक्ष संव्यवहारों के अपेक्षित ब्यौरों को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है, जैसा कि लागू लेखांकन मानक में अपेक्षित है। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| (xiv) | कंपनी ने  वर्ष के दौरान कंपनी के शेयरों का पूर्ण या आंशिक रुप से निजी प्लेसमेट का कोई प्रेफरेंशियल आवंटन नहीं किया है और इसलिए इस आदेश के खंड 3 (xiv) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| (xv) | वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और हमारे मतानुसार तथा प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण कंपनी ने निदेशकों या उनके संबंधित किसी व्यक्ति के साथ कोई गैर–रोकड़ संव्यवहार नहीं किया है। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| (xvi) | कंपनी को रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के खंड 45–1क के अंतर्गत पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है और तदनुसार, इस आदेश का पैरा 3 (xvi) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |

# 31 मार्च, 2021 को तुलन पत्र

रूपए मिलियन मे

| विवरण | | संदर्भ | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को (पुनःवर्णित) |
|---|---|---|---|---|
| I | **परिसंपत्ति** | | | |
| 1 | **गैर वर्तमान परिसंपत्तियां** | | | |
| (i) | संपत्ति, संयत्र और उपकरण | 2 | **3,369.41** | 3,564.54 |
| (ii) | परिसंपत्ति प्रयोग अधिकार | 3 | **31.77** | 160.37 |
| (iii) | आयकर परिसंपत्तियां (निवल) | 4 | **49.89** | 261.46 |
| (iv) | आस्थगित कर परसंपत्तियां (निवल) | 5 | **964.11** | 769.82 |
| (v) | अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां | 6 | **13.52** | 0.65 |
| | **कुल गैर चालू परिसंपतियां** | | **4,428.70** | **4,756.84** |
| 2 | **चालू परिसंपत्तियां** | | | |
| (i) | दरसूचियां | 7 | **62.28** | 86.77 |
| (ii) | वित्तीय परिसंपत्तियां | | | |
| | (क) व्यापार प्राप्य राषियां | 8 | **3,680.65** | 5,543.04 |
| | (ख) नकद और नकदी समतुल्य | 9 | **43.58** | 161.02 |
| | (ग) बैंक शेष उपरोक्त (ख) के अलावा | 10 | **1.59** | 1.50 |
| | (घ) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां | 11 | **57.54** | 76.86 |
| (iii) | अन्य चालू परिसंपत्तियां | 6 | **130.61** | 138.73 |
| | **कुल चालू परिसंपत्तियां** | | **3,976.25** | **6,007.91** |
| | **कुल परिसंपत्तियां** | | **8,404.95** | 10,764.75 |
| II | **इक्विटी और देयताएं** | | | |
| 1 | **इक्विटी** | | | |
| | (क) इक्विटी शेयर | 12 | **1,384.24** | 1,384.24 |
| | (ख) अन्य इक्विटी | 13 | **459.71** | 2,490.22 |
| | कुल इक्विटी | | **1,843.95** | **3,874.46** |
| 2 | **देयताएं** | | | |
| (i) | **गैर वर्तमान देयताएं** | | | |
| | (क) वित्तीय देयताएं | | | |
| | (i) पट्टा देयताएं | 3 | **-** | 34.78 |
| | (ii) अन्य वित्तीय देयताएं | 14 | **0.11** | 0.11 |
| | (ख) प्रावधान | 15 | **2,625.43** | 2,568.01 |
| | (ग) अन्य गैर चालू देयताएं | 16 | **21.49** | 20.88 |
| | **कुल गैर चालू देयताएं** | | **2,647.03** | **2,623.78** |
| (ii) | **चालू देयताएं** | | | |
| | क) वित्तीय देयताएं | | | |
| | (i) पट्टा देयताएं | 3 | **35.19** | 131.46 |
| | (ii) व्यापार प्राप्य | 17 | | |
| | (क) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के कुल बकाया देय | | **4.51** | 0.26 |
| | (ख) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से इतर ऋणदाताओं के कुल बकाया देय | | **1,061.79** | 845.94 |
| | (iii) अन्य वर्तमान देयताएं | 14 | **1,632.20** | 2,140.21 |
| | (ख) प्रावधान | 15 | **312.29** | 526.29 |
| | (ग) अन्य वर्तमान देयताएं | 18 | **867.99** | 622.35 |
| | कुल चालू देयताएं | | **3,913.97** | **4,266.51** |
| | कुल इक्विटी और देयताएं | | **8,404.95** | **10,764.75** |

वित्तीय विवरणों के संलग्न नोटों को देखें
*त्रुटि/लोप के परिणामस्वरूप पुनर्निर्धारण के संबंध में ब्यौरे हेतु नोट 25 का संदर्भ लें

**हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार**
**कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी**
सनदी लेखाकारे
फर्म पंजीकरण सं. 109574डब्ल्यू

हस्ता/–.
**विपुल के. चौकसी**
साझेदार
स.सं 37606
यूडीआईएन : 21037606AAAACO2003

**निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से**

हस्ता/–
**राजीव बंसल**
अध्यक्ष
डिन 00245460

हस्ता/–
**विमलेन्द्र आनन्द पटवर्धन**
निदेशक
डिन 08701559

हस्ता/–.
**राजेश नारायण**
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता/–
**रामबाबू सी.एच**
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

हस्ता/–
**श्रीमती शशी भदूला**
कंपनी सचिव

स्थान : दिल्ली/मुंबई
दिनांक : 13 सितंबर, 2021

# 31 मार्च, 2021 को लाभ और हानि विवरण

रूपए मिलियन मे

| | विवरण | संदर्भ | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को (पुन:वर्णित) |
|---|---|---|---|---|
| I | प्रचालन से राजस्व | 19 | **2,892.50** | 6,081.23 |
| II | अन्य आय | 20 | **448.65** | 880.33 |
| III | **कुल राजस्व (I+II)** | | **3,341.15** | 6,961.56 |
| IV | व्यय : | | | |
| क | कर्मचारी लाभ व्यय | 21 | **3,835.78** | 4,396.35 |
| ख | वित्तीय लागत | 22 | **9.55** | 62.93 |
| ग | मूल्यह्रास व्यय | 2 | **488.27** | 383.28 |
| घ | अन्य व्यय | 23 | **1,238.40** | 937.73 |
| V | **कुल व्यय** | | **5,572.00** | **5,780.29** |
| VI | **कर पूर्व लाभ/घाटा (III-IV)** | | **(2,230.85)** | **1,181.27** |
| VII | कर व्यय | | | |
| | 1 चालू कर | | **-** | 393.60 |
| | 2 कर हेतु अल्प/(अतिरेक) प्रावधान | | **-** | (27.16) |
| | 3 आस्थगित कर (देयता)/परिसंपत्ति | | **(194.29)** | 310.01 |
| VIII | **वर्ष के लिए लाभ/घाटा (IX-X)** | | **(2,036.56)** | **504.82** |
| IX | **अन्य वृहत आय** | | | |
| (i) | मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनवर्गीकृत नहीं किया जाएगा | | | |
| | क. निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन | | **(6.05)** | **(8.61)** |
| (ii) | मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनवर्गीकृत नहीं किया जाएगा | | **-** | 2.17 |
| | **कुल अन्य वृहत आय** | | **(6.05)** | (6.45) |
| | पूर्व अवधि व्यय | | | |
| X | **वर्ष के लिए कुल वृहत आय** | | **(2,030.51)** | 498.38 |
| XI | **प्रति 10 रूपए के इक्विटी शेयरों पर आमदनी** | 39 | | |
| | मूल (रूपए) | | **(14.71)** | 3.65 |
| | विलयित (रूपए) | | **(14.71)** | 3.65 |

वित्तीय विवरणों के संलग्न नोटों को देखें

*त्रुटि/लोप के परिणामस्वरूप पुनर्निर्धारण के संबंध में ब्यौरे हेतु नोट 25 का संदर्भ लें

**हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार**
**कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी**
सनदी लेखाकारे
फर्म पंजीकरण सं. 109574डब्ल्यू

हस्ता/–.
**विपुल के. चौकसी**
साझेदार

स.सं 37606
यूडीआईएन : 21037606AAAACO2003

स्थान : दिल्ली/मुंबई
दिनांक : 13 सितंबर, 2021

**निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से**

हस्ता/–
**राजीव बंसल**
अध्यक्ष
डिन 00245460

हस्ता/–
**विमलेन्द्र आनन्द पटवर्धन**
निदेषक
डिन 08701559

हस्ता/–.
**राजेश नारायण**
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता/–
**रामबाबू सी.एच**
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

हस्ता/–
**श्रीमती शशी भदूला**
कंपनी सचिव

# 31 मार्च, 2021 को इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

रूपए मिलियन मे

| क. इक्विटी शेयर पूंजी | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| **रिपोर्टिंग वर्ष के आरंभ में शेष** | **1,384.24** | **1,384.24** |
| वर्ष के दौरान संचलन | - | - |
| **रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में शेष** | **1,384.24** | **1,384.24** |

ख. अन्य इक्विटी

| विवरण | आरक्षित निधि एवं अतिरेक | कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के प्रति कुल इक्विटी |
|---|---|---|
| | प्रतिधारण आमदनियां | |
| **1 अप्रैल 2019 को आरंभिक शेष** | 1,991.84 | 1,991.84 |
| पूर्ववर्ती वर्षों के आस्थगित कर परिसंपत्ति का प्रभाव | - | - |
| वर्ष के लिए लाभ | 662.13 | 662.13 |
| गलतियों और लोप का शुद्विकरण (नोट 29 का संदर्भ लें) | (157.31) | (157.31) |
| अन्य वृहत आय/(घाटा) | (6.45) | (6.45) |
| निर्धारित लाभ योजना का पुनःमापन | - | - |
| **31 मार्च 2020 को शेष** | **2,490.22** | **2,490.22** |
| पूर्ववर्ती वर्षों की आस्थिगित कर परिसंपत्तियों का प्रभाव | - | - |
| वर्ष के लिए लाभ/(हानि) | (2,030.51) | (2,030.51) |
| गलतियों और लोप का शुद्विकरण (नोट 29 का संदर्भ लें) | - | - |
| अन्य वृहत आय/(घाटा) | - | - |
| **31 मार्च 2021 को शेष** | **459.71** | **459.71** |

**हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार**
**कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी**
सनदी लेखाकारे
फर्म पंजीकरण सं. 109574डब्ल्यू

हस्ता/–.
**विपुल के. चौकसी**
साझेदार
स.सं 37606
यूडीआईएन : 21037606AAAACO2003

स्थान : दिल्ली/मुंबई
दिनांक : 13 सितंबर, 2021

**निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से**

हस्ता/–
**राजीव बंसल**
अध्यक्ष
डिन 00245460

हस्ता/–
**विमलेन्द्र आनन्द पटवर्धन**
निदेषक
डिन 08701559

हस्ता/–.
**राजेश नारायण**
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता/–
**रामबाबू सी.एच**
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

हस्ता/–
**श्रीमती शशी भदूला**
कंपनी सचिव

## 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

रूपए मिलियन मे

| | विवरण | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु | |
|---|---|---|---|---|---|
| क | **प्रचालनिक गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह** | | | | |
| | कर पूर्व लाभ/घाटा | | **(2,230.85)** | | 1,181.27 |
| | निम्न हेतु समायोजनः | | | | |
| | मूल्यह्रास /परिषोधन | **488.27** | | 383.28 | |
| | स्थिर पसिंपत्तियों पर ब्याज | **(0.10)** | | (0.41) | |
| | आयकर पर ब्याज | **(6.32)** | | 49.05 | |
| | एमएसएमई पर ब्याज | **-** | | 0.03 | |
| | पट्टा देयताओं पर ब्याज | **9.55** | | 13.88 | |
| | परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभ व हानि | **-** | | 21.15 | |
| | संभावित ऋण घाटा व्यवस्था | **436.82** | | 122.82 | |
| | प्रवधान की अब आवश्यकता नहीं है | **-** | | (101.03) | |
| | उपदान की वसूलियां | **-** | | (86.47) | |
| | गैरवसूलीयोग्य विनिमय लाभ/हानि | **30.90** | **959.12** | (275.07) | 127.22 |
| | **कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालनिक लाभ** | | **(1,271.73)** | | **1,308.49** |
| | निम्न हेतु समायोजनः | | | | |
| | दरसूचियों में वृद्धि/ कमी | **24.49** | | 3.04 | |
| | व्यापार प्राप्यों में वृद्धि/ कमी | **1,425.56** | | (1,602.13) | |
| | अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन प्रावधानों में (वृद्वि)/कमी | **(150.53)** | | (317.35) | |
| | अन्य चालू तथा गैर चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी | **226.15** | | (18.26) | |
| | व्यापार प्राप्य में कमी/(वद्धि) | **220.10** | | 1,916.96 | |
| | अन्य चालू एवं गैर चालू देयताओं में वृद्धि और (कमी) | **(349.70)** | **1,396.08** | (631.76) | (649.51) |
| | **प्रचालन से सृजित रोकड़** | | **124.34** | | **658.98** |
| | प्रदत्त आयकर (धनवापसी का निवल) | | **6.32** | | (64.52) |
| | **प्रचालनिक गतिविधियों से निवल रोकड** | | **130.66** | | **594.46** |
| ख | **निवेश गतिविधियों से रोकड प्रवाह** | | | | |
| | सावधि जमा पर ब्याज | **0.09** | | 0.41 | |
| | सावधि जमा | **-** | | (1.50) | |
| | परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री/निवल | **-** | | 23.30 | |
| | परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद | **(107.50)** | | (493.32) | |
| | **निवेश गतिविधियों से निवल रोकड** | | **(107.41)** | | **(471.10)** |
| ग | **वित्तीय गतिविधियों से रोकड प्रवाह** | | | | |
| | उपयोग परिसंपत्ति अधिकार का किराया प्रभार | | **(140.60)** | | (100.38) |
| | **वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड** | | **(140.60)** | | **(100.38)** |
| | **रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य में (कमी)/वृद्धि** | | **(117.35)** | | **22.98** |
| | जमाः वर्श के आरंभ में रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्यों | | **162.52** | | 139.55 |
| | **वर्ष के अंत में रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य** | | **45.17** | | **162.52** |
| | **रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्यों के घटक** | | | | |
| | उपलब्ध रोकड़ | | **0.12** | | 0.07 |
| | चालू खाते में शेष | | **43.46** | | 160.95 |
| | अन्य जमा खाते * | | **1.59** | | 1.50 |
| | | | **45.17** | | 162.52 |

* सावधि जमा को ह्निित किया गया है। संदर्भ नोट 9 और नोट 10

**वित्तीय विवरणों के संलग्न नोटों को देखें**

**हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार**
**कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी**
सनदी लेखाकारे
फर्म पंजीकरण सं. 109574डब्ल्यू

हस्ता/–.
**विपुल के. चौकसी**
साझेदार

स.सं 37606
यूडीआईएन : 21037606AAAACO2003

स्थान : दिल्ली/मुंबई
दिनांक : 13 सितंबर, 2021

**निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से**

हस्ता/–
**राजीव बंसल**
अध्यक्ष
डिन 00245460

हस्ता/–
**विमलेन्द्र आनन्द पटवर्धन**
निदेषक
डिन 08701559

हस्ता/–.
**राजेश नारायण**
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता/–
**रामबाबू सी.एच**
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

हस्ता/–
**श्रीमती शशी भदूला**
कंपनी सचिव

## दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग का सृजन करने वाले नोट

**नोट 1**

### क. कारपोरेट सूचना :

एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (भारत सरकार की कम्पनी एअर इंडिया लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व की सहायक सहायक कम्पनी) का भारत में सार्वजनिक लिमटेड कम्पनी के रूप में निगमन भारत में लागू कम्पनी अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत किया गया है और इसका सीआईएन U63090DL2003PLC120790 है। कंपनी ने अपना नाम एअर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड से बदल कर एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड कर दिया है। कम्पनी मुख्यतः भारतीय हवाईअड्डों पर भारतीय प्रचालकों को स्थल संचलन से संबंधित सेवाएं प्रदान करती है।

कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय : दूसरा तल, जीएसडी भवन, एअर इंडिया कॉम्पलैक्स, टर्मिनल–2, आईजीआई हवाईअड्ड, नई दिल्ली–110037 में स्थित है।

### ख. वित्तीय विवरणों के निर्माण का आधारः

कम्पनी द्वारा इन वित्तीय विवरणों का निर्माण किया गया है जिसमें 31 मार्च, 2021 को वर्ष के तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण एवं वर्ष में समाप्त तिथि के अनुसार इक्विटी परिवर्तन विवरण तथा लेखांकन नीतियां एवं अन्य स्पष्टीकरण सूचना शामिल की गई है (यहां एकसाथ ''वित्तीय विवरणों'' के नाम से संदर्भित)।

(i) लेखे तैयार तथा प्रस्तुति करने का आधारः

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत अभिसमय के अंतर्गत भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) के अनुसार तैयार किया गया है, केवल रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में कुछ वित्तीय उपकरणों का उचित मूल्य पर मापन किए जाने को छोड़कर, जैसा कि नीचे लेखांकन नीतियों में उल्लेख किया गया है।

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या मापन तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा, चाहे उसकी कीमत सीधे समायोजन योग्य हो या किसी अन्य मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके निर्धारित की गई हो। किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य का अनुमान लगाने के लिए कंपनी परिसंपत्ति या देयता की विशेषताओं को ध्यान में रखती है, यदि मापन तिथि को परिसंपत्ति या देयता का मूल्य निर्धारण करते समय बाजार सहभागी उन विशेषताओं को ध्यान में रखते हैं।

इन वित्तीय विवरणों में मापन तथा/अथवा प्रकटीकरण उद्देश्यों से उचित मूल्य का निर्धारण ऐसे आधार पर किया गया है, जो इंड एएस–17 की व्यापकता के दायरे में आने वाले पट्टा संव्यवहारों के अलावा हैं , तथा उनका मापन उचित मूल्य की कुछ ऐसी समानताओं के अनुसार किया गया जो उचित मूल्य नहीं हैं, जेसे कि इंड एएस–2 में शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य अथवा इंड एएस 36 में प्रयुक्त मूल्य।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्य से उचित मूल्य मापन को उनकी डिग्री के आधार पर 1, 2 तथा 3 के स्तर में उस वर्ग में वर्गीकृत किया गया है जिनमें उचित मूल्य मापन की इनपुट प्रत्यक्ष हैं तथा उचित मूल्य मापन पर ऐसी इनपुट की सार्थकता सम्पूर्ण है, जो निम्नानुसार वर्णित किए गए हैंः–

- स्तर 1 इनपुट उन समान प्रकार की परिसम्पतियों अथवा देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य (असमायोजित) हैं जिन तक कोई इकाई मापन की तिथि पर पहुंच स्थापित कर सकती है;
- स्तर 2 की इनपुट मूल्य उद्धृत उन इनपुटों के अलावा हैं जो स्तर 1 में शामिल की गई हैं तथा जो परिसम्पति अथवा देयता के लिए, परोक्ष अथवा अपरोक्ष स्वरूप में, देखी जा सकती हैं; तथा
- स्तर 3 इनपुट परिसम्पति अथवा देयता की वे इनपुट हैं जो प्रत्यक्ष नहीं हैं।

तुलन पत्र में आवर्ती आधार पर स्वीकृत की गई परिसम्पतियों तथा देयताओं के बारे में कम्पनी द्वारा ये निर्धारण किए जाते हैं कि क्या प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्गीकरण (न्यूनतम स्तर की इनपुट पर आधारित जो पूर्ण रूप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण है) के पुनःमूल्यांकन द्वारा स्तरों के मध्य तारतम्यता में अंतरण किए गए हैं अथवा नहीं।

उचित मूल्य प्रकटीकरण के उद्देश्य से कम्पनी द्वारा परिसम्पतियों तथा देयताओं की प्रकृति, विशिष्टता एवं परिसम्पति अथवा देयता से सम्बद्ध जोखिम के आधार पर तथा पर किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उचित मूल्य तारतम्यता के स्तर के अनुसार उनके वर्गों का निर्धारण किया गया है।

(ii) **कार्यात्मक मुद्रा :**

कम्पनी जिस प्रमुख आर्थिक परिवेश में अपने प्रचालन ("कार्यात्मक मुद्रा") करती है वह भारतीय रूपए (रू.) है, जिसकी प्रमुख उत्पति कम्पनी द्वारा करके रोकड़ के रूप में प्रसारित की जाती है। तदनुसार, प्रबंधन द्वारा भारतीय रूपए (रू.) को अपनी कार्यात्मक मुद्रा रूप में स्वीकार किया गया है। कम्पनी द्वारा अपने वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति अपनी कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रूपए) में की गई है तथा वित्तीय विवरणों तथा नोटों में सभी राशियों के प्रकटीकरण कार्यात्मक मुद्रा में करते हुए उन्हीं निकटतम मिलियन (एक दशमलव तक), यदि अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया है, तक राउंड आफ किया गया है।

(iii) **चालू तथा गैर–चालू वर्गीकरण**

कंपनी द्वारा अपनी परिसम्पतियों एवं देयताओं को तुलन पत्र में चालू/गैर चालू वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत किया गया है।

कोई परिसम्पति चालू परिसम्पति तब होती है जब वह निम्नलिखित में से किसी मानदंड के अनुसार हो :–

- वह सामान्य प्रचालन क्रम में बिक्री के लिए नियत हो। वह मुख्यतः सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से हो;
- वह रिपोर्टिंग अवधि के बारह माह के भीतर बिक्री की जानी हो; अथवा
- यदि विनियम के लिए प्रतिबंधित न होने अथवा रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात किसी देयता के समाधान के लिए कम से कम बारह माह के लिए उपयोग की जा रही होने के अलावा रोकड़ अथवा रोकड़ समतुल्य हो।

अन्य सभी परिसम्पतियों का वर्गीकरण गैर–चालू के रूप में किया गया है।

कोई देयता चालू तब होती है जब वह निम्नलिखित में से किसी मानदंड के अनुसार हो :–

- जिसका सामान्य प्रचालन क्रम में निपटान संभावित हो;
- यह मुख्यतः सेवाओं के उद्देश्य से धारित की गई हो;
- रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात बारह माह के भीतर इसका समाधान किया जाना हो। रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम बारह माह की अवधि के लिए देयताओं के निपटान को स्थगित करने का कोई असंबंध अधिकार न हो। जिसकी देयता के उपबंधों के अनुसार, प्रतिपक्ष के विकल्प के अनुसार, समाधान के तौर पर इक्विटी उपकरण में परिणत होने से इसके वर्गीकरण प्रभावित न होते हों।

अन्य सभी दायित्वों का वर्गीकरण गैर–चालू के रूप में किया गया है।

आस्थगित कर परिसम्पतियां/देयताओं का वर्गीकरण गैर–चालू के रूप में किया गया है।

कम्पनी सेवा सेक्टर में कार्य करती है जिससे इसका कोई प्रचालन क्रम नहीं है; तथापि, कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–।।। के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए "प्रचालन क्रम" के तौर पर 12 माह की अवधि को अंगीकार किया गया है। तदनुसार, चालू देयताओं और चालू परिसम्पतियों में गैर–चालू वित्तीय देयताओं तथा परिसम्पतियों का चालू भाग शामिल किया गया है।

## ग. मानक जारी किए गए किन्तु अभी प्रभावी नहीं हैं:

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") नए मानक या मौजूदा मानकों में संशोधन को सूचित करता है। ऐसी कोई अधिसूचना नहीं है जो, दिनाक 1 अप्रैल, 2021 से लागू होगी।

## घ. अनुमान और निर्णय का उपयोग:

इंड एएस के रूप में उपयोग की जाने वाली कई लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग में निहित प्रबंधन को निर्णय लेने, अनुमानों और मान्यताओं को बनाने की आवश्यकता है, जो रिपोर्ट की गई परिसंपत्तियों और देनदारियों को प्रभावित करती हैं, आकस्मिक संपत्ति और देनदारियों का प्रकटन करती है और राजस्व तथा व्यय की मात्रा को प्रकट करती है। वास्तविक परिणाम उपयोग

किए गए अनुमानों और मान्यताओं से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमानों और मान्यताओं की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। लेखांकन अनुमानों के संशोधनों को उस अवधि में स्वीकार किया जाता है, जिसमें अनुमान संशोधित किए जाते हैं और भविष्य की अवधि प्रभावित होती है।

वित्तीय विवरणों की तैयारी में निर्णयों, आकलनों और अनुमान अनिश्चितता का प्रमुख स्रोत होते हैं जो अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्ति और देनदारियों की मात्रा को समायोजित करने के लिए महत्वपूर्ण समायोजन का कारण हो सकता है, मुख्य रूप से संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, मूल्यह्रास/परिषोधन, कर्मचारी लाभ दायित्वों, प्रावधान, आयकर के लिए प्रावधान, आस्थगित कर परिसंपत्तियों का मापन, आकस्मिक संपत्ति और आकस्मिक देयताएं आदि के निर्धारण के संबंध में।

## ङ. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

### i) सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई):

क) किसी सम्पति, संयंत्र तथा उपकरण की लागत में परिसम्पतियों की प्राप्ति की ऋण लागतों तथा इनकी डिकमीशनिंग की संभावित लागतों सहित व्यावसायिक छूट तथा रियायतें, आयात शुल्क एवं अन्य कर (कर प्राधिकरणों से बाद में धनवापसी योग्य के अलावा), सम्पति को आशित उद्देश्य से उपयोग में लाने के लिए किए गए प्रत्यक्ष सम्बद्ध व्यय शामिल हैं। सम्पति, संयंत्र तथा उपकरण को प्रचालन के लिए उपयोग में लाए जाने के दौरान मरम्मत तथा अनुरक्षण जैसे व्यय वहन किए जाने के वर्ष के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किए जाते हैं।

सम्पति, संयंत्र तथा उपकरण का स्वीकृति तब समाप्त की जाती है, जब उनके उपयोग अथवा उनके निपटान से भावी आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना न हो। सम्पति की किसी मद, संयंत्र एवं उपकरण के निपटान से होने वाले लाभों तथा हानियों का निर्धारण निपटान से प्राप्त की गई आय की तुलना सम्पति, संयंत्र तथा उपकरण की वहन राशि के साथ करके इसे लाभ एवं हानि के विवरण में दर्शाया जाता है।

सेवाओं, आपूर्ति अथवा प्रशासनिक उद्देश्यों से उपयोग के लिए धारित फ्रीहोल्ड भूमि के अलावा सम्पति, संयंत्र तथा उपकरण का उल्लेख तुलन पत्र में संचित मूल्यह्रास एवं संचित अक्षमता हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर किया गया है।

कम्पनी द्वारा अपनी प्रत्येक सम्पति, संयंत्र तथा उपकरण के वहन मूल्य को इंड एएस में पारगमन पर वित्तीय विवरणों में स्वीकृति प्रदान की गई है जिनका मापन पूर्व जीएएपी के अनुसार किया गया था तथा इसके लिए पारगमन की तिथि को उनकी मानित लागत को उपयोग में लाया गया है।

परिसम्पतियों की मूल्यह्रास की राशि परिसम्पति की लागत अथवा लागत की प्रतिपूरक राशि है जिसमें से अनुमानित अवशिष्ट मूल्य घटाया गया है। कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची–II में निर्धारित उपयोज्यता काल के अनुसार सीधी रेखा के उपयोग से परिसम्पति का मूल्यह्रास परिसम्पति की लागत में से उसके उपयोज्यता काल पर अवशिष्ट मूल्य घटाकर किया गया है। 5000 रूपए से कम मूल्य की परिसम्पति, संयंत्र एवं उपकरण को प्रत्येक मामले में क्रय के वर्ष में पूर्णतः स्वीकृत कर लिया जाता है।

**ख)** सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का भौतिक सत्यापन रोटेशनल आधार पर किया जाता है जिससे प्रत्येक भौतिक परिसम्पति का सत्यापन प्रत्येक दो वर्ष में एक बार किया जा सके तथा सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान पाई जाने वाली अनियमितताओं रिपोर्ट किए जाने के वर्ष में किया जा सके।

**ग)** सम्पति, संयंत्र तथा उपकरण की क्षति

प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में कम्पनी मूर्त परिसम्पतियों की वहन लागत के संबंध में ऐसी परिसम्पतियों द्वारा किसी प्रकार की अक्षमता हानि का वहन करने के संकेत ज्ञात करने के लिए समीक्षा की जाती है। यदि ऐसे कोई संकेत विद्यमान होते हैं तो परिसम्पति से संबंधित वसूली योग्य राशि के अनुमान लगाकर अक्षमता हानि (यदि कोई हो) के विस्तार का निर्धारण किया जाता है। जब किसी एक परिसम्पति की वसूली योग्य राशि के अनुमान लगा

पाना संभव नहीं हो पाता है तो उस परिसम्पति से सम्बद्ध रोकड़ उत्पति करने वाली यूनिट के संबंध में कम्पनी द्वारा अनुमान लगाए जाते हैं। जब निर्धारण के लिए किसी प्रकार का औचित्यपरक अथवा संगत आधार प्राप्त नहीं हो पाता है तो उनका विनियोजन रोकड़ उत्पति यूनिटों के सबसे छोटे समूह में कर दिया जाता है जिससे औचित्यपरक एवं संगत निर्धारण को ज्ञात किया जा सके।

किसी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पन्न करने वाली यूनिट की प्राप्य राशि उसकी निपटान लागतों तथा उसके प्रयोग मूल्य को घटाकर, उसके उचित मूल्य से उच्च होती है। प्रयोग मूल्य का निर्धारण अनुमानित भावी रोकड़ प्रवाह को तत्समय के कर पूर्व छूट दर के चालू बाजार निर्धारणों को दर्शाने वाले धन के समय मूल्यों तथा परिसम्पति,जिनके संबंध में भावी रोकड़ प्रवाह के अनुमानों के समायोजन नहीं किए गए हैं, से संबद्ध जोखिमों से घटाकर किया जाता है।

यदि किसी परिसम्पति (अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट) के अनुमान उसकी वहन राशि से कम होते हैं तो परिसम्पति (अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट) की वहन राशि को उसकी वसूली योग्य राशि में से घटा दिया जाता है। ऐसा करके लाभ एवं हानि विवरण में अक्षमता हानि की स्वीकृति शीघ्र कर ली जाती है।

**घ. मालसूचियां**

विभिन्न भंडारों एवं कलपुर्जों से युक्त मालसूचियों का मूल्यांकन उनकी न्यूनतम लागत तथा निवल प्राप्य मूल्य (एनआरवी) के अनुसार किया जाता है। मालसूचियों की लागत का निर्धारण भारित औसत आधार पर किया जाता है। निवल प्राप्य मूल्य के अनुमान सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया में उनकी बिक्री दर में से उन्हें पूर्ण किए जाने की लागतों तथा बिक्री के लिए आवश्यक बदलाव की अनुमानित लागतों को घटाकर आंके जाते हैं।

**ङ राजस्व स्वीकृति**

इंड एएस–115 : ग्राहक करारों से प्राप्त राजस्व तथा ऐसे राजस्व की राशियों एवं समय की स्वीकृति से संबंधित है। इसके मानक में राजस्व स्वीकृति के लिए पांच चरण की एप्रोच व्यवस्थित की गई है:–

– करार का अभिनिर्धारण करना;

– करार के निष्पादन दायित्वों का अभिनिर्धारण करना;

– संव्यवहार मूल्य का निर्धारण करना

– संव्यवहार मूल्य के साथ निष्पादन दायित्व का निर्धारण करना; तथा

– अततः उन निष्पादन दायित्वों के प्रति राजस्व प्राप्ति का सुनिश्चय करना।

इंड एएस–115 में पारगमन करके कम्पनी द्वारा संशोधित पूर्वव्यापी एप्रोच को अंगीकार किया गया है तथा तदनुसार इस वर्ष के वित्तीय विवरणों के साथ पूर्व वर्ष की तुलनात्मकता का वर्णन नहीं किया गया है। इंड एएस–115 में पारगमन का मूल्यांकन प्रभाव निष्पादित किया गया है।

**सेवाओं की प्रस्तुति**

कम्पनी अपने राजस्व की स्वीकृति ग्राहक को प्रदर्शित मूल्य पर प्रतिबद्ध सेवाओं की प्रस्तुति करके उस राशि के लिए करती है जिसके प्रति कम्पनी की हकदारी की प्रत्याशा ऐसी सेवाओं की प्रस्तुति के प्रति की गई है।

कम्पनी द्वारा सामान्य राजस्व के प्रति स्वीकृति उस समय के बिन्दु पर की जाती है जब ग्राहक को सेवाओं की प्राप्ति होती है।

क) स्थल संचलन सेवाओं के प्रति स्वीकृति सेवाएं प्रदान करने के पश्चात की जाती है। वित्त वर्ष के अंत में बिल न की गई सेवाओं के अनुमान, उपलब्ध डेटा के आधार पर, आंक कर राजस्व स्वीकृति की जाती है।

ख) ब्याज से प्राप्त आय की स्वीकृति समय पर आनुपातिक आधार पर की जाती है।

ग) अन्य प्रचालन राजस्व की स्वीकृति वर्ष के दौरान प्रदान की गई सेवाओं के प्रति की जाती है।

विविध निष्पादन दायित्वों की राजस्व व्यवस्था के लिए कम्पनी द्वारा एकल प्रकार की सेवाओं, यदि वे विशिष्ट प्रकार की हैं, को अलग अलग लेखाबद्ध किया जाता है अर्थात यदि कोई सेवा व्यवस्थित की गई मदों से अलग प्रकार की है तथा यदि ग्राहक को इससे लाभ प्राप्त होते हों। इस प्राप्त प्रतिफल का निर्धारण उनके स्टैंडएलोन बिक्री मूल्य पर आधारित व्यवस्थाओं में अलग सेवाओं के लिए किया जाता है।

**संविदा शेष**

**i) संविदा परिसम्पति**

संविदा परिसम्पति ग्राहक को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के प्रति अधिकार स्वरूप प्राप्त प्रतिफल है। यदि कम्पनी द्व ारा किसी ग्राहक को प्रतिफल प्राप्त करने अथवा भुगतान देय होने से पूर्व सेवाएं प्रदान की जाती हैं तो व्यवसाय प्राप्य सहित उपार्जित प्रतिफल को संविदा प्रतिफल की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

**ii) संविदा देयताएं**

संविदा देयताएं ग्राहक को सेवाएं प्रदान करने के वे दायित्व हैं जिनके लिए कम्पनी ने ग्राहक से प्रतिफल (अथवा प्रतिफल की कोई देय राशि) प्राप्त किया है। यदि कम्पनी द्वारा ग्राहक को सेवा प्रदान करने से पूर्व ग्राहक प्रतिफल का भुगतान करता है तो संविदा देयता के प्रति स्वीकृति तब की जाती है जब भुगतान देय (जो भी पहले हो) होता है। राजस्व में संविदा देयता की स्वीकृति तब होती है जब कम्पनी द्वारा ग्राहक से प्राप्त अग्रिम सहित संविदा के अंतर्गत निष्पादन किया जाता है।

**iii) धनवापसी देयताएं**

धनवापसी ग्राहक से प्राप्त प्रतिफल के कुछ अथवा पूर्ण भाग (अथवा प्राप्य) की धनवापसी का दायित्व है तथा इसका मापन उस राशि पर किया जाता है जिसकी धनवापसी अंततः ग्राहक को किए जाने के लिए कम्पनी से प्रत्याशित होती है। कम्पनी द्वारा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अपनी धनवापसी देयताओं के अनुमान अद्यतन किए जाते हैं।

**च. विदेशी मुद्रा संव्यवहार**

कम्पनी की कार्यात्मक मुद्रा का निर्धारण उस प्रमुख आर्थिक परिवेश के आधार पर निर्धारित किया जाता है जिसमें कम्पनी अपने प्रचालन करती है। कम्पनी की कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रूपया (मानक भारतीय रूपया) है।

कम्पनी की कार्यात्मक मुद्रा के अलावा अन्य मुद्राओं (विदेशी मुद्राओं) में किए जाने वाले संव्यवहारों के प्रति निम्नलिखित दरों पर स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क) आईएटीए (आयटा) क्लीयरिंग हाउस के साथ बिलों के समाधान के लिए किए गए इंटरलाइन समझौते के आधार पर इंटरनेशल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आयटा) द्वारा संबंधित माह के लिए प्रकाशित विनिमय दर पर।

ख) प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा की मौद्रिक मदों का अंतरण फॉरन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (एफईडीएआई) द्वारा वितरित विनिमय दरों पर किया जाता है तथा विनिमय दरों में उतार चढ़ाव के परिण ामस्वरूप हुए लाभ/हानि की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है।

ग) गैर–मौद्रिक मदों का मापन अंतरित न की गई विदेशी मुद्रा की ऐतिहासिक लागत के अनुसार किया जाता है।

**छ. पट्टे**

कंपनी ने दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से इंड एएस–116 पट्टे की लेखांकन प्रणाली को स्वीकार किया है। इंड एएस–116 के रूप में इंड एएस ''पट्टों'' में पट्टों के लिए एकल और तुलन पत्र लेखांकन मॉडल को आरंभ किया है। इसके परिणामस्वरूप, कंपनी, एक पट्टेदार के रूप में, अपने अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने वाली अंतर्निहित संपत्ति का उपयोग करने के लिए प्रयोग अधिकारी परिसंपत्तियों को स्वीकृति प्रदान करती है और पट्टा भुगतान के लिए अपने दायित्व का प्रतिनिधित्व करने वाली पट्टा देनदारियों का उपयोग करती है।

निम्नलिखित प्रारंभिक अनुप्रयोग पर व्यावहारिक समीक्ष का सार निम्नानुसार हैः

क. समान अंतिम तिथि के साथ समान आर्थिक वातावरण में समान संपत्ति के पट्टों के पोर्टफोलियो के लिए एकल छूट दर को लागू किया गया है।

ख. 12 महीने से कम अवधि के पट्टों, कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों और पट्टा संविदाओं वाले पट्टों के लिए प्रयोग अधिकारी परिसंपत्तियों और देयताओं को स्वीकार न करने के लिए छूट हेतु आवेदन, जिसमें पट्टेदार और पट्टादाता प्रत्येक को पट्टे के आरंभिक स्वीकृति की तिथि को गैर महत्वपूर्ण दंड सहित अन्य पक्ष से अनुमति लिए बिना इसे समाप्त करने का अधिकारी होगा।

ग. आकलन की विधि के व्यवहारिक समीचीन का अनुप्रयाग, जिसके संव्यवहारों पट्टे हैं। तदनुसार, इंड एएस–116 को केवल उन अनुबंधों पर लागू किया जाता है जिन्हें पहले इंड एएस–17 के तहत पट्टों के रूप में स्वीकार किया गया था

**पट्टाधारक के रूप में कम्पनी**

कंपनी संविदा की आरंभिक अवस्था में इसका आकलन करती है कि क्या किसी संविदा में पट्टा है या इसमे पट्टा समाविष्ट है। इसका अर्थ है कि यदि संविदा में किसी चिह्नित परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है और विधि ने पट्टों के रूप में लेनदेन के मूल्यांकन के लिए "पूर्ववर्ती दृष्टिकोण" हेतु व्यावहारिक दृष्टिकोण को लागू किया। तदनुसार, इंड एएस 116 को केवल उन अनुबंधों पर लागू किया जाता है जिन्हें पहले इंड एएस–17 के तहत पट्टों के रूप में स्वीकार किया गया था। पट्टों के रूप में पट्टों (पट्टे पर ली गई संपत्ति) को कंपनी सभी पट्टों के लिए समान मान्यता और मापन दृष्टिकोण लागू करती है, केवल अल्पकालिक पट्टों को छोड़कर, कम मूल्य की संपत्ति के पट्टे और पट्टे के अनुबंध जिसमें पट्टेदार और पट्टेदार को प्रत्येक को बिना किसी दंड के साथ किसी अन्य पक्ष से अनुमति के बिना पट्टे को समाप्त करने का अधिकार होता है। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई अनुबंध किसी चिह्नित संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, कंपनी यह आकलन करती है किः

(i) संविदा में चिह्नित संपत्ति का उपयोग शामिल है

(ii) कंपनी के पास पट्टे की अवधि के माध्यम से परिसंपत्ति के उपयोग से होने वाले सभी आर्थिक लाभ विद्यमान हैं।

(iii) कंपनी के पास संपत्ति के उपयोग को निर्धारित करने का अधिकार है।

अल्पकालिक, कम मूल्य के पट्टों और पट्टा संविदाओं, जिसमें पट्टेदार और पट्टेदार को प्रत्येक पक्ष को बिना किसी अतिरिक्त दंड के किसी अन्य पर्क्ष से अनुमति लिए बिना पट्टे को समाप्त करने का अधिकार है और कंपनी पट्टे के भुगतान को पट्टे की अवधि के आधार पर एक सीधी–रेखा आधार पर प्रचालनिक व्यय पर स्वीकार करती है। कुछ पट्टा व्यवस्थाओं में पट्टा अवधि के अंत से पहले पट्टे को बढ़ाने या समाप्त करने का विकल्प शामिल हैं। आरओयू परिसंपत्तियों और पट्आ देयताओं में ये विकल्प शामिल हैं, जब यह पूर्ण रूप से निश्चित है कि उनका उपयोग किया जाएगा।

कंपनी, पट्टे की अवधि को पट्टे की गैर–रद्द करने योग्य अवधि के रूप में निर्धारित करती है, साथ ही पट्टे का विस्तार करने के लिए एक विकल्प द्वारा कवर की गई किसी भी अवधि के साथ, यदि यह यथोचित रूप से प्रयोग किया जाना निश्चित है, या पट्टे को समाप्त करने के विकल्प द्वारा कवर की गई कोई भी अवधि, यदि यह यथोचित रूप से निश्चित है कि इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। कंपनी के पास कई पट्टा अनुबंध हैं, जिनमें विस्तार और समाप्ति विकल्प शामिल हैं। कंपनी यह मूल्यांकन करने में निर्णय लागू करती है कि क्या यह उचित रूप से निश्चित है कि पट्टे को नवीनीकृत करने या समाप्त करने के विकल्प का प्रयोग करना है या नहीं।यह उन सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करता है जो इसके लिए नवीनीकरण या समाप्ति का प्रयोग करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन पैदा करते हैं। प्रारंभ तिथि के बाद, कंपनी लीज अवधि का पुनर्मूल्यांकन करती है और यदि कोई महत्वपूर्ण घटना या परिस्थितियों में परिवर्तन होता है जो उसके नियंत्रण में है और नवीनीकरण या समाप्त करने के विकल्प का प्रयोग करने या न करने की क्षमता को प्रभावित करता है।

आरओयू परिसंपत्तियों को आरंभ में लागत पर स्वीकार किया जाता है, जिसमें पट्टे की भुगतान की प्रारंभिक राशि पट्टा भुगतान की प्रारंभिक तिथि के साथ या उससे पहले ली गई भुगतान की राशि जमा कोई प्रत्यक्ष लागत घटा कोई पट्टा प्रोत्साहन पर समायोजित किया जाता है। तत्पश्चात, उन्हें कम संचित मूल्यह्रास और हानि के नुकसान पर मापा जाता है।

आरओयू परिसंपत्तियों को पट्टा अवधि और अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के छोटे से अधिक सीधी रेखा आधार पर प्रारंभ तिथि से मूल्यह्रासित किया जाता है। जब भी घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन से संकेत मिलते हैं कि उनकी वहन मात्रा पुनर्प्राप्त करने योग्य नहीं हो सकती है, तो आरओयू परिसंपत्त्यिों की वसूली के लिए मूल्यांकन किया जाता है। हानि परीक्षण के उद्देश्य से, वसूली योग्य राशि (अर्थात बेचने के लिए उचित मूल्य घटा लागत और उच्च मूल्य का उपयोग) को व्यक्तिगत परिसंपत्ति के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जब तक कि परिसंपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो व्यापक स्तर पर अन्य परिसंपत्तियों से भिन्न है। ऐसे मामलों में, नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई (सीजीयू) के लिए वसूली योग्य राशि निर्धारित की जाती है, जिसके पास संपत्ति विद्यमान है।

पट्टा देयता को आरंभ में भविष्य के पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर परिशोधित लागत पर मापा जाता है। इन पट्टों के अधिवास के देश में वृद्धिशील उधार दरों का उपयोग करते हुए पट्टे के भुगतान को पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है और यदि आसानी से निर्धारित नहीं किया जाता है तो रियायती विधि का उपयोग किया जाता है। पटटे् की देनदारियों को संबंधित आरओयू परिसंपत्ति के अनुरूप समायोजन के साथ हटा दिया जाता है, यदि कंपनी अपना आकलन परिवर्तित करता है कि क्या वह समय विस्तार या समापन विकल्प का उपयोग करेगी।

तुलन पत्र में पट्टा देनदारी और आरओयू परिसंपत्तियों को अलग–अलग प्रस्तुत किया जाता है और पट्टे के भुगतान को नकदी प्रवाह के वित्तपोषण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

**ज. सरकारी अनुदान**

सरकारी अनुदानों के लिए तब तक स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है जब तक कम्पनी द्वारा ऐसे अनुदान के साथ सम्बद्ध शर्तों का अनुसरण किए जाने तथा अनुदान की प्राप्ति के संबंध में औचित्यपरक आश्वासन नहीं होता है।

सरकारी अनुदानों को प्रक्रियाबद्ध आधार पर उन वर्षों के लिए लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी जाती है जिन वर्षों में कम्पनी द्वारा उन सम्बद्ध लागतों को व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है जिनके व्यय की प्रतिपूर्ति के अनुदान आशित है अथवा जब निष्पादन दायित्व पूर कर लिए जाते हैं।

परिसम्पतियों से सम्बद्ध सरकारी अनुदानों की तुलन पत्र में प्रस्तुति आस्थगित आय के रूप में की जाती है तथा लाभ एवं व्यय में इसकी स्वीकृति प्रक्रियाबद्ध आधार पर सम्बद्ध परिसम्पति के संभावित उपयोज्यता के अनुसार की जाती है।

**झ. कर्मचारी हितलाभ :**

**सेवानिवृत्ति हितलाभ लागतें तथा सेवा समाप्ति हितलाभ**

परिभाषित अंशदायी सेवानिवृति हितलाभ योजनाओं के संबंध में व्यय की स्वीकृति कर्मचारियों द्वारा अंशदानों की योग्यता के अनुरूप सेवाएं प्रदान करने पर की जाती है। कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों में परिभाषित अंशदायी योजनाएं तथा परिभाषित हितलाभ योजनाएं शामिल हैं।

**क) परिभाशित अंशदायी योजनाएं**

परिभाषित अंशदायी योजना में कर्मचारी भविष्य निधि मे ंअंशदान शामिल है। मूल कम्पनी में भविष्य निधि अंशदान के प्रशासन के लिए अलग ट्रस्ट स्थापित किए गए हैं जिसमें नियमित रूप से अंशदान किए जाते हैं। नियत कालिक संविदा कर्मचारियों (एफटीसी) के मामले में कम्पनी द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में देयताएं जमा करवाई जाती हैं। सरकारी प्राधिकरणों को कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआईसी) की देयताओं का भुगतान नियमित रूप से चुकता किया जाता है। परिभाषित अंशदायी योजनाओं में कम्पनी द्वारा किए जाने वाले भुगतान को वर्ष के दौरान व्यय के रूप में उस अवधि के दौरान स्वीकृति दी जाती है जिस अवधि में कर्मचारियों द्वारा ऐसे भुगतान के सेवा निष्पादन किए जाते हैं।

**ख) परिभाषित हितलाभ योजनाएं**

कम्पनी में परिभाषित हितलाभ योजना है जिनका निधियन नहीं है तथा इनमें उपादान, सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ एवं अन्य लाभ शामिल हैं। परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ योजनाओं के लिए हितलाभ प्रदान किए जाने की

लागतों का निर्धारण परियोजना यूनिट क्रेडिट विधि के उपयोग बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में वार्षिक आधार पर किए जाते हैं।

दायित्वों का मापन अनुमानित भावी रोकड़ प्रवाह के विद्यमान मूल्य के अनुसार किया जाता है। परिभाशित हितलाभ योजना के अंतर्गत दायित्व के वर्तमान मूल्य के निर्धारण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली छूट दरें तुलन पत्र तिथि को सरकारी प्रतिभूतियों के प्रचलित बाजार प्रतिफल पर आधारित होती हैं जिनकी परिपक्वता अवधियां सम्बद्ध दायित्वों के काल के लगभग अनुरूप होती हैं। समायोजनों के व्यवहारों तथा बीमांकित अनुमानों से उत्पन्न लाभ एवं हानियों का पुनःमापन को सीधे अन्य व्यापक आय में इनके घटित होने की अवधि में स्वीकृति प्रदान की जाती है। इन्हें इक्विटी परिवर्तन में ''अन्य इक्विटी'' के अंतर्गत तथा तुलन पत्र में शामिल किया जाता है।

परिभाषित हितलाभ दायित्वों में समाधान अथवा कटौतियों के परिणामस्वरूप हुए परिवर्तनों को पूर्व सेवा लागत के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में शीघ्र स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है।

**अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ**

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ के अंतर्गत छुट्टी नकदीकरण का लेखांकन किया जाता है। छुट्टी नकदीकरण के संबंध में कम्पनी के शुद्ध दायित्व हितलाभों की उस राशि के लिए होते हैं जिनका समाधान कर्मचारियों द्वारा चालू एवं पूर्व वर्षों में सेवा के दौरान अर्जित लाभों के लिए भविष्य में किया जाना है। विद्यमान मूल्य ज्ञात करने के लिए ये लाभ घटा दिए जाते हैं। दायित्व का मापन प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि के उपयोग से बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। पुनःमापन को लाभ एवं हानि विवरण में उस वर्ष के लिए स्वीकृति दी जाती है जिस वर्ष में ये उत्पन्न हुए होते हैं।

**अल्पकालिक हितलाभ**

अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ का लेखांकन उन वर्षों के लिए किया जाता है जिन वर्षों में सेवाएं प्रदान की गई हैं।

**अल्पकालिक एवं अन्य दीर्घ कालिक कर्मचारी हितलाभ**

कर्मचारियों को वर्ष के दौरान मजदूरी तथा वेतन, वार्षिक छुट्टी तथा बीमारी छुट्टी के संबंध में प्रदान किए जाने वाले लाभों के प्रति देयता की स्वीकृति प्रदान की गई सेवाओं के विनियम में चुकता किए जाने वाले संभावित लाभों

अल्प–कालिक कर्मचारी हितलाभों का मापन बट्टा न की गई राशि पर सम्बद्ध सेवाओं के विनियम में चुक्ता किए जाने वाले संभावित लाभों के लिए देयताएं स्वीकृत की गई हैं।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के संबंध में मान्यता प्राप्त देनदारियों को रिपोर्टिंग तिथि तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में कंपनी द्वारा किए जाने वाले अनुमानित भविष्य के नकदी बहिर्वाह के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है।

**ण. आय पर कर**

आय कर व्यय से वर्तमान में देय कर तथा आस्थगित कर के योग की प्रस्तुति होती है।

**चालू कर**

चालू कर वह राशि है जो लागू कर दरों तथा आय कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत वर्ष के कर योग्य लाभ के आधार पर संभावित कर का भुगतान के योग्य है।

**आस्थगित कर**

वित्तीय विवरणों में आस्थगित कर की स्वीकृति परिसम्पति एवं देयताओं के मध्य अस्थाई अंतरों तथा कर योग्य लाभ के आकलन के लिए प्रयुक्त अनुवर्ती कर आधारों के लिए की जाती है। आस्थगित कर परिसम्पतियों की स्वीकृति कटौति योग्य सभी अस्थाई अंतरों के लिए की जाती है जिनमें कर योग्य लाभ की प्राप्ति की ऐसी संभावनाएं व्याप्त हों जिनके प्रति कटौति योग्य अस्थाई अंतरों को उपयोग में लाया जा सकेगा। ऐसी अस्थाई कर परिसम्पतियों तथा देयताओं को तब स्वीकृति नहीं दी जाती है जब ऐसे अस्थई अंतर परिसम्पति तथा देयता के संव्यवहार में प्रारंभिक स्वीकृति (व्यवसाय संयोजन के अलावा) से उत्पन्न हुए हों जिनका प्रभाव न तो कर योग्य पर और न ही लेखांकन लाभ पर पड़ा हो। इसके अलावा, साख की प्रारंभिक स्वीकृति से उत्पन्न अस्थाई अंतरों के लिए भी आस्थगित कर देयताओं को स्वीकृति नहीं दी जाती है। अस्थाई कर

परिसम्पतियों की वहन राशि की समीक्षा रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में की जाती है तथा इन्हें उस सीमा तक न्यून कर दिया जाता है जिस सीमा तक परिसम्पति के प्रत्येक अथवा किसी भाग में पर्याप्त कर योग्य लाभ प्राप्त किए जाने की संभावना शेष नहीं रहती है।

न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) कर कानूनों के अंतर्गत किया जाता है जिनसे भावी आय कर देयता, जो कम्पनी द्वारा सामान्य आय कर चुकता किए जाने के स्वीकार्य प्रमाण के साथ आस्थगित कर सम्पति मानी गई है, के समायोजन के स्वरूप में भावी आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं। तदनुसार, न्यूनतम वैकल्पिक कर की परिसम्पति के रूप में तुलन पत्र में स्वीकृति कम्पनी को इससे जुड़े भावी आर्थिक लाभ की संभावना होने पर की जाती है।

आस्थगित कर परिसम्पतियों तथा देयताओं का मापन, प्रवर्तित अथवा रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में मूलतः प्रवर्तित कर दरों (तथा कर कानूनों)के आधार पर, उन कर दरों पर किया जाता है जो उस वर्ष में उपयोग में लाए जाने संभावित थे जिस वर्ष में देयता का समाधान अथवा परिसम्पति उपार्जित की गई है।

आस्थगित कर परिसम्पतियों तथा आस्थगित कर देयताओं का समंजन तब किया जाता है जब चालू कर परिसम्पतियों को चालू कर देयताओं के साथ संमजन करने के विधिक रूप से प्रवर्तनीय अधिकार उपलब्ध हों तथा आस्थगित कर समान कर योग्य इकाई तथा समान कर योग्य प्राधिकरण से सम्बद्ध हों।

आस्थगित कर की स्वीकृति तथा उनका अग्रेषण तब किया जाता है जब प्रचालनात्मक एवं वित्तीय पुनर्संरचना, राजस्व उत्पति एवं कम्पनी के लागत कटौति कार्यक्रम के आधार पर इन परिसम्पतियों से भविष्य में प्रतिफल प्राप्त होने की निश्चितता उपलब्ध होती है।

### वर्ष के दौरान चालू एवं आस्थगित कर

चालू एवं आस्थगित कर को लाभ अथवा हानि के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है जो कि अन्य व्यापक अथवा इक्विटी में सीधे स्वीकृत की गई मदों की समबद्धता होने के अलावा है जिनके मामले में चालू एवं आस्थगित कर की स्वीकृति भी क्रमशः अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में सीधे की जाती है। किसी व्यवसाय संयोजन के लिए प्रारंभिक लेखांकन से चालू कर अथवा आस्थगित कर उत्पन्न होने पर कर प्रभाव को व्यवसाय संयोजन के लेखांकन में शामिल कर लिया जाता है।

आस्थगित कर परिसम्पतियों तथा देयताओं का तब समंजन कर दिया जाता है जब वे समान आय कर प्राधिकरण द्वारा लगाए आय करों से सम्बद्ध होती हैं तथा संबंधित इकाई अपनी चालू कर परिसम्पतियों एवं देयताओं का समाधान निवल आध ाार पर करना चाहती है।

## ट. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं / पूंजी प्रतिबद्धताएं एवं आकस्मिक परिसमपतियां

क) मापन के लिए पर्याप्त डिग्री के अनुमान लगाए जाने के प्रावधान तब स्वीकृत किए जाते हैं जब किन्हीं पूर्व घटनाओं के परिणामस्वरूप विद्यमान दायित्व (विधिक अथवा तर्कसाध्य) हों तथा जिनसे संसाधनों का बर्हिप्रवाह होने की संभावना हो। यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव सामग्रीगत होता है तो प्रावधानों को देयता के विशिष्ट जोखिम को स्पष्ट करने वाली, जहां उचित हो, चालू कर पूर्व दर पर घटा दिया जाता है। ऐसे अनुमानों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती हे तथा प्रस्तुत चालू उत्तम अनुमानों का समायोजन कर लिया जाता है। प्रावधान से संबंधित व्यय की प्रस्तुति लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है।

ख) प्रावधान के रूप में स्वीकृत राशि तुलन पत्र तिथि के किसी विद्यमान दायित्व के समाधान के लिए अपेक्षित उत्तम अनुमान होते हैं जो दायित्व से सम्बद्ध जोखिम एवं अनिश्चितताओं को विचार में लेकर निर्मित किए जाते हैं। विद्यमान दायित्व के समाधान के लिए जब किसी प्रावधान का मापन रोकड़ प्रवाह अनुमानों के उपयोग से किया जाता है तो उसकी वहन राशि ऐसे रोकड़ प्रवाहों का वर्तमान मूल्य होती हैं (जब धन के समय मूल्य का प्रभाव सामग्रीगत होता है)।

ग) जब किसी अथवा सभी आर्थिक लाभों से ऐसे प्रावधान का समाधान किए जाने की अपेक्षा होती है जो किसी तृतीय पक्षकार से प्राप्त वसूली से किया जाना हे तो ऐसे प्राप्य को परिसम्पति की तब स्वीकृति प्रदान की जाती है जब पुनर्भुगतान की प्राप्ति निश्चित हो तथा प्राप्यों का मापन विश्वसनीय रूप में किया जाना संभव हो।

घ) आकस्मिक देयताओं, जो पूर्व घटनाओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न हो सकते हैं परन्तु जिनके आस्तित्व की पुष्टि ऐसी एक अथवा अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं की आवृतियों अथवा गैर–आवृतियों से हो सकी है जो कम्पनी के पूर्णतः नियंत्रण में नहीं हैं, का समाधान संभावित दायित्वों से संबंधित एक नोट में प्रकटीकरण करके किया जाता है।

ङ) आकस्मिक परिसम्पतियां वे संभावित परिसम्पतियों हैं जो पूर्व घटनाओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती हैं तथा जिनके आस्तित्व की पुष्टि कम्पनी के पूर्ण नियंत्रण से बाहर एक अथवा अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं की आवृति अथवा गैर–आवृति से हो सकती है। जब इससे संभावित आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना होती है तो ऐसी आकस्मिक परिसम्पति का प्रकटीकरण कर दिया जाता है।

**दुकर अनुबंध**

च) किसी अनुबंध को दुष्कर तब माना जाता है जब कम्पनी के किसी अनुबंध को पूरा करने की अपरिहार्य लागतें अनुबंध के अंतर्गत प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभों से अधिक होती हैं। दुष्कर अनुबंधों के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले विद्यमान दायित्वों की स्वीकृति की जाती है तथा प्रावधानों के रूप में उनका मापन किया जाता है।

## ठ. रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य

तुलन पत्र में प्रस्तुत रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य बैंक तथा उपलब्ध रोकड़ एवं तीन माह अथवा कम अवधि की मूल परिपक्वता वाले अल्प–कालिक जमा हैं जिनके प्रति मूल्य में परिवर्तन का जोखिम नगण्य है।

रोकड़ प्रवाह विवरण के प्रयोजन से पर दी गई परिभाषा के अनुसार रोकड़ एवं अल्प–कालिक जमा से युक्त रोकड़ एवं समतुल्य, बैंक से प्राप्त ओवरड्राफ्ट के निवल, को कम्पनी के रोकड़ प्रबंधन का अभिन्न भाग माना गया है।

## ड. प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय का आकलन वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को कर उपरांत लाभ / (हानि) से विभाजित करके किया गया है। वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या का समायोजन राजकोष, बोनस शेयरों विद्यमान शेयरधारकों के राइट इश्यू के बोनस घटक, शेयर विखंडन तथा आरक्षित शेयर विखंडन (शेयरों के समेकन) के साथ किया जाता है।

प्रति शेयर डायल्यूटिड आय का आकलन संभावित डायल्यूटिव इक्विटी शेयरों से सम्बद्ध लाभांश, ब्याज तथा व्यय एवं आय के अन्य प्रभारों (किन्हीं रोप्य करों का निवल) में समायोजित कर उपरांत लाभ/(हानि) को प्रति शेयर मूल आय उपार्जन के विचार धारित इक्विटी शेयरों की भारित औसत तथा उन इक्विटी शेयरों की भारित औसत से विभाजित किया जाता है जो डायल्यूटिव संभावना वाले इक्विटी शेयरो में परिवर्तन होने पर जारी किए गए हो सकते हैं तथा जिनमें कम्पनी द्वारा कर्मचारियों के शेयर विकल्प की प्रक्रिया के लिए कोष शेयर शामिल हैं।

## ढ. वित्तीय उपकरण

वित्तीय उपकरण एक प्रकार का अनुबंध होता है जिससे एक इकाई की वित्तीय परिसम्पति तथा दूसरी इकाई की वित्तीय देयता अथवा वित्तीय उपकरण की उत्पति होती है। वित्तीय परिसम्पतियों एवं वित्तीय देयताओं के लिए स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब इकाई उपकरण के संविदागत प्रावधानों के अंतर्गत पक्षकार बन जाती है।

वित्तीय परिसम्पतियों एवं वित्तीय देयताओं का प्रारंभिक मापन उनके उचित मूल्य पर किया जाता है। अधिग्रहण से प्रत्यक्ष सम्बद्ध संव्यवहारों लागतों अथवा वित्तीय परिसम्पतियों एवं वित्तीय देयताओं को जारी करने (लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य की वित्तीय परिसम्पतियों एवं वित्तीय देयताओं के अलावा) से संबंधित संव्यवहार लागतों को प्रारंभिक स्वीकृति के समय आनुपातिक स्वरूप में वित्तीय परिसम्पतियों अथवा वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य के माध्यम से जोड़ अथवा घटा दिया जाता है। वित्तीय परिसम्पतियों अथवा वित्तीय देयताओं से लाभ एवं माध्यम से उचित मूल्य पर प्रत्यक्ष सम्बद्ध लागत संव्यवहारों को लाभ एवं हानि विवरण में शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाती है।

## ण) वित्तीय परिसम्पतियां

### क) वित्तीय परिसम्पतियों का वर्गीकरण

प्रारंभिक स्वीकृति के दौरान वित्तीय परिसम्पति का मापन व्यवसाय माडल के लक्ष्यों के आधार पर वित्तीय परिसम्पतियों एवं संविदागत रोकड़ प्रवाह की विशिष्टताओं के प्रबंधन के लिए प्रयुक्त परिशोधन लागत, अन्य व्यापक आय के माध्यम

से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) अथवा एफवीटीपीएल पर किया गया है।

**ख) स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन**

किसी वित्तीय परिसम्पति की प्रारंभिक स्वीकृति उसके उचित मूल्य पर की जाती है तथा एफवीटीपीएल, उसके अधिग्रहण अथवा जारी किए जाने से प्रत्यक्ष सम्बद्ध संव्यवहार लागतों पर नहीं की जाती है। वित्तीय परिसम्पतियों के क्रय एवं विक्रय के प्रति व्यवसाय की तिथि को की जाती है जो कि उपकरण के प्रावधानों के अंतर्गत कम्पनी के पक्षकार बनने की तिथि है। यदि वित्तीय परिसम्पतियों को लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर रिकार्ड नहीं किया जाता है तो उनकी संव्यवहार लागतों को वित्तीय परिसम्पति के अधिग्रहण से समबद्ध कर दिया  है।

इसके अलावा, प्रारंभिक स्वीकृति के समय कम्पनी द्वारा अपरिवर्तनीय रूप से ऐसी वित्तीय परिसम्पति को पदनामित किया जाता है जो अन्यथा स्थिति में परिशोधन लागत अथवा एफवीटीपीएल के अनुसार एफवीटीओसीआई पर मापन की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती हैं तथा ऐसा करके ऐसे लेखांकन के अनुपयुक्त मेल समाप्त कर दिए जाते हैं अथवा कम कर दिए जाते हैं जो ऐसा न करने पर हो सकते थे।

**ग) अनुवर्ती मापन**

निम्नलिखित दोनों अपेक्षाएं पूरी होने तथा एफवीटीपीएल के लिए निर्दिष्ट नहीं होने की स्थिति में वित्तीय परिसम्पति का मापन परिशोधन लागत पर किया जाता हैः–

- परिसम्पति का धारण बिजनेस मॉडल के रूप में किया जाता है, जिसका उद्देश्य परिसम्पतियां का धारण करके संविदागत रोकड़ प्रवाह का एकत्रण करना है।
- जिस सम्पति की संविदागत शर्तों में किन्हीं विशिष्ट तिथियों को ऐसा रोकड़ प्रवाह उत्पन्न होता है, जो बकाया मूल राशियों की मूल राशि एवं ब्याज के भुगतान के लिए  है।

वित्तीय परिसम्पतियों का एफवीटीपीएल पर मापन प्रतयेक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में उनके उचित मूल्य पर पुनःमापन के दौरान लाभ अथवा हानि में स्वीकृत लाभ एवं हानि के साथ किया जाता है। लाभ अथवा हानि विवरण में स्वीकृत निवल लाभ अथवा हानि में वित्तीय परिसम्पतियों पर प्राप्त किसी प्रकार के लाभांश एवं ब्याज शामिल किए जाते हैं तथा इन्हें ''अन्य आय'' लाइन मद में शामिल किया जाता है। वित्तीय परिसम्पतियों के लाभांश पर एफवीटीपीएल की स्वीकृति तब होती है जब :

- जब कम्पनी का लाभांशों की प्राप्ति का अधिकार स्थापित हो;
- जब ऐसी संभावना व्याप्त हो कि लाभांश से सम्बद्ध आर्थिक लाभों का लाभ कंपनी को प्राप्त होगा;
- लाभांश से निवेश की लागत के भाग वसूली की प्रस्तुति न हो तथा लाभांश की राशि का मापन विश्वसनीय रूप में किया जाता है।

**घ) वित्तीय परिसम्पतियों की स्वीकृति समाप्त करना**

कम्पनी द्वारा ऐसी वित्तीय परिसम्पतियों के प्रति स्वीकृति समाप्त की जाती है जब परिसम्पति से संबद्ध रोकड़ प्रवाह के संविदागत अधिकार समाप्त हो जाते हैं, अथवा, जब वित्तीय परिसम्पति का अंतरण कर दिया जाता है तथा परिसम्पति के स्वामित्व से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जोखिम एवं प्रतिफल किसी अन्य पक्षों को अंतरित किए जाते हैं।

**ड.) अन्य वित्तीय परिसम्पतियों की क्षति**

कम्पनी द्वारा परिशोधन लागत पर मापन की गई वित्तीय परिसम्पतियों, एफवीटीओसीआई पर ऋण उपकरणों, प्राप्य पट्टों, प्राप्य व्यवसाय, रोकड़ अथवा अन्य वित्तीय परिसम्पति की प्राप्ति के अन्य संविदागत अधिकारों की अक्षमता हानि का संज्ञान करने के लिए संभावित ऋण हानि प्रारूप का उपयोग किया जाता है।

संभावित क्रेडिट हानियां भारित औसत पर भारिता के साथ–साथ उत्पन्न होने वाले संबद्ध चूक जोखिमों से युक्त क्रेडिट

हानियां है। क्रेडिट हानि कम्पनी को अनुबंध के अंतर्गत देय सभी संविदागत रोकड़ प्रवाहों तथा उन रोकड़ प्रवाहों के मध्य का अंतर है जिनकी, मूल प्रभावी ब्याज दर (अथवा मूल क्रेडिट क्षति युक्त वित्तीय परिसम्पतियों के क्रय अथवा उससे उत्पन्न क्रेडिट समायोजित प्रभावी ब्याज दर) को घटाकर, (अर्थात सभी रोकड़ न्यूनताएं) प्राप्त होने की प्रत्याशा कम्पनी को होती है। कम्पनी द्वारा वित्तीय उपकरण के संभावित उपयोज्यता काल के माध्यम वित्तीय उपकरणों (उदाहरण के तौर पर पुनर्भुगतान, विस्तार एवं समान प्रकार के विकल्प) के सभी संविदागत उपबंधों पर विचार करके रोकड़ प्रवाहों के अनुमान लगाए जाते हैं।

कम्पनी द्वारा वित्तीय उपकरण के हानि अंश का मूल्यांकन, यदि ऐसे वित्तीय उपकरण के ऋण जोखिम में प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात से अत्यधिक वृद्धि हुई है, उपयोज्यता काल की संभावित ऋण हानियों की समान राशि पर किया जाता है। यदि प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात से  वित्तीय उपकरण ऋण जोखिम में वृद्धि नहीं हुई है तो कम्पनी द्वारा ऐसे वित्तीय उपकरण के हानि अंश का मापन 12 माह की संभावित क्रेडिट हानियों के समतुल्य राशि पर किया जाता है। 12 माह की संभावित क्रेडिट हानियां संभावित उपयोज्यता काल का भाग होती हैं तथा इनसे उपयोज्यता काल की वे रोकड़ न्यूनताएं प्राप्त होती हैं जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह की अवधि में किसी प्रकार की चूक घटित होने की स्थिति में उत्पन्न हो सकती हैं तथा इस प्रकार ये वे रोकड़ न्यूनताएं नहीं हैं जो अगले 12 माह के लिए संभावित हैं।

यदि कम्पनी द्वारा किसी वित्तीय उपकरण के संभावित उपयोज्यता काल के हानि अंश के लिए पिछले वर्ष की क्रेडिट हानि माडल के अनुसार मापन करके रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में, पिछले वर्ष की तुलना में क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार आने के कारण, प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात से क्रेडिट जोखिम न बढ़ने के निर्धारण किए गए हैं, तो कम्पनी द्वारा हानि अंश का पुनः मापन 12 माह की संभावित क्रेडिट हानियों पर किया जाता है।

व्यवसाय प्राप्यों अथवा किन्हीं संविदागत अधिकारों के अंतर्गत इंड एएस 115 के प्रक्रिया क्षेत्र के दायरे में किए गए संव्यवहार के परिणामस्वरूप रोकड़ अथवा अन्य वित्तीय परिसम्पति की प्राप्ति के लिए कम्पनी द्वारा सदैव क्रेडिट हानि के संभावित उपयोज्यता काल की समतुल्य राशि पर हानि अंश का मापन किया जाता है।

इसके अलावा, व्यवसाय प्राप्यों के प्रति संभावित उपयोज्यता काल क्रेडिट हानि भत्ते के मापन के उद्देश्य से कम्पनी द्वारा इंड एएस 109 के अंतर्गत अनुमत्त व्यावहारिक प्रणाली का उपयोग किया गया है। इस संभावित क्रेडिट हानि अंश का आकलन मैट्रिक्स प्रावधान पर आधारित है जिसके अंतर्गत खाते को ऐतिहासिक क्रेडिट हानि अनुभव में लाकर प्रगतिशील सूचना के लिए समायोजित किया जाता है।

क्षति के अंतर्गत हानि अंश की स्वीकृति एवं मापन किया जाना अपेक्षित है जो हानि अंश की स्वीकृति अन्य व्यापक आय में करने के अलावा समान रूप से एफवीटीओसीआई पर ऋण उपकरणों के लिए उपयोग में लाया है तथा तुलन पत्र में इसे वहन राशि से कम  नहीं किया जाता है।

### च) प्रभावी ब्याज विधि

प्रभावी ब्याज विधि एक ऐसी विधि है जिससे ऋण उपकरण का परिशोधन लागत पर आकलन एवं सम्बद्ध वर्ष में ब्याज का आय का निर्धारण किया जाता है। प्रभावी ब्याज दर वह दर होती है जो अनुमानित भावी रोकड़ प्राप्तियों (सभी शुल्कों तथा चुकता अथवा प्राप्त ऐसे प्वांइटों सहित जो प्रभावी ब्याज दर, संव्यवहार लागतों तथा अन्य प्रीमियमों एवं रियायतों का अभिन्न अंग हैं) को ऋण उपकरणों के संभावित काल अथवा, जहां यथोचित हो, अपूर्ण वर्ष, पर प्रारंभिक स्वीकृति की निवल वहन राशि में सटीक रूप में न्यूनता स्थापित करती हैं।

आय की स्वीकृति ऋण उपकरण पर प्रभावी ब्याज दर पर की जाती है जो एफवीटीपीएल में वर्गीकृत वित्तीय परिसम्पतियों के अलावा हैं। ब्याज आय की स्वीकृति लाभ अथवा हानि विवरण में की जाती है तथा इसे ''अन्य आय'' की लाइन मद में शामिल किया जाता है।

### छ) बट्टा खाता

वित्तीय परिसम्पति की सकल वहन राशि की वसूली का कोई उचित कारण न होने की स्थिति में उसे बट्टे खाते

(आंशिक अथवा पूर्ण रूप से) में डाल दिया जाता है। ऐसा सामान्यतः ऐसे मामले में भी किया जाता है जब कम्पनी ऐसे निर्धारण करती हैं कि काउंटर पार्टी के पास परिसम्पतियां अथवा आय स्रोत नहीं हैं जिनसे बट्टा की जा रही राशि के भुगतान के लिए रोकड़ प्रवाह उत्पन्न हो सके। तथापि, बट्टा खाता में प्रभारित करने के बाद भी कम्पनी की धन की वसूली से संबंधित प्रक्रिया के अनुसार वित्तीय परिसम्पतियों के लिए प्रवर्तन क्रियाएं जारी रह सकती हैं।

## (2) वित्तीय देयताएं

### क) वर्गीकरण

वित्तीय देयताओं का वर्गीकरण ''एफवीटीपीएल'' अथवा ''अन्य वित्तीय देयताओं'' पर वित्तीय देयताओं के रूप में किया जाता है।

### ख) प्रारंभिक स्वीकृति तथा मापन

सभी वित्तीय देयताओं की प्रारंभिक स्वीकृति उचित मूल्य पर की जाती है। कम्पनी वित्तीय देयताओं में व्यवसाय एवं अन्य देय शामिल करती है।

### ग) अनुवर्ती मापन

**अन्य वित्तीय देयताएं :**

अन्य वित्तीय देयताओं (ऋण तथा व्यवसाय एवं अन्य देय सहित) का अनुवर्ती मापन प्रभावी ब्याज विधि के उपयोग से परिशोधन लागत पर किया जाता है। देयताओं की स्वीकृति समाप्त किए जाने तथा ईआईआर परिशोधन के माध्यम से प्रक्रिया प्रारम्भ होने पर लाभ एवं हानियों को लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है। परिशोधन लागत का आकलन अधिग्रहण से संबंधित किसी प्रकार की रियायत अथवा प्रीमियम तथा फीस अथवा ऐसी लागतों को विचार में लेकर किया जाता है जो ईआईआर का अभिन्न भाग हैं। ईआईआर परिशोधन को लाभ एवं हानि विवरण में वित्त लागतों के रूप में शामिल कर लिया जाता है।

### घ) स्वीकृति समाप्त करना

कम्पनी द्वारा अपने वित्त दायित्वों के निर्वाह कर लिए जाने, रद्द किए जाने अथवा समाप्त हो जाने के पश्चात अपनी वित्त देयताओं के प्रति तब स्वीकृति समाप्त कर दी जाती है। वित्तीय देयताओं के मध्य वहन राशि के अंतर समाप्त करके चुकता अथवा देय भुगतान को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत कर लिया जाता है।

### ड.) वित्तीय उपकरणों का समंजन

तुलन पत्र में प्रभारित निवल राशि के प्रति चालू प्रवर्तनयोग्य स्वीकृत राशियों के समंजन का विधिक अधिकार होने तथा उन्हें निवल आधार बिक्री किए जाने की मंशा होने की स्थिति में परिसम्पतियों से प्रतिफल प्राप्त करने और साथ ही साथ देयताओं की बिक्री के लिए वित्तीय परिसम्पतियों तथा देयताओं का समंजन कर लिया जाता है।

### त) अनिश्चितता के अनुमानों के प्रमुख स्रोत

**परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण का उपयोगी जीवनकालः**

प्रबंधन द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण के उपयोज्यता काल की समीक्षा की जाती है। ऐसे उपयोज्यता काल सम्बद्ध कार्यकुशलता एवं प्रचालन लागतों सहित विभिन्न आंतरिक एवं बाहृय कारकों के आधार पर परिसम्पतियों की तकनीकी उपयोज्यता एवं आर्थिक उपयोज्यता के दोनों मूल्यांकनों पर आश्रित होते हैं। पुनःमूल्यांकन से भावी अवधियों के मूल्यह्रास एवं परिशोधन में परिवर्तन उत्पन्न हो सकते हैं।

**आकस्मिकताएं**

सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया के दौरान कम्पनी के कानूनी तथा अन्य दावों से अन्य देयताएं उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसी देयताएं संभावित होती हैं परन्तु उनसे फल प्राप्त होने अथवा आकस्मिक देयता के रूप में स्वीकार किए जाने के विश्वसनीय कारण ज्ञात कर पाना कठिन होता है। ऐसी देयताओं का प्रकटीकरण नोट के माध्यम से किया जाता तथा उन्हें स्वीकृति नहीं दी जाती है। कम्पनी द्वारा अल्प संभावना के रूप में निर्धारित किए गए मामलों का प्रकटीकरण नहीं

किया गया है।

यदि आर्थिक लाभों का प्रवाह संभावित नहीं है तो आकस्मिक परिसम्पतियों की न तो स्वीकृति की गई है तथा न ही वित्तीय विवरणों के लिए उनका प्रकटीकरण किया गया है।

**उचित मूल्य मापनः**

जब वित्तीय विवरणों में रिकार्ड या प्रकट वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यों का मापन सक्रीय बाजारों में कोट किए गए मूल्यों पर नहीं किया जा सकता है तो उनका उचित मूल्य का मापन डीसीएफ मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है। इन मॉडलों के इनपुट संभव हो सकने वाले बाजारों से लिए गए हैं, किन्तु जहां यह संभव नहीं है, उचित मूल्यों की स्थापना में एक स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। निर्णयों में तरलता जोखिम, ऋण जोखिम और अस्थिरता जैसे इनपुट पर विचार शामिल है।

**करः**

कॉर्पोरेट कर व्यवस्था में परिवर्तन की घोषणा के अनुसरण में, कंपनियों के पास यह विकल्प है कि वे नई कर व्यवस्था को अपनाएं या पुरानी व्यवस्था में बने रहें या उपलब्ध एमएटी क्रेडिट के उपयोग सहित कंपनियों को उपलबध अन्य लाभों क साथ पुरानी कर संरचना के अनुसार कर का भुगतान करते रहें। यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण आकलन की आवश्यकता होती है कि किस वर्ष में कंपनी नए कर व्यवस्था के आधार पर भविष्य के करयोग्य लाभ को स्थानांतरित करेगी, जिसमें कंपनी की चालू योजनाओं का प्रभाव और उपलब्ध एमएटी क्रेडिट का परिणामी उपयोग शामिल है। तदनुसार, इंड एएस–12 आयकर के अनुसार आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को उन कर दरों पर मापा जाना आवश्यक है, जो उस वर्ष पर लागू होंगी, जब संपत्ति से लाभ प्राप्त हो या देयता का निपटान किया गया हो और यह उन कर दरों ( और कर कानून) के आधार पर होगा, जिन्हें रिपोर्टिंग तिथि में नियमित या अधिनियमित किया गया है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने बकाया कर देयता का आकलन किया है, और लाभ और हानि के विवरण के लिए 310.01 मिलियन की राशि को बट्टा खाते में डाला है।यह आस्थगित कर देयता के पुनः मापन से उत्पन्न हो रहा है जिसके भविष्य में रिवर्स होने की संभावना हैं, जब कंपनी नई कर व्यवस्था में स्थानांतरित हो जाएगी।

## नोट सं. 2: 31 मार्च 2021 को संयत्र, मशीनरी और उपकरण

रूपए मिलियन में

| विवरण | कार्यालय उपकरण | रैम्प उपकण | फर्नीचर और फिक्सचर | विद्युतीय फिटनिगस | कम्प्यूटर | वर्कशाप उपकरण और उपस्कर | संयंत्र और मशीनरी | वाहन | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सकल ब्लाक | | | | | | | | | |
| 01 अप्रैल 2020 को | 2.03 | 5,930.07 | 1.17 | 10.86 | 8.54 | 2.07 | 0.07 | 25.95 | 5,980.76 |
| संवर्धन | 0.06 | 164.32 | - | - | 0.16 | - | - | - | 164.53 |
| निपटान/समायोजन' | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **31 मार्च 2021 को** | **2.09** | **6,094.39** | **1.17** | **10.86** | **8.70** | **2.07** | **0.07** | **25.95** | **6,145.29** |
| मूल्यह्रास | | | | | | | | | |
| 1 अप्रैल 2020 को | 1.56 | 2,392.92 | 0.39 | 4.09 | 7.02 | 0.68 | 0.07 | 9.50 | 2,416.22 |
| निपटान/समायोजन | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| वर्ष हेतु परिवर्तन | 0.21 | 354.50 | 0.12 | 1.02 | 0.52 | 0.21 | 0.00 | 3.08 | 359.66 |
| **31 मार्च 2021 को** | **1.77** | **2,747.42** | **0.51** | **5.11** | **7.54** | **0.88** | **0.07** | **12.58** | **2,775.88** |
| निवल ब्लॉक | | | | | | | | | |
| **31 मार्च 2021 को** | **0.32** | **3,346.97** | **0.66** | **5.75** | **1.16** | **1.19** | **0.00** | **13.37** | **3,369.41** |
| **31 मार्च 2020 को** | **0.48** | **3,537.16** | **0.77** | **6.77** | **1.52** | **1.39** | **0.01** | **16.45** | **3,564.54** |

## 31 मार्च 2020 को संयत्र, मशीनरी और उपकरण

रूपए मिलियन में

| विवरण | कार्यालय उपकरण | रैम्प उपकण | फर्नीचर और फिक्सचर | विद्युतीय फिटनिगस | कम्प्यूटर | वर्कशाप उपकरण और उपस्कर | संयंत्र और मशीनरी | वाहन | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 मार्च 2019 को | 2.03 | 4,890.68 | 1.17 | 8.89 | 7.26 | 2.07 | 0.07 | 25.41 | 4,937.57 |
| संवर्धन | - | 1,354.45 | - | 1.96 | 1.28 | - | - | 0.55 | 1,358.24 |
| निपटान/समायोजन' | - | 315.05 | - | - | - | - | - | - | 315.05 |
| **31 मार्च 2020 को** | **2.03** | **5,930.07** | **1.17** | **10.86** | **8.54** | **2.07** | **0.07** | **25.95** | **5,980.76** |
| मूल्यह्रास | | | | | | | | | |
| 1 अप्रैल 2019 को | 1.31 | 2,377.88 | 0.28 | 3.16 | 6.27 | 0.47 | 0.06 | 6.47 | 2,395.91 |
| निपटान/समायोजन | - | 270.60 | - | - | - | - | - | - | 270.60 |
| वर्ष हेतु परिवर्तन | 0.24 | 285.64 | 0.12 | 0.92 | 0.75 | 0.21 | 0.00 | 3.03 | 290.91 |
| **31 मार्च 2020 को** | **1.56** | **2,392.92** | **0.39** | **4.09** | **7.02** | **0.68** | **0.07** | **9.50** | **2,416.22** |
| निवल ब्लॉक | | | | | | | | | |
| **31 मार्च 2020 को** | **0.48** | **3,537.16** | **0.77** | **6.77** | **1.52** | **1.39** | **0.01** | **16.45** | **3,564.54** |
| **31 मार्च 2019 को** | **0.72** | **2,512.80** | **0.89** | **5.73** | **0.99** | **1.60** | **0.01** | **18.93** | **2,541.66** |

**नोट सं. 3 : 31 मार्च 2021 को परिसंपत्तियों के प्रयोग अधिकार और पट्टा देयताएं**

**रूपए मिलियन में**

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| **सकल ब्लॉक** | | |
| वर्ष के आरंभ में निवल ब्लॉक | **252.74** | 252.74 |
| वर्ष के दौरान मूल्यहृास | **-** | - |
| निपटान/ समायोजन | **-** | - |
| **वर्ष के अंत में शेष** | **252.74** | **252.74** |
| **मूल्यह्रास** | | |
| वर्ष के आरंभ में मूल्यह्रास | **92.37** | - |
| वर्ष के दौरान मूल्यहृास | **128.61** | 92.37 |
| निपटान समायोजन | **-** | - |
| **वर्ष के अंत में शेष** | **220.97** | **92.37** |
| **वर्ष के अंत में निवल ब्लॉक** | **31.77** | **160.37** |

**पट्टा देयताएं**

**रूपए मिलियन में**

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| **1 अप्रैल 2020 को आरंभिक स्वीकृति पर परिसंपत्ति प्रयोग अधिकार** | | |
| संवर्धन | **-** | 252.74 |
| संचित ब्याज | **9.55** | 13.88 |
| पट्टा मूल भुगतान | **131.05** | 86.50 |
| पट्टा ब्याज भुगतान | **9.55** | 13.88 |
| रिवर्सल | **140.60** | 100.38 |
| **31 मार्च 2021 को** | | |
| चालू | **35.19** | **131.46** |
| गैर चालू | **-** | **34.78** |

नीचे प्रस्तुत तालिका गैर रियायती आधार पर दिनांक 31 मार्च 2021 को पट्टा देयाताओं पर संविदागत परिपक्वताओं के संबंध में ब्यौरा प्रस्तुत करती है:

**रूपए मिलियन में**

| विवरण | राशि | राशि |
|---|---|---|
| 1 वर्ष से कम | **35.19** | 140.60 |
| 1–5 वर्ष | **-** | 35.15 |
| 5 वर्ष से अधिक | **-** | - |
| **31 मार्च 2021 को** | **35.19** | **175.76** |

**नोट:**

3.1 कंपनी को अपने पट्टों की देनदारियों के संबंध में महत्वपूर्ण तरलता जोखिम का सामना नहीं करना पड़ता है क्योंकि मौजूदा परिसंपत्तियां पट्टा देनदारियों से संबंधित दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं जब कभी वे देय होते हैं। इन राषियों को

अन्य खर्चों के हिस्से के रूप में स्वीकार किया जाता है।

3.2 पट्टादाताओं के साथ कंपनी ने जिन पट्टों में प्रवेष किया है, वे आमतौर पर दीर्घकालिक प्रकृति में हैं और कोविड–19 के कारण उन पट्टों के संदर्भ में कोई बदलाव अपेक्षित नहीं है।

**नोट नं 4 : आयकर परिसंपत्तियां**

**रूपए मिलियन में**

| **विवरण** | **गैर–चालू** | | **चालू** | |
|---|---|---|---|---|
| | **31 मार्च 2021 का** | **31 मार्च 2020 का** | **31 मार्च 2021 का** | **31 मार्च 2020 का** |
| आयकर –प्रावधान का निवल<br>अग्रिम कर और स्रोत पर कर कटौती (कर हेतु प्रावधान का निवल) | **49.89** | 261.46 | - | - |
| | **49.89** | 261.46 | - | - |

**नोट नं 5 : आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)**

| **विवरण** | **31 मार्च 2021 का** | | **31 मार्च 2020 का (पुनःलेखांकित)** | |
|---|---|---|---|---|
| | **(रूपए मिलियन में)** | **(रूपए मिलियन में)** | **(रूपए मिलियन में)** | **(रूपए मिलियन में)** |
| **डीटीएल के कारण आस्थगित कर देयता** | | | | |
| मूल्यहृास | **(151.69)** | | (125.54) | |
| कुल आस्थगित कर देयता | | (151.69) | | (125.54) |
| **डीटीएल के कारण आस्थगित कर परिसंपत्ति** | | | | |
| अवशोधित मूल्यहृास | | | | |
| अन्य कर गैर–भत्ते | **1,115.80** | 1,115.80 | 895.36 | 895.36 |
| **निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति** | | **964.11** | | **769.82** |

*संदर्भ नोट सं. 40

**नोट नं 6 : अन्य परिसंपत्तियां**

**रूपए मिलियन में**

| **विवरण** | **गैर–चालू** | | **चालू** | |
|---|---|---|---|---|
| | **31 मार्च 2021 का** | **31 मार्च 2020 का** | **31 मार्च 2021 का** | **31 मार्च 2020 का** |
| वेंडरों से अग्रिम | **-** | - | 35.64 | 34.22 |
| सरकारी प्राधिकरणों के साथ बयाना जमा राशि | **8.50** | 0.15 | - | - |
| स्टाफ दावा वसूली | **4.65** | 0.13 | - | - |
| भारतीय योजना से सेवा निर्यात की पात्रता (संदर्भ नोट 37) | **-** | - | 94.80 | 104.51 |
| पूंजीगत क्रय से अग्रिम | **0.37** | 0.37 | - | - |
| अन्य परिसंपत्तियां | **-** | - | 0.16 | - |
| **कुल** | **13.52** | **0.65** | **130.61** | **138.73** |

## नोट नं 7 : दरसूची

रूपए मिलियन में

| विवरण | 31 मार्च 2021 का | 31 मार्च 2020 का |
|---|---|---|
| भंडारण व कलपुर्जे (लागत पर) | 62.28 | 86.77 |

*संदर्भ नोट सं. 33

## नोट नं 8 : व्यापार प्राप्य (निवल) (नोट 29)

रूपए मिलियन में

| विवरण | चालू | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च 2021 का | 31 मार्च 2020 का |
| वसूली योग्य – रक्षित | | |
| वसूली योग्य – अरक्षित | **1,003.57** | 1,687.96 |
| ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि वाले व्यापार प्राप्य | **958.75** | 521.93 |
| व्यापार प्राप्य – ऋण हानि | **-** | - |
| | **1,962.32** | 2,209.89 |
| घटा : संदिग्ध हेतु प्रावधान (संदर्भ नोट सं. 49(i)) | **958.75** | 521.93 |
| | **1,003.57** | 1,687.96 |
| समूह कंपनियों से देय राषियां | **2,677.09** | 3,855.08 |
| कुल | **3,680.65** | **5,543.04** |

## अवधिको प्राप्यों की आयु :

रूपए मिलियन में

| विवरण | 31 मार्च 2021 | 31 मार्च 2020 |
|---|---|---|
| **समूह कंपनियों से देय** | | |
| 1 वर्ष तक | **1,382.60** | 1,989.28 |
| 1 से 3 वर्ष | **1,294.49** | 1,865.80 |
| 3 वर्ष या अधिक | **-** | - |
| | **2,677.09** | **3,855.08** |
| **अन्य कंपनियों से देय** | | |
| 1 वर्ष तक | **946.24** | 838.87 |
| 1 से 3 वर्ष | **444.95** | 684.17 |
| 3 वर्ष या अधिक | **571.12** | 164.93 |
| | **1,962.32** | **1,687.96** |

सेवाओं की बिक्री पर ऋण अवधि प्रतिभूति सहित या रहित 30 से 60 दिनों तक के लिए है।

किसी भी नए ग्राहक को स्वीकार करने से पूर्व, कंपनी संभावित ग्राहक की ऋण गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एक बाहरी क्रेडिट स्कोरिंग प्रणाली का उपयोग करती है और ग्राहक द्वारा क्रेडिट सीमा को परिभाषित करती है। ग्राहकों के लिए सीमाएं और स्कोरिंग की समीक्षा वर्ष में एक बार की जाती है।

कंपनी आमतौर पर इन शेषों को कोलेटरल या अन्य ऋण संवर्धानों को धारित नहीं करती है और ना ही प्रतिपक्ष के प्रति कंपनी द्व
ारा धारित किसी राषि के प्रति ऑफसेट का विधिक अधिकार होता है।

व्यापार प्राप्ति के संबंध में ऋण जोखिम प्रबंधन नोट 49 (प) में वर्णित किया गया है

नोट 43 में संबंधित पक्षों के व्यापार प्राप्यों का विवरण दिया गया है।

व्यापार प्राप्यों में कंपनी के निदेषकों और अधिकारियों से कोई प्राप्य षामिल नहीं हे।

**नोट नं 9 : रोकड और रोकड समतुल्य**

**रूपए मिलियन में**

| विवरण | 31 मार्च 2021 | 31 मार्च 2020 |
|---|---|---|
| **रोकड और रोकड समतुल्य** | | |
| उपलब्ध रोकड | **0.12** | 0.07 |
| बैंक शेष: | | |
| – चालू खाता | **43.27** | 160.77 |
| – 3 माह से कम की मूल परिपक्वता वाले सावधि जमा खाता' | **0.19** | 0.18 |
| कुल | **43.58** | **161.02** |

(निर्धारित शेष उपायुक्त / कर के पास जमा राषियों को दर्षाते हैं)

**नोट नं 10 : रोकड और रोकड समतुल्य से इतर बैंक शेष**

**रूपए मिलियन में**

| विवरण | 31 मार्च 2021 | 31 मार्च 2020 |
|---|---|---|
| निर्धारित शेष | | |
| . सावधि जमा ** | **1.59** | 1.50 |
| कुल | **1.59** | 1.50 |

**निर्धारित शेष उपायुक्त वस्तु एवं सेवा कर के पास सावधि जमा राषियों को दर्षाते हैं)

**नोट नं 11 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां**

**रूपए मिलियन में**

| विवरण | चालू | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च 2021 | 31 मार्च 2020 |
| **अरक्षित वसूली योग्य** | | |
| स्टाफ से वसूली योग्य | **56.73** | 57.79 |
| अन्य वसूली योग्य | **0.81** | 19.06 |
| कुल | **57.54** | **76.86** |

**नोट नं 12 : इक्विटी शेयर पूंजी**

**रूपए मिलियन में**

| विवरण | 31 मार्च 2021 | | 31 मार्च 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| | संख्या | राशि (रूपए मिलियन में) | संख्या | राशि (रूपए मिलियन में) |
| प्राधिकृत पूंजी | | | | |
| प्रति 10 रूपए के मूल्य के इक्विटी शेयर | **10,000.00** | 10,000.00 | 1,000.00 | 10,000.00 |

| विवरण | 31 मार्च 2021 | | 31 मार्च 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| | संख्या | राशि (रूपए मिलियन में) | संख्या | राशि (रूपए मिलियन में) |
| जारी व अंषदायी | | | | |
| प्रति 10 रूपए के मूल्य के इक्विटी शेयर | **138.42** | 1,384.24 | 138.42 | 1,384.24 |
| | **138.42** | 1,384.24 | 138.42 | 1,384.24 |

कंपनी एअर इंडिया लिमिटेड की पूण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

**क. कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक की धारिता वाले शेयरधारक**

| शेयरधारक का नाम | 31 मार्च 2021 | | 31 मार्च 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| | शेयरों की सं. | शेयरों का प्रतिशत | शेयरों की सं. | शेयरों का प्रतिशत |
| एअर इंडिया लिमिटेड – धारक कंपनी | 138.42 | 100 | 138.42 | 100 |

शेयरधारकों/सदस्यों के रजिस्टरों सहित कंपनी के रिकार्डों के अनुसार, उपर्युक्त शेयरधारिता शेयरों के कानूनी स्वामित्व को दर्षाती है।

**ख. वर्ष के आरंभ तथा अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का समाधान**

**रूपए मिलियन में**

| विवरण | 31 मार्च 2021 | | 31 मार्च 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| | शेयरों की सं. | राशि | शेयरों की सं. | राशि |
| वर्ष के आरंभ में | 138.42 | 1,384.24 | 138.42 | 1,384.24 |
| वर्ष के दौरान जारी | - | - | - | - |
| वर्ष के अंत में बकाया | **138.42** | **1,384.24** | **138.42** | **1,384.24** |

कंपनी ने केवल एक श्रेणी के शेयर जारी किए हैं जिन्हें इक्विटी शेयर कहते हैं और इनका प्रति शेयर मूल्य 10 रूपए है। इक्विटी शेयरों का प्रत्येक शेयरधारक प्रति शेयर एक वोट के लिए पात्र है। कंपनी के दिवालिया होने की स्थिति में, इक्विटी शेयरों के धारक सभी बाहरी देयतों के भुगतान के पश्चात कंपनी की शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। इन परिसंपत्तियों का संवितरण, सभी प्रेफरेंशियल राशियों, यदि कोई हो, के संवितरण के पश्चात शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

तुलन पत्र की तारीख से तत्काल पांच वर्ष पूर्व की अवधि के दौरान कंपनी द्वारा कोई बोनस शेयर जारी नहीं किए गए हैं और रोकड से इतर हेतु जारी किए जाने का कोई मामला नहीं है और कंपनी द्वारा किसी शेयर को बाईबैक नहीं किया गया है।

**नोट नं 13 : अन्य इक्विटी**

**रूपए मिलियन में**

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को | | 31 मार्च, 2020 को | |
|---|---|---|---|---|
| **लाभ हानि खाते में अतिरेक:** | | | | |
| पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष | | **2,490.22** | | 1,991.84 |
| जमा: पूर्ववर्ती वर्शों की आस्थगित कर परिसंपत्ति के प्रभाव | | **-** | | - |

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को | | 31 मार्च, 2020 को | |
|---|---|---|---|---|
| | | **2,490.22** | | 1,991.84 |
| वर्ष हेतु लाभ/(घाटा) | **(2,030.51)** | | 498.38 | |
| घटाः | | | | |
| निर्धारित लाभ योजना का पुनःमापन | - | | - | |
| आरक्षित निधि में अंतरण | - | | - | |
| जमाः पूर्व अवधि समायोजन | | | | |
| घटाः पूर्व अवधि समायोजन | - | | | |
| अंतरिम लाभांश | - | | - | |
| अंतरिम लाभांश पर कर | - | | - | |
| प्रस्तावित लाभांश | - | | - | |
| प्रस्तावित लाभांश पर कर | - | | - | |
| उप कुल | | - | | - |
| निवल अतिरेक | | **(2,030.51)** | | 498.38 |
| **कुल आरक्षित निधि एवं अतिरेक** | | **459.71** | | **2,490.22** |

रूपए मिलियन में

| विवरण | 31 मार्च 2021 | 31 मार्च 2020 |
|---|---|---|
| प्रतिधारण आमदनी | **459.71** | 2,490.22 |
| कुल | **459.71** | **2,490.22** |

**प्रतिधारण आमदनियांः :**

प्रतिधारित आमदनियां कंपनी के वे लाभ हैं जो आज की तिथि तक अर्जित लाभ घाटा आरक्षित निधि में अंतरित कोई राषि व शेयरधारकों को प्रदत्त लाभांष या अन्य संवितरण है। प्रतिधारित आमदनियों में षामिल हैं –निर्धारित लाभ योजनाओं पर घाटा/(लाभ) का पुनर्मापन, करों का निवल, जिन्हें लाभ व हानि खाते में पुनःवर्गीकृत नहीं किया गया है। प्रतिधारित आमदनियां कंपनी के पास उपलब्ध मुक्त आरक्षित निधियां हैं।

**नोट नं 14 : अन्य वित्तीय देयताऐं**

रूपए मिलियन में

| विवरण | गैर–चालू | | चालू | |
|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च 2021 | 31 मार्च 2020 | 31 मार्च 2021 | 31 मार्च 2020 |
| कर्मचारियों को देय | **0.11** | 0.11 | **582.29** | 352.30 |
| भारतीय विमानपत्त प्राधिकरण उपकर के प्रति देय | **-** | - | **992.88** | 922.99 |
| पूंजीगत क्रय हेतु देय | | - | **57.03** | 864.92 |
| कुल | **0.11** | **0.11** | **1,632.20** | **2,140.21** |

नोट नं 15 :प्रावधान

रूपए मिलियन में

| विवरण | गैर–चालू | | चालू | |
|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च 2021 | 31 मार्च 2020 | 31 मार्च 2021 | 31 मार्च 2020 |
| | (रूपए) | (रूपए) | (रूपए) | (रूपए) |
| **कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान*** | | | | |
| छुट्टीः नकदीकरण हेतु प्रावधान | **307.41** | 347.23 | **74.44** | 92.10 |
| उपदान के लिए प्रावधान | **818.83** | 836.95 | **183.63** | 177.29 |
| चिकित्सा के लिए प्रावधान | **1,499.18** | 1,383.83 | **54.23** | 56.39 |
| **अन्य प्रावधान** | | | | |
| ब्याज सहित कर हेतु प्रावधान ;निवलद्ध | **-** | - | **-** | 200.49 |
| एमएसएमई हेतु प्रावधान | **-** | - | **-** | 0.03 |
| **कुल** | **2,625.43** | **2,568.01** | **312.29** | **526.29** |

**'*संदर्भ नोट सं. 38**

नोट नं 16 अन्य गैर चालू देयताएं

रूपए मिलियन में

| विवरण | गैर–चालू | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च 2021 | 31 मार्च 2020 |
| ग्राहकां से प्रतिभूति जमा राशियां | **21.49** | 20.88 |
| ग्राहकों से अग्रिम (संदर्भ नोट सं.. 50) | **-** | - |
| **कुल** | **21.49** | **20.88** |

नोट नं 17 व्यापार प्राप्य (निवल)*

रूपए मिलियन में

| विवरण | 31 मार्च 2021 | 31 मार्च 2020 |
|---|---|---|
| व्यापार प्राप्य | | |
| सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम | **4.51** | 0.26 |
| संदर्भ नोट सं. 42 | **1,061.79** | 845.94 |
| **कुल** | **1,066.30** | **846.20** |

**देय राशियों का निपटान सामान्य रूप से 30–60 दिनों के भीतर किया जाता है।**

**संबंधित पक्षों से व्यापार प्राप्य का ब्यौरा नोट – 39.**

## नोट नं 18 अन्य चालू देयताएं

रूपए मिलियन में

| विवरण | चालू | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च 2021 | 31 मार्च 2020 |
| सांविधिक देयताएं (नोट 31 का संदर्भ लें) | **836.85** | 590.45 |
| वेंडरों से जमा राशियां | **30.56** | 30.55 |
| ग्राहकों से प्रतिभूति जमा | **0.01** | 0.61 |
| ग्राहकों से अग्रिम (नोट 50 का संदर्भ लें) | **0.57** | 0.57 |
| अन्य चालू देयताएं | | 0.16 |
| कुल | **867.99** | **622.35** |

## नोट नं 19 प्रचालनों से राजस्व (सकल)

रूपए मिलियन में

| विवरण | 31 मार्च 2021 (रूपए) | 31 मार्च 2020 (रूपए) |
|---|---|---|
| **क ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं से राजस्व** | | |
| समूह कंपनियों से राजस्व | **1,516.12** | 3,837.76 |
| तीसरा पक्ष हैंडलिंग से राजस्व | **1,079.87** | 1,572.39 |
| सरकारी पक्षों से राजस्व | **27.21** | 46.08 |
| सामान्य हैंडलिंग से राजस्व | **99.24** | 112.86 |
| | **2,722.44** | 5,569.09 |
| घटाः धारक कंपनी के साथ राजस्व भागीदारी | **213.58** | 342.49 |
| कुल (क) | **2,508.86** | 5,226.60 |
| **ख कार्गो हैंडलिंग से राजस्व** | | |
| – एपीईडीए से राजस्व | **35.13** | 85.59 |
| – अन्य | **276.27** | 510.98 |
| **कुल (ख)** | **311.41** | **596.57** |
| **ग उपकरणों को ऋण** | **72.23** | **258.06** |
| कुल (ग) | | |
| **कुल (ग)** | **72.23** | **258.06** |
| कुल | **2,892.50** | **6,081.23** |

## नोट नं 20 अन्य आय

रूपए मिलियन में

| विवरण | 31 मार्च 2021 (रूपए) | 31 मार्च 2020 (रूपए) |
|---|---|---|
| भर्ती आवेदन राशि | **0.33** | 1.93 |
| समूह कंपनियों पर ओवरड्यू भुगतानों पर ब्याज (संदर्भ नोट सं. 35) | **289.05** | 269.42 |

| विवरण | 31 मार्च 2021 (रूपए) | 31 मार्च 2020 (रूपए) |
|---|---|---|
| समूह कंपनियों से इतर पर ओवरड्यू भुगतानों पर ब्याज | **9.54** | 5.89 |
| सावधि जमा पर ब्याज | **0.10** | 0.41 |
| विदेशी विनिमय लाभ (निवल) | **-** | 258.19 |
| एचएएल–जेडब्ल्यूजी की लाभ भागीदारी (संदर्भ नोट सं. 30) | **6.95** | 9.10 |
| श्रमशक्ति लागत वसूली | **86.09** | 97.60 |
| उपदान की वसूली (संदर्भ नोट सं. 38) | **-** | 86.47 |
| प्रावधान के पश्च लेखन की आवश्यकता नहीं | **-** | 101.03 |
| एसएफआईएस क अंतर्गत ड्यूटी ऋण पात्रता (संदर्भ नोट सं. 37) | **-** | 25.32 |
| अन्य आय | **56.59** | 24.95 |
| कुल | **448.65** | **880.33** |

## नोट नं 21 कर्मचारी लाभ व्यय

रूपए मिलियन में

| विवरण | 31 मार्च 2021 (रूपए) | 31 मार्च 2020 (रूपए) |
|---|---|---|
| वेतन, पारिश्रमिक एवं बोनस | **3,207.97** | 3,589.12 |
| भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान (नोट 31 का संदर्भ लें) | **242.93** | 359.37 |
| कर्मचारी कल्याण व्यय | **27.79** | 68.27 |
| उपदान (नोट 38 का संदर्भ लें) | **234.78** | 203.92 |
| अवकाश नकदीकरण (नोट 38 का संदर्भ लें) | **9.19** | 52.88 |
| चिकित्सा लाभ व्यय (नोट 38 का संदर्भ लें) | **113.11** | 122.79 |
| कुल | **3,835.78** | **4,396.35** |

## नोट नं 22 वित्तीय लागत

रूपए मिलियन में

| विवरण | 31 मार्च 2021 (रूपए) | 31 मार्च 2020 (रूपए) |
|---|---|---|
| पट्टा देयताओं पर ब्याज | **9.55** | 13.88 |
| आयकर पर पर ब्याज | **-** | 49.05 |
| कुल | **9.55** | **62.93** |

## नोट नं 23 अन्य व्यय

रूपए मिलियन में

| विवरण | 31 मार्च 2021 (रूपए) | 31 मार्च 2020 ;तेद्ध |
|---|---|---|
| हैंडलिंग प्रभार | **23.12** | 47.67 |
| भर्ती व्यय | **0.03** | 0.07 |
| बीमा | **57.42** | 35.72 |
| टेलीफोन शुल्क | **0.50** | 0.71 |
| मरम्मत और रखरखाव | **84.69** | 53.40 |
| बिजली, हीटिंग और ईंधन | **125.99** | 223.82 |
| जल प्रभार | **1.24** | 3.38 |
| स्टोर और स्पेयर खपत | **45.70** | 59.48 |
| परिवहन और उपकरणों का किराया | **14.09** | 9.07 |
| परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री से घाटा | **-** | 21.15 |
| मुद्रण और स्टेशनरी | **2.13** | 4.46 |
| सामान्य कार्यालय व्यय | **19.22** | 13.81 |
| संभावित ऋण घाटा भत्ता (नोट 49(प) का संदर्भ लें) | **436.82** | 122.82 |
| किराया व्यय (नोट 52) का संदर्भ लें) | **287.24** | 246.93 |
| दरें और कर | **2.53** | 4.09 |
| यात्रा और वाहन व्यय | **10.60** | 43.23 |
| कानूनी और व्यावसायिक व्यय | **6.08** | 13.83 |
| बैंक प्रभार | **3.50** | 1.21 |
| अन्य लेखापरीक्षा व्यय | **0.51** | 0.65 |
| यात्री बैगेज दावा व्यय | **0.06** | 0.77 |
| निवल विदेशी मुद्रा घाटा | **28.59** | - |
| ब्याज प्रभार | **38.44** | 4.46 |
| निगमित सामाजि उत्तरदायित्व ;नोट 44 का संदर्भ लद्ध | **34.65** | 10.37 |
| **सांविधिक लेखापरीक्षक को परिलब्धि** | | |
| –लेखा परीक्षा शुल्क | **1.00** | 1.00 |
| –आउट आफ पाकेट व्यय | **0.10** | 0.10 |
| विविध व्यय | **14.17** | 15.52 |
| कुल | **1,238.40** | **937.73** |

## नोट नं 24 प्रति शेयर आमदनी

रूपए मिलियन में

| विवरण | 31 मार्च 2021 | 31 मार्च 2020 |
|---|---|---|
| कर पश्चात लाभ/(हानि) | **(2,036.56)** | 504.82 |
| बकाया शेयरों की वेटिड औसत संख्या (सं.) | **138.42** | 138.42 |
| इक्विटी शेयरों का आंशिक मूल्य /रूपए | **10.00** | 10.00 |

| विवरण | 31 मार्च 2021 | 31 मार्च 2020 |
|---|---|---|
| प्रति शेयर आमदनी /रूपए – मूल | **(14.71)** | 3.65 |
| प्रति शेयर आमदनियां/रूपए–विलयित | **(14.71)** | 3.65 |

वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की वेटेड औसत संख्या का समायोजन

**रूपए मिलियन में**

| विवरण | 31 मार्च 2021 | 31 मार्च 2020 |
|---|---|---|
| वर्ष के आरंभ में बकाया इक्विटी शेयरों की कुल संख्या | **138.42** | 138.42 |
| जमाः राइट इश्यु के माध्यम से जारी शेयर (आवंटन की तिथि : 15 दिसंबर 2011) | **-** | - |
| वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयरों की कुल संख्या | **138.42** | 138.42 |
| वर्ष के अंत में इक्विटी शेयरों की वेटेड औसत संख्या | **138.42** | 138.42 |

पिछले वर्ष के आंकडों को चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि हेतु पुन–समूहित/पुन–व्यवस्थित किए गए हैं।

## दिनांक 31 मार्च 2021 को तथा इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग का सृजन करने वाले नोट

### 25. विनिवेश प्रक्रिया

भारत सरकार ने एअर इंडिया समूह के नीतिगत विनिवेश के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। भारत सरकार ने स्वयं के मार्गदर्शन हेतु संव्यवहार सलाहकार, विधिक सलाहकार और परिसंपत्ति वेल्युवर की नियुक्ति की है और एअर इंडिया के नीतिगत विनिवेश में मार्गदर्शन हेतु विशिष्ट वैकल्पिक तंत्र (एआईएसएएम) का गठन किया गया है।

एआईएसएएम ने निम्नलिखित चार सहायक कंपनियां नए रूप से निर्मित विशेष प्रयोजन व्यवस्था (एसपीवी) में अविलयित और पार्क होंगी:

i) एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (एआईएएसएल)

ii) एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड (एएएएल)

iii) एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (एआईईएसएल)

iv) होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एचसीआई)

विशेष कार्य व्यवस्था (एसपीवी) का गठन चार सहायक कंपनियों यथा एएएएल, एआईएएसएल, एआईईएसएल, एचसीआई सहित किसी भी परिसंपत्ति द्वारा असमर्थिक संचित कार्यशील पूंजीगत ऋण, गैर महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों, पेंटिंग तथा कलाकृतियों और एअर इंडिया की अन्य गैर प्रचालनिक परिसंपत्तियों के वेयरहाउसिंग संचयन के लिए किया गया है। तदनुसार, एअर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) का गठन किया गया था।

इस तथ्य के अनुसरण में कि मार्च 2018 में जारी किए गए उपरोक्त ईओआई में कोई बोली प्राप्त नहीं हुई, एअर इंडिया स्पेसिफिक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म (एआईएसएएम) ने दिनांक 18 जून 2018 को हुई अपनी बैठक में अनेक निर्णय लिये जिनमें से एक निर्णय सहायक कंपनियों के निपटान के लिए अलग–अलग तरीके से निर्णय लिया जाए यथा एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (एआईईएसएल)। एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (पूर्व में एअर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईएटीएसएल) और एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड, जिसे पहले एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लिमिटेड (एएएएल) के रूप में जाना जाता था।

भारत सरकार द्वारा जारी किए गए उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार, एअर इंडिया बोर्ड ने अपनी सहायक एआईएएसएल की 100 प्रतिशत शेयरहोल्डिंग एआईएएसएल को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दे दी, आवश्यक अनुमोदन के अध्याधीन और अंतरण के विस्तृत नियमों और शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए एआईएएसएल/एआईएएचएल के साथ वार्ता आरंभ करने के लिए कंपनी को अधिकृत किया है। एआईएएसएल से एआईएएचएल को शेयर होल्डिंग के कानूनी हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी भी प्रगति पर है और इसके शीघ्र ही पूरा होने की संभावना है।

इस संबंध में आगे एआईएएसएल के विनिवेश के लिए रूचि अभिव्यक्ति (ईओआई) की बोलियों के आमंत्रण के लिए प्रारंभिक सूचना ज्ञापन (पीआईएम) पहले ही जारी किया जा चुका है और जिसके विवरण निम्नानुसार हैं।

एआईएएचएल ने दिनांक 12 फरवरी 2019 को एअर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की प्रस्तावित नीतिगत बिक्री के लिए रूचि अभिव्यक्ति को आमंत्रित करने के लिए पीआईएम जारी किया था, जिसके बाद तिथियों को आगे बढाने के लिए 12 शुद्धपत्र जारी किए गए जिनमें अंतिम तिथि 27 दिसंबर 2019 थी। तथापि यह सूचित किया गया था कि एआईएएसएल के नीतिगत विनिवेश को रद्द कर दिया गया है और एआईएएचएल एआईएएसएल की प्रस्तावित नीतिगत बिक्री की प्रक्रिया को यथोचित रूप से पुनः आरंभ करेगी।

### 26. आकस्मिक देयताएं:

#### क. विवादित दावे/शुल्क (ब्याज सहित, यदि कोई हो):

कंपनी के विरूद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप मे स्वीकार नहीं किया गया है (कतिपय मामलों में ब्याद और दंड को छोड़कर) और इंड एएस–37 के अनुपालन में अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है:

रूपए मिलियन में

| क्र. सं. | विवरण | 31 मार्च 2021 को शेष | 31 मार्च 2020 को शेष |
|---|---|---|---|
| (i) | कंपनी द्वारा प्राप्त आयकर मांग नोटिस, जो अपीलाधीन हैं (*) | 20.10 | 20.10 |
| (ii) | हवाईअड्डा प्रचालकों/अन्यों के दावे (**) | 9.90 | 30.57 |
| (iii) | स्टाफ/सिविल/मध्यस्थता मामलों में अन्य दावे जो न्यायालयों में लंबित हैं | 3.08 | 3.20 |
| | **कुल** | 33.08 | 53.87 |

**अन्य आकस्मिक देयताओं के संबंध में विवरणात्मक नोट**

1. **कंपनी द्वारा प्राप्त आयकर मांग नोटिस, जो अपीलाधीन हैं (*)**

   क. **उपदान अस्वीकृतिः** आयकर उपायुक्त ने दिनांक 07.01.2015 को वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए अपीलकर्ता द्वारा दायर संशोधित आयकर रिटर्न को अस्वीकार किया है और आगे लेखापरीक्षा रिपोर्ट और दिनांक 07.01.2015 को दायर संशोधित रिपर्ट के अनुसार धारा 40क(7) के अंतर्गत 2.60 मिलियन रूप के रूप में निर्धारित सही राशि के स्थान पर धारा 40क(7) के अंतर्गत 16.67 मिलियन रूपए को अस्वीकार किया है।

   ख. **भविष्य निधि में कर्मचारी अंशदानः** डीसीआईटी ने वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2(24) (x) के साथ पठित धार 36 (i)(वीए) के तहत भविष्य निधि के प्रति नियोक्ता अंशदान के संबंध में अपीलकार्ता की कुल आय में 9.06 मिलियन रूपए का संवर्धन किया है।

2. **हवाईअड्डा प्रचालकों के दावों में शामिल हैं(**)**

   नेहा एविएशन मेनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने जयपुर हवाईअड़डे पर बैगेज, कार्गो हैंडलिंग, विविध सेवाएं प्रदान करने के लिए 9.9 मिलियन रूपए (पीनल ब्याज और उसपर जीएसटी सहित) की मांग प्रस्तुत की थी। कंपनी को उनके सभी बकाया प्राप्त हो गए हैं और उन्होंने पाया कि वेंडर द्वारा प्रास्तुत बिल सही नहीं था और प्रत्येक एक सेवा के लिए दोहरा बिल प्रस्तुत किया गया था। इसलिए, इस दावें को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है तथा इसे आकस्मिक देयता में दर्शाया गया है।

**27. एअर इंडिया में इक्विटी सहायता**

कंपनी और एअर इंडिया लिमिटेड, के बीच दिनांक 19 अप्रैल 2013 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार, वित्तीय पुनर्गठन योजना (एफआरपी) के भागे के रूप में भारत सरकार से प्राप्त इक्विटी सहायता के आधार पर एअर इंडिया ने वित्तीय वर्ष 2023 तक पूंजीगत व्यय के लिए अपेक्षित 3930 मिलियन रूपए की इक्विटी एआईएएसएल को प्रदान की हैं। इसके अतिरिक्त, एमओयू के अनुसार, 3930 मिलियऩ रुपये की कुल इक्विटी में से एआईएएसएल की पूंजीगत आवश्यकता के लिए एआई द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 में 1500 मिलियन रुपये का उपयोग किया जाएगा। इक्विटी के रूप में 2430 मिलियन रूपए की शेष राशि एआईएएसएल की पूंजी आवश्यकता के आधार पर वित्तीय वर्ष 2023 तक की अवधि के दौरान एआई द्वारा एआईएएसएल को इक्विटी के रूप में प्रदान किए जाएंगी। उपरोक्त के प्रति, एअर इंडिया ने आज की तिथि तक 1384.24 मिलियन रूपए की सहायता प्रदान की है।

**28. पूंजी एवं अन्य दीर्घकालीन प्रतिबद्धताएः**

पूंजी संविदागत प्रतिबद्धताएं और दीर्घकालीन प्रतिबद्धताएं दिनांक 31 मार्च 2021 को शून्य (पिछले वर्ष शून्य) हैं।

**29. इंड एएस–8 ''लेखांकन नीति, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन'' के अनुसार पूर्व अवधि त्रुटियों में सुधार**

वर्ष के दौरान, कंपनी ने आरंभिक शेषों का विस्तृत समीक्षा की है और पाया कि वित्तीय विवरण के नीचे उल्लिखित लाइन मदें पूर्व वर्ष में सही रूप में लेखांकित/प्रकट नहीं हैं।

इन अशुद्धियों को निम्नानुसार पूर्व वर्ष के लिए प्रत्येक प्रभावित वित्तीय विवरण लाइन मदों को पुनर्निर्धारित करके सही किया गया है:

**रूपए मिलियन में**

| तुलन पत्र (सार) | 31 मार्च 2021 को (पूर्व में रिपोर्टिड अनुसार) | वृद्धि/(कमी) | 31 मार्च 2020 को (पुनर्निर्धारित) |
|---|---|---|---|
| व्यापार प्राप्य | 5,713.96 | (170.91)* | 5,543.04 |
| अन्य वित्तीय देयताएं | 2,153.82 | (13.60) | 2,140.21 |
| **निवल परिसंपत्तियां** | **3,560.14** | **(157.31)** | **3,402.83** |
| | 2,647.53 | (157.31) | 2,490.22 |
| प्रतिधारित आमदनियां (नोट 12 का संदर्भ लें) | **1,991.84** | **(157.31)** | **1,834.51** |
| **कुल इक्विटी** | | | |
| **लाभ एवं हानि विवरण (सार)** | 6,221.30 | (140.07) | 6,081.23 |
| प्रचालनों से राजस्व | 866.71 | 13.61 | 880.32 |
| अन्य आय | **7,088.01** | **(126.46)** | **6,961.55** |
| **कुल राजस्व** | 906.88 | 30.85 | 937.73 |
| अन्य व्यय | **5,749.44** | **30.85** | **5,780.29** |
| **कर पूर्व लाभ/(हानि)** | **1,338.58** | **(157.31)** | **1,181.27** |
| **कर पश्चात लाभ/(हानि)** | **662.13** | **(157.31)** | **504.82** |
| **अन्य वृहत आय** | | | |
| परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनःनिर्धारण | **(6.45)** | **-** | **(6.45)** |
| **वर्ष के लिए कुल वृहत आय** | **655.69** | **(157.31)** | **498.38** |

* व्यापार प्राप्यों में वृद्धि/(कमी) का ब्यौरा।

| विवरण | राशि (मिलियन में) |
|---|---|
| आईएटीए रीचार्ज 2014–15 | (1.26) |
| आईएटीए रीचार्ज 2016–17 | (43.87) |
| आईएटीए रीचार्ज 2017–18 | (127.58) |
| आईएटीए रीचार्ज 2018–19 | 4.99 |
| आईएटीए रीचार्ज 2019–20 | (1.38) |
| गैर आईसीएच प्राप्य | (1.81) |
| **कुल** | **(170.91)** |

## 30. संयुक्त कार्य समूह के संबंध में प्रकटन

एचएएल बंगलोर हवाईअड्डा हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के अधिकारक्षेत्र में है और यहां ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं एचएएल द्वारा प्रदान की जा रहीं थी। तथापि, कंपनी ने एचएएल बंगलोर हवाईअड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए कंपनी की विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए एचएएल के साथ दिनांक 29 अप्रैल 2016 को करार के तहत एक व्यवस्था में

प्रवेश किया है। ऐसी व्यवस्था के अनुसार, कंपनी उस हवाईअड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एचएएल की सभी अवसंरचनाओं का प्रयोग करेगी और इस करार की शर्तों के अनुसार कर पश्चात एचएएल के निवल लाभ को समान अनुपात में एचएएल और कंपनी के बीच साझा किया जाएगा। तदनुसार, चालू वर्ष के लिए एचएएल के निवल लाभ के 50 प्रतिशत भाग यथा 6.95 मिलियन रूपए को अन्य आय के रूप में लेखांकित किया गया है।

**रूपए मिलियन में**

| संयुक्त कार्य दल का नाम | एआई संयुक्त उपक्रम समूह | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
| कंपनी का भाग/स्वामित्व हित | 50% | 50% |
| आय – कंपनी का भाग | 36.40 | 22.25 |
| व्यय – कंपनी का भाग | 22.50 | 4.05 |
| लाभ/(हानि) –कंपनी का शेयर | 13.90 | 18.20 |
| एचएएल के साथ कंपनी के संयुक्त कार्य समूह से आय का भागः | 6.95 | 9.10 |
| आकस्मिक देयता | - | - |

**31. समामलेन/पुष्टि**

क) कंपनी ने सभी प्रमुख व्यापार प्राप्तियों के लिए शेष राशि की पुष्टि हेतु मांग की है और कंपनी ने धारक कंपनी, धारक कंपनी की सहायक कंपनी और कुछ निजी पक्षों शेष राशि प्राप्तियों हेतु पुष्टि प्राप्त की है, जिसमें कंपनी को प्राप्य युक्तिसंगत राशि शामिल है और समायोजन का कार्य पूरा कर लिया गा है तथा शेष पुष्टियां प्राप्त हो रही हैं। व्यापार के भुगतान के मामले में कुछ पक्षों से प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है और जहां भी पक्षों का शेष बहियों के अनुरूप नहीं है, वहां अंतरों के लिए समायोजन किया जा रहा है। इन समायोजनों से उत्पन्न प्रभाव, यदि कोई हो, तो समायोजन की प्रकिया को समायोजन के वर्ष के भीतर तथा समक्ष प्रधिकरण से अनुमोदन से पूरा किया जाएगा।

ख) ग्राहकों से वसूल की गई और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण व एमआईएएल को देय रॉयल्टी का समायोजन किया जा रहा हैं। इन समायोजनों से उत्पन्न प्रभाव, यदि कोई हो, तो समायोजन की प्रकिया को समायोजन के वर्ष के भीतर तथा समक्ष प्रधिकरण से अनुमोदन से पूरा किया जाएगा।

ग) वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और अन्य वैधानिक बकाया राशियों का समायोजन दायर रिटर्न और कंपनी के विधिक रिकार्डों के साथ किया जा रहा हैं। इन समायोजनों से उत्पन्न प्रभाव, यदि कोई हो, तो समायोजन की प्रकिया को समायोजन के वर्ष के भीतर तथा समक्ष प्रधिकरण से अनुमोदन से पूरा किया जाएगा।

घ.) कुछ नियंत्रण बहियों सहित देय राशियों और कर्मचारियों से प्राप्य/वसूलीयोग्य मिलान रहित कतिपय राशियों का समायोनज और मिलान किया जा रहा है। इन समायोजनों से उत्पन्न प्रभाव, यदि कोई हो, तो समायोजन की प्रकिया को समायोजन के वर्ष के भीतर तथा समक्ष प्रधिकरण से अनुमोदन से पूरा किया जाएगा।

ड.) कंपनी के पास 483.46 मिलियन रुपये की आईएटीए रीचार्ज प्राप्य राशि है जिसका समाधान किया जा रहा है। कंपनी द्वारा एक समिति का गठन किया गया है जिसमें 3 सदस्य शामिल हैं और दिनांक 13 मई 2021 की अंतरिम रिपोर्ट को दिनांक 14 जून 2021 को बोर्ड को भी प्रस्तुत किया गया है। कंपनी ग्राहकों से पुनः बिल की जाने वाली या वसूल की जाने वाली राशि का पता लगा रही है। इसके परिणामस्वरूप, होने वाले परिणामी समायोजन का प्रभाव, यदि कोई हो, तो सुलह से उत्पन्न होने वाले समायोजन के वर्ष के भीतर होगा।

**32. परिसंपत्तियां, संयत्र और उपकरण (पीपीई)**

कंपनी की नीति के अनुसार, कंपनी की प्रमुख संपत्तियों का भौतिक सत्यापन रोटेशन के आधार पर किया जाएगा ताकि हर दो साल में हर संपत्ति का सत्यापन किया जा सके। तदनुसार, कंपनी ने परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन के लिए स्वतंत्र

एजेंसी नियुक्त की है और सत्यापन के दौरान पाई गई विसंगतियों को संबंधित प्राधिकरण से अनुमोदन लेने के बाद उस वर्ष में समायोजित किया जाएगा जिसमें रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

**33. इन्वेंटरी**

इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन आंतरिक रूप से चार स्थानों पर किया जाता है, जहां इन्वेंटरी का सत्यापन कंपनी के अधिकारी द्वारा किया जाता है और विधिवत रूप से प्रमाणित किया जाता है। भौतिक सत्यापन दिनांक 31 मार्च 2021 को किया गया है। इनवेंटरी का उपयोग उपयोगकर्ता (तकनीकी) से प्राप्त पुष्टिकरण के आधार पर बहियों में ले जाने वाले मूल्य के बराबर होता है।

**34. रोकड़ एवं बैंक शेष**

उपलब्ध रोकड़ का वर्ष समाप्ति पर भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा की गई है और रोकड़ शेष प्रमाण पत्र को संबंधित अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित किया गया है। बैंक शेषों का पूर्ण रूप से समाधान किया गया है और सभी बैंक खातों के संबंध में बैंको से पुष्टि प्राप्त की गई है।

**35. एअर इंडिया समूह पर अतिदेय भुगतान पर ब्याजः**

पूर्व पद्धति के अनुसार एअर इंडिया, एअर इंडिया एक्सप्रेस, एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड के संबंध में औसत शेष विधि पर 9 प्रतिशत की दर से ब्याज लगाया गया है। तथापि, एलायंस एयर के संबंध में क्रेडिट अवधि के बाद ब्याज 9 प्रतिशत लगाया गया है।

**एअर इंडिया समूह की कंपनियों के लिए प्रभारित ब्याज निम्नानुसार हैः**

**मिलियन में रुपए**

| | |
|---|---|
| एअर इंडिया लिमिटेड | 113.75 |
| एअर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड | 10.11 |
| एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड | 89.87 |
| एलाइड एयरलाइंस सर्विसेज लिमिटेड | 75.32 |
| **कुल** | **289.05** |

**36. आंतरिक नियंत्रणः**

कंपनी ने प्रणाली में सुधार, यदि अपेक्षित हो, के लिए सुझाव उपलब्ध कराने हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा निष्पादित करने के लिए सनदी लेखाकार की स्वतंत्र फर्म को नियुक्त किया है। प्रबंधन द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र की समीक्षा समय समय पर की जाती है ताकि स्टेशनों, क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रयोक्ता विभागों में भी कुशल आंतरिक नियंत्रणों को सुनिश्चित किया जा सके और सेप में संव्यवहार की समरूपी और सम पर लेखांकन प्रविष्टियों हेतु प्रणाली सुनिश्चित की जा सके।

**37. ''भारतीय योजना से सेवा निर्यात (एसएफआईएस) की पात्रता'' :**

कंपनी सेवाओं के निर्यात के माध्यम से कंपनी द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा आधार पर भारतीय योजना से सेवा निर्यात के अंतर्गत ऋण के लिए पात्र है। लाइसेंस/स्क्रिप के रूप में उक्त लाभ विदेशी व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा उपलब्ध कराई गई है और कंपनी वित्तीय वर्ष 2018–19, 2019–20 और 2020–21 के लिए दावे को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में है। दावों के लंबित होने के कारण, चालू वर्ष में ऐसे वित्तीय वर्षों के लिए किसी निर्यात पात्रता को स्वीकार नहीं किया गया है।

**38. कर्मचारी लाभ योजनाः**

## (क) निर्धारित अंशदान योजना

**कर्मचारी भविष्य निधि**: कंपनी में स्थायी कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट उपस्थित है। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अंतर्गत ईपीएफओ में अंशदान करती है, जो संविदागत कर्मचारियों के संबंध में भविष्य निधि योजनाओं को शासित करती है। कंपनी और कर्मचारी भविष्य निधि में लागू दरों के अनुसार अंशदान करते हैं, जिनमें से कर्मचारियों को भविष्य निधि का भुगतान किया जाता है।

लाभ और हानि विवरण में भविष्य निधि के प्रति कंपनी का अंशदान 242.93 मिलियन रूपए (पिछले वर्षः 359.37 मिलियन रूपए) (नोट सं. 20क का संदर्भ लें)।

ईपीएफ अधिनियम के अंतर्गत भविष्य निधि में अंशदान का परिकलन करते समय समाहित किए जाने वाले वेतन संरचना के घटकों के संबंध में दिनांक 28 फरवरी, 2019 का उच्चतम न्यायालय (एससी) का निर्णय उपस्थित है। इसमें निर्णय के अनुप्रयोग की प्रभावी तिथि सहित वर्णनात्मक पहलु विद्यमान हैं। प्रबंधन के विचार से, भविष्य निधि के अंशदान का परिकलन कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अनुसार किया जाना चाहिए।

## (क) निर्धारित लाभ योजनाएः

क. **उपदान**: उपदान अधिनियम के भुगतान प्रावधानों की शर्तों के अनुसार उपदान अधिवर्षता, मृत्यु, या स्थायी निःशक्तता की स्थिति में कंपनी के सभी पात्र कर्मचारियों को देय होगा। कंपनी के पास भारत में निर्धारित लाभ उपदान योजना (अनिधित) विद्यमान है। कंपनी द्वारा उपदान का भुगतान तब किया जाता है जब वह देय होती है और इसका भुगतान उपदान के लिए कंपनी की योजना के अनुसार किया जाता है।

संविदागत कर्मचारियों के मामले में, पिछले वर्ष तक, उपदान और अवकाश नकदीकरण के बीमांकक मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु मूल वेतन और वेतन के विशेष भत्ता घटकों को वेतन के रूप में स्वीकार किया जाता था। वर्तमान वर्ष के दौरान, कंपनी ने लागू कानून के अनुसार उक्त प्रयोजन के लिए केवल वेतन के मूल वेतन घटक को ही स्वीकार किया है।

## (i) उपदान के लिए इंड एएस के अनुसार प्रकटन विवरण

**रूपए मिलियन में**

| विवरण | 31 मार्च 2021 | 31 मार्च 2020 |
|---|---|---|
| लाभ का प्रकार | उपदान | उपदान |
| राष्ट्र | भारत | भारत |
| रिपोर्टिंग मुद्रा | भारतीय रूपया | भारतीय रूपया |
| रिपोर्टिंग मानक | भारतीय लेखांकन मानक 19 (इंड एएस 19) | भारतीय लेखांकन मानक 19 (इंड एएस 19) |
| वित्तीयन स्थिति | अनिधिकी | अनिधिकी |
| आरंभिक अवधि | 01.04.20 | 01.04.19 |
| रिपोर्टिंग तिथि | 31.03.21 | 31.03.20 |
| रिपोर्टिंग अवधि | 12 महीने | 12 महीने |
| **अनुमान (पूर्व अवधि)** | | |
| योजना परिसंपत्तियों पर संभावित प्रतिफल | लागू नहीं | लागू नहीं |
| रियायत की दर | 6.56% | 7.64% |
| वेतन वृद्धि की दर | 5.50% | 5.50% |

| विवरण | 31 मार्च 2021 | 31 मार्च 2020 |
|---|---|---|
| कर्मचारी टर्नओवर की दर | लागू अनुसार 10% व 2% | लागू अनुसार 10% व 2% |
| रोजगार के दौरान मृत्यु दर | भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2006–08) | भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2006–08) |
| रोजगार के पश्चात मृत्यु दर | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | | |
| **अनुमान (वर्तमान अवधि)** | | |
| योजना परिसंपत्तियों पर संभावित प्रतिफल | लागू नहीं | लागू नहीं |
| रियायत की दर | 6.57% | 6.56% |
| वेतन वृद्धि की दर | 5.50% | 5.50% |
| कर्मचारी टर्नओवर की दर | लागू अनुसार 10% व 2% | लागू अनुसार 10% व 2% |
| रोजगार के दौरान मृत्यु दर | भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2006–08) | भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2006–08) |
| रोजगार के पश्चात मृत्यु दर | लागू नहीं | लागू नहीं |
| अवधि के आरंभ में लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य | 1,014.12 | 966.11 |
| ब्याज लागत | 66.53 | 73.81 |
| चालू सेवा लागत | 63.89 | 60.08 |
| पूर्व सेवा लागत | - | - |
| (नियोक्ता द्वारा सीधे प्रदत्त लाभ) | (98.85) | (109.88) |
| दायित्वों पर बीमांकक (लाभ)/हानियां–वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण | (0.45) | 46.66 |
| दायित्वों पर बीमांकक (लाभ)/हानियां– व्यय के कारण | (42.79) | (22.66) |
| अवधि के अंत में लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य | 1002.46 | 1014.12 |
| **तुलन पत्र में लेखांकित राशि** | | |
| (अवधि के अंत में लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य) | (1002.46) | (1014.12) |
| वित्तपोषण स्थिति (अतिरेक/(घाटा)) | (1002.46) | (1014.12) |
| नेट तुलन पत्र में लेखांकित (दायित्व)/परिसंपत्ति | (1002.46) | (1014.12) |
| **चालू वर्ष के लिए निवल ब्याज लागत** | | |
| अवधि के आरंभ में लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य | 1,014.12 | 966.11 |
| आरंभ में नेट दायित्व/(परिसंपत्ति ) | 1.014.12 | 966.11 |
| ब्याज लागत | 66.53 | 73.81 |
| चालू अवधि के लिए निवल ब्याज लागत | 66.53 | 73.81 |
| **चालू वर्ष के लिए लाभ हानि विवरण में लेखांकित व्यय** | | |
| चालू सेवा लागत | 63.89 | 60.08 |

| विवरण | 31 मार्च 2021 | 31 मार्च 2020 |
|---|---|---|
| निवल ब्याज लागत | 66.53 | 73.81 |
| पूर्व सेवा लागत | - | - |
| (कर्मचारियों द्वारा संभावित अंशदान) | - | |
| कटौतियों और निपटानों पर (लाभ)/हानियां | - | |
| विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का निवल प्रभाव | - | |
| स्वीकृत व्यय | 130.42 | 133.89 |
| **चालू वर्ष के लिए अन्य वृहत आय (ओसीआई) में स्वीकृत व्यय** | | |
| बिमांकिक अवधि के लिए दायित्वों पर (लाभ)/हानियां | (43.24) | 23.99 |
| ब्याज आय को छोड़कर नियोजित परिसंपत्तियों पर प्रतिफल | - | - |
| परिसंपत्ति सीमा में परिवर्तन | - | - |
| ओसीआई में स्वीकृत अवधि के लिए निवल (आय)/व्यय | (43.24) | 23.99 |
| **तुलनपत्र समाधान** | | |
| आरंभिक निवल देयता | 1,014.12 | 966.11 |
| लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत व्यय | 1,30.42 | 133.89 |
| ओसीआई में स्वीकृत व्यय | (43.24) | 23.99 |
| अंतरित निवल देयता/(परिसंपत्ति) –इन | - | - |
| अंतरित (देयता)/परिसंपत्ति– आउट | - | - |
| (सीधे नियोक्ता द्वारा प्रदत्त लाभ ) | (98.85) | (109.88) |
| (कमर्चारी अंशदान) | - | - |
| तुलन पत्र में स्वीकृत निवल देयता/(परिसंपत्ति) | 1,002.45 | 1014.12 |
| **अन्य विवरण** | | |
| सक्रीय सदस्यों की संख्या | 13,962 | 14,278 |
| सक्रीय सदस्यों का प्रति माह वेतन | 157.09 | 153.27 |
| अनुमानित लाभ दायित्व के दौरान वेटिड औसत अवधि | 6 | 6 |
| औसत संभावित भावी सेवा | 8 | 8 |
| अनुमानित लाभ दायित्व | 1,002.46 | 1014.12 |
| अगले वर्ष के लिए निर्धारित अंशदान (12 महीने) | 42.95 | 0.00 |
| **अगले वर्ष के लिए निवल ब्याज लागत** | | |
| अवधि के अंत में लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य | 1002.46 | 1014.12 |
| (वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य) | - | - |
| वर्ष के अंत में निवल देयता/(परिसंपत्ति) | 1002.46 | 1014.12 |
| ब्याज लागत | 63.04 | 66.53 |
| (ब्याज आय) | - | - |
| अगले वर्ष के लिए निवल ब्याज लागत | 63.04 | 66.53 |
| **अगले वर्ष के लिए लाभ व हानि विवरण में स्वीकृत व्यय** | | |

| विवरण | 31 मार्च 2021 | 31 मार्च 2020 |
|---|---|---|
| चालू सेवा लागत | 68.45 | 63.89 |
| निवल ब्याज लागत | 63.04 | 66.53 |
| (नियोक्ता द्वारा संभावित अंशदान) | - | - |
| स्वीकृत व्यय | 131.49 | 130.42 |
| **लाभ भुगतान का परिपक्वता विश्लेषण : नियोक्ता द्वारा** | | |
| **रिपोर्टिंग की तिथि से भावी वर्षों के लिए देय** | | |
| 1 आगामी वर्ष | 183.63 | 177.29 |
| 2 आगामी वर्ष | 95.31 | 75.47 |
| 3 आगामी वर्ष | 118.27 | 148.92 |
| 4 आगामी वर्ष | 127.54 | 122.51 |
| 5 आगामी वर्ष | 118.76 | 122.92 |
| वर्ष 6 से 10 का योग | 451.22 | 483.57 |
| **संवेदी विश्लेषणः वृद्धि/(कमी)** | | |
| चालू पूर्वानुमानों पर अनुमानित लाभ दायित्व | 1002.46 | 1014.12 |
| छूट की दर में +1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव | (42.93) | (43.36) |
| छूट की दर में –1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव | 47.45 | 47.71 |
| वेतन वद्धि की दर में +1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव | 46.53 | 46.55 |
| वेतन वद्धि की दर में –1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव | (42.91) | (43.12) |
| कर्मचारी टर्नओवर की दर में +1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव | 1.49 | 1.72 |
| कर्मचारी टर्नओवर की दर में +1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव . | (1.76) | (1.96) |

संवेदी विश्लेषण का निर्धारण सभी अन्य अनुमानों को स्थिर रखते हुए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रस्तुत संबंधित अनुमानों में युक्तिसंभव संभावित परिवर्तनों के आधार पर किया जाता है। उपर प्रस्तुत संवेदी विश्लेषण अनुमानित लाभ दायित्वों में वास्तविक परिवर्तनों को शायद प्रस्तुत न कर पाए, क्योंकि यह संभव नहीं है कि अनुमानों में परिवर्तन अन्यों से अलग होकर प्रस्तुत हों, क्योंकि कुछ अनुमानों का परस्पर सहसंबंध हो सकता है।

इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त संवेदी विश्लेषण को प्रस्तुत करने में, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रत्याशित इकाई ऋण विधि का प्रयोग करते हुए अनुमानित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य का परिकलन किया गया है, जो कि वही समान विधि है, जैसा कि तुलन पत्र में स्वीकृत अनुसार अनुमानित लाभ दायित्वों के परिकलन में प्रयुक्त की जाती है।

पूर्व वर्षों से संवेदी विश्लेषण तैयार करने में प्रयुक्त विधियों और अनुमानों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

**नोटः**

| विवरण | 31 मार्च 2021 | 31 मार्च 2020 |
|---|---|---|
| उपदान कंपनी की योजना के अनुसार देय है, जैसा कि रिपोर्ट में वर्णित है। | | |
| बीमांकित लाभ/हानियों को अन्य वृहत आय (ओसीआई) के अंतर्गत इसकी आवृति की अवधि में स्वीकार किया गया है। ओसीआई की उपर्युक्त सभी रिपोर्टिंक आंकड़े कर निर्धारण में सकल का भाग हैं। | | |
| लाभ भुगतानों का परिपक्वता विश्लेषण, उपर्युक्त सदस्यों के लिए संबंधित वर्ष में भावी वेतन, क्षय तथा मृत्यु के आधार पर गैर–रियायती रोकड़ प्रवाह है, जो अगले 10 वर्षों की निर्धारित अवधि के लिए है। | | |
| औसत संभावित भावी सेवा, पद की संभावित अवधि को दर्शाता है – रोजगार लाभ दायित्व। | | |

**(ख)** **सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभः** कंपनी में सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ योजना विद्यमान है, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्ति कर्मचारियों व उनके पति–पत्नी को चिकित्सा लाभ प्रदान किए जाते हैं।

इंड एस के अनुसार सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ संबंधी प्रकटन विवरण

**रूपए मिलियन में**

| विवरण | 31 मार्च 2021 | 31 मार्च 2020 |
|---|---|---|
| लाभ का प्रकार | चिकित्सा | चिकित्सा |
| राष्ट्र | भारत | भारत |
| रिपोर्टिंग मुद्रा | भारतीय रूपया | भारतीय रूपया |
| रिपोर्टिंग मानक | भारतीय लेखांकन मानक 19 (इंड एएस 19) | भारतीय लेखांकन मानक 19 (इंड एएस 19) |
| वित्तीयन स्थिति | अनिधिकी | अनिधिकी |
| आरंभिक अवधि | 01.04.20 | 01.04.19 |
| रिपोर्टिंग तिथि | 31.03.21 | 31.03.20 |
| रिपोर्टिंग अवधि | 12 महीने | 12 महीने |
| **अनुमान (पूर्व अवधि)** | | |
| योजना परिसंपत्तियों पर संभावित प्रतिफल | लागू नहीं | लागू नहीं |
| रियायत की दर | 6.81% | 7.78% |
| चिकित्सा लागत संवर्धन | 0.00% | 4.00% |
| कर्मचारी वृद्धि की दर | 2.00% | 2.00% |
| रोजगार के दौरान मृत्यु दर | भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2006–08) | भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2006–08) |
| रोजगार के पश्चात मृत्यु दर | भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2006–08) | भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2006–08) |
| **अनुमान (वर्तमान अवधि)** | | |
| योजना परिसंपत्तियों पर संभावित प्रतिफल | लागू नहीं | लागू नहीं |
| रियायत की दर | 6.91% | 6.81% |
| चिकित्सा लागत संवर्धन | 0.00% | 4.00% |
| कर्मचारी वृद्धि की दर | 2.00% | 2.00% |

| विवरण | 31 मार्च 2021 | 31 मार्च 2020 |
|---|---|---|
| रोजगार के दौरान मृत्यु दर | भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2006–08) | भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2006–08) |
| रोजगार के पश्चात मृत्यु दर | भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2006–08) | भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2006–08) |
| अवधि के आरंभ में लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य | 1440.22 | 1373.64 |
| ब्याज लागत | 98.08 | 106.87 |
| चालू सेवा लागत | 13.19 | 12.75 |
| पूर्व सेवा लागत | - | - |
| ली गई अंतरित देयता/अधिग्रहण | - | - |
| (दी गई अंतरित देयता/विनिवेश) | - | - |
| (लाभ)/हानियों में कमी | - | - |
| (निपटान पर समाप्त देयताएं) | - | - |
| (नियोक्ता द्वारा सीधे प्रदात किए गए लाभ) | (35.16) | (37.66) |
| (निधियों के भुगतान किए गए लाभ) | - | - |
| विदेशी विनिमिय दर में परिवर्तनों के प्रभाव | - | - |
| दायित्वों में बीमांकक (लाभ)/हानियां : जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण | 116.44 | - |
| दायित्वों में बीमांकक (लाभ)/हानियां : वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण | (20.52) | 147.83 |
| दायित्वों में बीमांकक (लाभ)/हानियां : अनुभव के कारण | 58.72 | (163.21) |
| अवधि के अंत में लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य | 1553.52 | 1440.22 |
| **योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन को दर्शाती तालिका** | | |
| अवधि के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | - | - |
| ब्याज आय | - | - |
| नियोक्ता द्वारा अंशदान | - | - |
| नियोक्ता द्वारा संभावित अंशदान | - | - |
| ली गई अंतरित परिसंपत्तियां/अधिग्रहण | - | - |
| (दी गई अंतरित परिसंपत्तियां/विनिवेश) | - | - |
| (निधि से प्रदत्त लाभ) | - | - |
| (निपटान पर संवितरित परिसंपत्तिया) | - | - |
| परिसंपत्ति परिसीमन का प्रभाव | - | - |
| विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तनों का प्रभाव | - | - |
| ब्याज आय को छोड़कर नियोजित परिसंपत्तियों पर प्रतिफल | - | - |
| अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | - | - |
| **तुलन पत्र में स्वीकृत राशि** | | |

| विवरण | 31 मार्च 2021 | 31 मार्च 2020 |
|---|---|---|
| (अवधि के अंत में लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य) | (1553.51) | (1440.22) |
| अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | - | - |
| वित्तपोषण स्थिति (अतिरेक/घाटा) | (1553.51) | (1440.22) |
| तुलनपत्र में स्वीकृत निवल (देयता)/परिसंपत्ति | (1553.51) | (1440.22) |
| **चालू वर्ष के लिए निवल ब्याज लागत** | | |
| अवधि के आरंभ में लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य | 1440.22 | 1373.64 |
| (अवधि के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य) | - | - |
| आरंभ में निवल दायित्व/(परिसंपत्ति ) | 1440.22 | 1373.64 |
| ब्याज लागत | 98.08 | 106.87 |
| (ब्याज आय) | - | - |
| चालू अवधि के लिए निवल ब्याज लागत | 98.08 | 106.87 |
| **चालू वर्ष के लिए लाभ हानि विवरण में लेखांकित व्यय** | | |
| चालू सेवा लागत | 13.19 | 12..75 |
| निवल ब्याज लागत | 98.08 | 106.87 |
| पूर्व सेवा लागत | - | |
| (कर्मचारियों द्वारा संभावित अंशदान) | - | - |
| कटौतियों और निपटानों पर (लाभ)/हानियां | - | - |
| विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का निवल प्रभाव | - | - |
| स्वीकृत व्यय | 111.27 | 119.62 |
| **चालू वर्ष के लिए अन्य वृहत आय (ओसीआई) में स्वीकृत व्यय** | | |
| बिमांकिक अवधि के लिए दायित्वों पर (लाभ)/हानियां | 37.19 | (15.83) |
| ब्याज आय को छोड़कर नियोजित परिसंपत्तियों पर प्रतिफल | - | - |
| परिसंपत्ति सीमा में परिवर्तन | - | - |
| ओसीआई में स्वीकृत अवधि के लिए निवल (आय)/व्यय | 37.19 | (15.83) |
| **तुलनपत्र समाधान** | | |
| आरंभिक निवल देयता | 1440.22 | 1373.68 |
| लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत व्यय | 111.27 | 119.62 |
| ओसीआई में स्वीकृत व्यय | 37.19 | (15.38) |
| अंतरित निवल देयता/(परिसंपत्ति) –इन | - | - |
| अंतरित (देयता)/परिसंपत्ति– आउट | - | - |
| (सीधे नियोक्ता द्वारा प्रदत्त लाभ ) | (35.16) | (37.65) |
| (कमर्चारी अंशदान) | - | - |
| तुलन पत्र में स्वीकृत निवल देयता/(परिसंपत्ति) | 1553.51 | 1440.21 |

| अन्य विवरण |
|---|

| | | |
|---|---|---|
| सक्रीय सदस्यों की संख्या | 1010 | 1190 |
| सेवानिवृत सदस्यों की संख्या | 1028 | 1119 |
| अनुमानित लाभ दायित्व के दौरान भारित औसत अवधि | 14 | 30 |
| औसत भावी अवधि | 30 | 30 |
| अनुमानित लाभ दायित्व | 1553.51 | 1440.22 |
| अगले वर्ष के लिए निर्धारित अंशदान (12 महीने) | | |
| **अगले वर्ष के लिए निवल ब्याज लागत** | | |
| अवधि के अंत में लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य | 1553.51 | 1440.21 |
| (वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य) | - | - |
| वर्ष के अंत में निवल देयता/(परिसंपत्ति) | 1553.51 | 1449.21 |
| ब्याज लागत | 107.35 | 98.07 |
| (ब्याज आय) | - | - |
| अगले वर्ष के लिए निवल ब्याज लागत | 107.35 | 98.07 |
| **अगले वर्ष के लिए लाभ व हानि विवरण में स्वीकृत व्यय** | | |
| चालू सेवा लागत | 12.18 | 13.18 |
| निवल ब्याज लागत | 107.35 | 98.08 |
| (नियोक्ता द्वारा संभावित अंशदान) | - | - |
| स्वीकृत व्यय | 119.52 | +111.07 |
| **लाभ भुगतान का परिपक्वता विश्लेषण : नियोक्ता द्वारा** | | |
| **रिपोर्टिंग की तिथि से भावी वर्षों के लिए देय** | | |
| 1 आगामी वर्ष | 51.33 | 53.67 |
| 2 आगामी वर्ष | 68.03 | 70.35 |
| 3 आगामी वर्ष | 87.03 | 89.32 |
| 4 आगामी वर्ष | 108.11 | 110.34 |
| 5 आगामी वर्ष | 128.52 | 130.69 |
| वर्ष 6 से 10 का योग | 722.18 | 729.89 |
| **संवेदी विश्लेषणः** | **वृद्धि/(कमी)** | |
| चालू पूर्वानुमानों पर अनुमानित लाभ दायित्व | 1553.51 | 1440.21 |
| छूट की दर में +1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव | (182.48) | (151.97) |
| छूट की दर में –1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव | 227.76 | 186.25 |
| चिकित्सा लाभ मुद्रास्फीति की दर में +1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव | 232.41 | 189.82 |

| | | |
|---|---|---|
| चिकित्सा लाभ मुद्रास्फीति की दर में –1% परिवर्तन का प्रभाव | (188.67) | (157.04) |
| संवेदी विश्लेषण का निर्धारण सभी अन्य अनुमानों को स्थिर रखते हुए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रस्तुत संबंधित अनुमानों में युक्तिसंभव संभावित परिवर्तनों के आधार पर किया जाता है। उपर प्रस्तुत संवेदी विश्लेषण अनुमानित लाभ दायित्वों में वास्तविक परिवर्तनों को संभवत प्रस्तुत न कर पाए, क्योंकि यह संभव नहीं है कि अनुमानों में परिवर्तन अन्यों से अलग होकर प्रस्तुत हों क्योंकि कुछ अनुमानों का परस्पर सहसंबंध हो सकता है।<br>इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त संवेदी विश्लेषण को प्रस्तुत करने में, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रत्याशित इकाई ऋण विधि का प्रयोग करते हुए अनुमानित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य का परिकलन किया गया है, जो कि वही समान विधि है, जैसा कि तुलन पत्र में स्वीकृत अनुसार अनुमानित लाभ दायित्वों के परिकलन में प्रयुक्त की जाती है।<br>पूर्व वर्षों से संवेदी विश्लेषण तैयार करने में प्रयुक्त विधियों और अनुमानों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। | | |
| **नोटः** | | |
| चिकित्सा सुविधा कंपनी की योजना के अनुसार देय है, जैसा कि रिपोर्ट में वर्णित है। | | |
| बीमांकित लाभ/हानियों को अन्य वृहत आय (ओसीआई) के अंतर्गत इसकी आवृति की अवधि में स्वीकार किया गया है। ओसीआई की उपर्युक्त सभी रिपोर्टिंक आंकड़े कर निर्धारण में सकल का भाग हैं जो अगले 10 वर्षों की निर्धारित अवधि के लिए है। | | |
| लाभ भुगतानों का परिपक्वता विश्लेषण, उपर्युक्त सदस्यों के लिए संबंधित वर्ष में भावी वेतन, क्षय तथा मृत्यु के आधार पर गैर–रियायती रोकड़ प्रवाह है। | | |
| औसत संभावित भावी सेवा, पद की संभावित अवधि को दर्शाता है – रोजगार लाभ दायितव | | |

**(ग) अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ**

i. **क्षतिपूरक अनुपस्थिति**

कंपनी में रोजगार के दौरान या मृत्यु, सेवानिृत्ति या त्यागपत्र के कारण कंपनी से अलग होने पर कर्मचारी द्वारा संचयन और नकदीकरण के प्रावधान सहित क्षतिपूरक अनुपस्थिति पर नीति विद्यमान है। क्षतिपूरक अनुपस्थिति की संभावित लागत का निर्धारण प्रत्याशित इकाई ऋण विधि का प्रयोग करते हुए तुलन पत्र में स्वतंत्र बीमांकक द्वारा निष्पादित बीमांकक मूल्यांकन द्वारा किया जाता है।

ii. **बोनस**

बोनस का भुगतान अधिनियम 1965 के प्रावधानों के अनुसार सभी कर्मचारियों को बोनस देय होता है और चालू वित्तीय वर्ष में इसके लिए प्रावधान किया गया है।

**39. प्रति शेयर आमदनी (ईपीएस)**

**रूपए मिलियन में**

| विवरण | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु (पुननिर्धारित) |
|---|---|---|
| कंपनी के इक्विटी धारकों को देय कर पूर्व लाभ /हानि | (2036.56) | 498.38 |
| इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या | 138.42 | 138.42 |
| कर पश्चात ईपीएस (प्रति शेयर) | | |
| – मूल ईपीएस | (14.71) | 3.65 |
| – विलयित ईपीएस | (14.71) | 3.65 |

**40. आयकर**

**आयकर व्यय**

**रूपए मिलियन में**

| विवरण | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| **चालू कर** | | |
| चालू कर | - | 393.60 |
| पूर्ववर्ती वर्षों के कर का अल्प प्रावधान' | - | (27.16) |
| **कुल** | - | 366.44 |
| **आस्थिगित कर** | | |
| आस्थिगित कर | (194.29) | 310.01 |
| **कुल** | (194.29) | 674.27 |

'यह चालू वर्ष में पहचाने गए पूर्ववर्ती वर्षों के आयकर (निवल) के अल्प प्रावधान को दर्शाता है।

दर्शाए गए वर्ष के लिए आयकर व्यय को स्वीकृत करने के लिए सांविधिक आयकर दर पर कर पूर्व लाभ के लेखांकन के लिए लागू आयकर व्यय का समाधान निम्नानुसार हैः

**रूपए मिलियन में**

| विवरण | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु (पुनर्निर्धारित) |
|---|---|---|
| करपूर्व लाभ | **(2230.85)** | **1,338.58** |
| भारत में निर्धारित कर दर | 25.16% | 25.16% |
| सांविधिक कर दर पर संभावित कर व्यय (क) | **-** | **336.89** |
| निम्न का कर प्रभावः | | |
| कर लाभों के निर्धारण में कटौती न किए गए व्यय | - | 16.08 |
| पूर्ववर्ती वर्षों के लिए कर का अल्प प्रावधान* | - | (27.16) |
| अन्य | - | 40.74 |
| अन्य : समाधान हेतु लंबित | - | (0.11) |
| लाभ और हानि के विवरण में स्वीकृत आयकर | **-** | **366.44** |
| आस्थगित कर का प्रभाव | (194.29) | 310.00 |
| लाभ और हानि के विवरण में स्वीकृत आयकर (आस्थगित कर सहित) | (194.29) | 767.44 |

'यह चालू वर्ष में पहचाने गए पूर्ववर्ती वर्षों के आयकर (निवल) के अल्प प्रावधान को दर्शाता है।

**क) आस्थगित कर परिसंपत्तियां/(देयताएं)**

तुलनपत्र में प्रस्तुत आस्थिगित कर परिसंपत्तियों/(देयताओं) का विश्लेषण निम्नानुसार हैः.

रूपए मिलियन में

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| .आस्थिगित कर देयताएं | (151.69) | (125.54) |
| आस्थिगित कर परिसंपत्तियां | 1115.80 | 895.36 |
| **कुल** | **964.11** | **769.82** |

**वर्ष के दौरान आस्थगित कर परिसंपत्तियों/(देयताओं) तथा संचलनों के महत्वपूर्ण घटक निम्नानुसार हैं:**

रूपए मिलियन में

| विवरण | 31 मार्च 2020 को | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | | | 31 मार्च 2021 को |
|---|---|---|---|---|---|
| | | लाभ एवं हानि के माध्यम से स्वीकृत | ओसीआई के माध्यम से स्वीकृत | प्रतिधारित आमदनियों के माध्यम से स्वीकृत | |
| **निम्न के संबंध में आस्थिगत कर शेष** | | | | | |
| पूर्ववर्ती वर्षों के लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियां | 939.37 | - | - | - | 939.37 |
| परिसंपत्तियां, संयंत्र एवं उपकरण | (125.54) | (26.15) | - | - | (151.69) |
| कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान | (189.63) | (3.66) | - | - | (193.29) |
| संभावित ऋण घाटा | 131.36 | 109.94 | - | - | 241.30 |
| आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी तथा 40(क)(iक) के अंतर्गत अस्वीकृति | 12.78 | 114.78 | - | - | 127.56 |
| लिज़ बैलेंस | 1.48 | (0.62) | - | - | 0.86 |
| **कुल** | **769.82** | **194.29** | **-** | **-** | **964.11** |

रूपए मिलियन में

| विवरण | 31 मार्च 2019 को | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु | | | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|---|---|---|
| | | लाभ एवं हानि के माध्यम से स्वीकृत | ओसीआई के माध्यम से स्वीकृत | प्रतिधारित आमदनियों के माध्यम से स्वीकृत | |
| **निम्न के संबंध में आस्थिगत कर शेष** | | | | | |
| पूर्ववर्ती वर्षों के लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियां | 939.37 | - | - | - | 939.37 |
| परिसंपत्तियां, संयंत्र एवं उपकरण | (124.75) | (0.79) | - | - | (125.54) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान | 90.67 | (282.47) | 2.17 | - | (189.63) |
| संभावित ऋण घाटा | 152.45 | (21.09) | - | - | 131.36 |
| आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी तथा 40(क)(iक) के अंतर्गत अस्वीकृति | 19.92 | (7.14) | - | - | 12.78 |
| पट्टा शेष | - | 1.48 | - | - | 1.48 |
| **कुल** | **1,077.66** | **(310.01)** | **2.17** | **-** | **769.82** |

कंपनी इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आस्थगित कर परिसंपत्तियों का निर्माण कर रही है कि कंपनी को भविष्य में बेहतर निष्पादन की आशा है और तदनुसार, इस बात की निश्चितता है कि मान्यता प्राप्त आस्थगित कर संपत्ति भविष्य के कर योग्य लाभों के प्रति वसूल की जाएगी।

**41. जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड से दावेः**

कंपनी ने मैसर्स जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड से मेसर्स जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड के इंटरिम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल/ रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल को 250.18 मिलियन रुपये (ब्याज सहित) का अपना दावा प्रस्तुत किए हैं, जिनमें से 166.1 मिलियन रुपए को स्वीकार कर लिया गया हैं। तथापि, मैसर्स जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड से 100 प्रतिशत प्राप्तियां ईसीएल के विचाराधीन हैं।

**42. सूक्ष्म और लघु उद्यम विकास अधिनियम, 2006ः**

एसएपी प्रणाली में एक फील्ड है, जो वेंडर मास्टर में अल्पसंख्यक सूचक है, जिसे एमएसएमई के रूप में वेंडरों की पहचान करने के लिए अद्यतन किया गया हैं। एआई वेंडरों का और अधिक ब्यौरा प्राप्त करने के लिए इस प्रणाली को संवर्धित किया जा रहा है, जैसे प्रमाणपत्र संख्या, जारीकर्ता एजेंसी, वैधीकरण, आदि। तथापि, सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम के अंतर्गत शामिल होने वाले ऐसे उपक्रमों को भुगतान आपूर्तिकर्ताओं के साथ सहमत निर्धारित समयसीमा/तिथि के भीतर किया गया है और इसलिए, विलंबित भुगतानों पर कोई ब्याज देय नहीं है। अन्य मामलों में, आगे की कार्रवाई के दौरान आवश्यक अनुपालन /प्रकटन सुनिश्चित किया जाएगा।

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| वर्ष के अंत में बकाया देय मूल राशि | 4.50 | 0.25 |
| 45 दिनों से अधिक की अवधि हेतु ओवरड्यू मूल राशि | 4.50 | 0.25 |
| वर्ष के अंत में उपर्युक्त–1 पर देय और अप्रदत्त ब्याज | 0.11 | 0.02 |
| आपूर्तिकर्ता को प्रदत्त ब्याज | 0 | 0.00 |
| वर्ष के दौरान नियुक्ति तिथि के आगे आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान | 4.50 | 0.24 |
| विलंब वर्ष हेतु दे और भुगतानयोग्य ब्याज | 0.00 | 0.00 |
| वर्ष के अंत में संचित और शेष अप्रदत्त ब्याज | 0.11 | 0.02 |
| आगामी वर्ष में देय और भुगतान योग्य शेष ब्याज की राशि | 0.11 | 0.02 |

## 43. संबंधित पक्ष लेनदेन

वर्ष 2020–21 के दौरान भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस–24) में अपेक्षित संबंधित पक्षों के नाम और पदनाम का प्रकटन।

### क. संबंधित पक्षों की सूचीः

iii. इंड एएस–24 के संबंध में निम्नलिखित पक्ष संबंधित पक्ष हैं जो सरकार से संबद्ध कंपनियां हैं अर्थात महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रित और प्रभावी कंपनियां (भारत सरकार):

| क्र.सं | कंपनी का नाम | संबंध |
|---|---|---|
| 1 | एयर इंडिया लिमिटेड | धारक कंपनी |

iv. सहयोगी अनुषंगी कंपनियों की सूचीः

| क्र.सं | कंपनी का नाम | संबंध |
|---|---|---|
| 1 | भारतीय होटल निगम लिमिटेड (एचसीआई) | सहयोगी अनुषंगी कंपनी |
| 2 | एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (एआईएसएल) | सहयोगी अनुषंगी कंपनी |
| 3 | एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड (एआईईएल) | सहयोगी अनुषंगी कंपनी |
| 4 | एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड (एएएसएल) | सहयोगी अनुषंगी कंपनी |
| 5 | एयर इंडिया एसएटीएस एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (संबंधित सरकारी इकाइयों से इतर) | सहयोगी संयुक्त उद्यम |

**v. अन्यः**

| क्र.सं | कंपनी का नाम | संबंध |
|---|---|---|
| 1 | भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण | सरकार द्वारा समान नियंत्रणाधीन निकाय |
| 2 | रक्षा मंत्रालय | |
| 3 | हिन्दुस्तान एयरोनॉटिकल्य लिमिटेड (एचएएल) | |

### ख. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

| क्र.सं. | प्रमुख प्रबंधन कर्मी का नाम | पदनाम |
|---|---|---|
| 1 | श्री राजीव बंसल | अध्यक्ष (14.02.2020 को सीएमडी के रूप में नियुक्त) |
| 2 | केप्टन ए.के.शर्मा | मुख्य कार्यपालक अधिकारी (31.07.2021 से सीईओ और केएमपी से कार्यमुक्त) |
| 3 | श्री रामबाबु सी.एच | मुख्य कार्यपालक अधिकारी (31.07.2021 से सीईओ और केएमपी नियुक्त) |
| 4 | श्री जे वी रवि कुमार | मुख्य वित्त अधिकारी (02.03.2021 से सीएफओ और केएमपी के रूप में कार्यमुक्त) |
| 5 | श्री राजेश नारायण | मुख्य वित्त अधिकारी (02.03.2021 से सीएफओ और केएमपी के रूप में नियुक्त) |
| 6 | श्रीमती शशी भदूला | कंपनी सचिव (11.06.2020 से सीएस और केएमपी केक रूप में नियुक्त) |

### घ. संबधित पक्ष संव्यवहार

i- वर्ष की समाप्ति पर कंपनी के निदेशकों या अधिकारियों के साथ कोई ऋण या जमा लेनदेन अतिदेय नहीं थे।

ii. एएस–24 के संदर्भ में सरकार से संबंधित अर्थात महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रित और प्रभावी कंपनियां (भारत सरकार)

और सरकार संबंधित पक्षों के अलावा कंपनियों के साथ लेनदेन से संबंधित अपेक्षाओं का प्रकटन निम्नानुसार है:

**रूपए मिलियन में**

| क्र.स | निकाय का नाम और संव्यवहार की प्रकृति | निम्न तिथि को व इस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु | |
|---|---|---|---|
| | | 31 मार्च 2021 | 31 मार्च 2020 |
| 1 | **एअर इंडिया लिमिटेड (धारक कंपनी)** | | |
| | **प्रचालनों से राजस्व :** | | |
| | ग्राउंड हैंडलिंग राजस्व | 1231.96 | 3463.81 |
| | श्रमशक्ति सेवा आपूर्ति* | 84.91 | 102.91 |
| | बकाया राशियों की वसूली पर ब्याज | | |
| | रिकवरेबल | 113.75 | 105.04 |
| | **व्यय** | | |
| | परिसरों पर किराया | 88.95 | 31.99 |
| | आईटी प्रभार | 10.93 | 11.80 |
| | बीमा प्रभार | 57.47 | 35.69 |
| | बिजली प्रभारों की वसूली | 20.49 | 37.79 |
| | स्टाफ यात्रा व्यय | 4.59 | 10.57 |
| | स्टाफ कल्याण व्यय | 24.16 | 33.87 |
| | चिकित्सा व्यय | 00.00 | 40.39 |
| | **धारक कंपनी के साथ राजस्व भागीदारी** | **213.58** | **342.91** |
| | **व्यापार प्राप्य का अंतिम शेष (जमा/(नामे))** | **808.46** | **1833.03** |
| 2 | **एअर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड** | | |
| | **राजस्व** | | |
| | ग्राउंड हैंडलिंग राजस्व | 157.51 | 364.31 |
| | श्रमशक्ति सेवा | 0.06 | 0.13 |
| | एपीईडीए/कार्टिंग राजस्व | 0.36 | 0.55 |
| | वसूली योग्य बकाया राशि पर ब्याज | 10.11 | 18.73 |
| | **व्यापार प्राप्यों पर अंतिम शेष (नामे)** | **77.85** | **156.25** |
| 3 | **एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड** | | |
| | राजस्व | | |
| | श्रमशक्ति सेवा/केबिन क्लिनिंग | 99.26 | 77.54 |
| | बकाया राशियों की वसूली पर ब्याज | 89.87 | 90.78 |
| | **व्यय** | | |
| | हैडसेट सेवाएं | 0.69 | 13.91 |
| | व्यापार प्राप्यों पर अंतिम शेष (नामे) | **1072.26** | **1014.70** |

| क्र.स | निकाय का नाम और संव्यवहार की प्रकृति | निम्न तिथि को व इस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु | |
|---|---|---|---|
| | | 31 मार्च 2021 | 31 मार्च 2020 |
| 4 | **एयरलाइन एलाइड सर्विसस लिमिटेड (एलायंस एयर)** | | |
| | **प्रचालनों से राजस्व :** | | |
| | ग्राउंड हैंडलिंग राजस्व | 124.00 | 243.60 |
| | श्रमशक्ति सेवा आपूर्ति | 0.00 | 0.15 |
| | बकाया राशियों की वसूली पर ब्याज | 75.32 | 54.86 |
| | **व्यय** | | |
| | ड्यूटी पर स्टाफ संबंधी व्यय | 0.86 | 1.08 |
| | **व्यापार प्राप्यों पर अंतिम शेष (नामे)** | 718.52 | 851.10 |
| 5 | भारतीय होटल निगम लिमिटेड (एचसीआईएल–सेंटूर) | | |
| | स्टाफ होटल व्यय | 0.09 | 1.03 |
| | **व्यापार प्राप्यों पर अंतिम शेष (जमा)** | **1.13** | **1.03** |
| 6 | एअर इंडिया सिंगापुर एयरलाइंस ट्रांस्पोर्ट सर्विसेस (एआईएसएटीएस) | | |
| | **व्यापार प्राप्यों पर अंतिम शेष (जमा** | **2.58** | **2.58** |

**प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को क्षतिपूर्ति**

**रूपए मिलियन में**

| संव्यवहारों की प्रकृति | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| अल्पकालीन कर्मचारी लाभ | 4.51 | 0.81 |
| रोजगार पश्चात लाभ | शून्य | शून्य |
| अन्य दीर्घकालीन लाभ | शून्य | शून्य |
| अंतिम लाभ | शून्य | शून्य |
| प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को कुल क्षतिपूर्ति | **4.54** | **0.81** |

सेवा पश्चात भावी देयताओं के रूप में अन्य दीर्घकालीन तथा अंतिम लाभों के लिए प्रावधान समग्र रूप से कंपनी के लिए बीमांकक आधार पर किया जाता है और व्यक्तियों से संबंधित राशि निर्धारणीय नहीं है और इसलिए, इन्हें उपर शामिल नहीं किया गया है।

**सरकार संबंधी निकायों के साथ प्रमुख संव्यवहार**

**रूपए मिलियन में**

| निकाय का नाम | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| व्ययः भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण वसूली | 68.39 | 128.10 |
| राजस्व : ग्राउंड हैंडलिंग के लिए भारतीय वायु सेना/सीमा सुरक्षा बल/भारतीय नौ सेना | 27.21 | 46.18 |

**नोटः** सरकार/सरकार संबंधी निकायों के साथ उपर्युक्त संव्यवहारों में वे संव्यवहार शामिल हैं जो व्यक्तिगत रूप से तथा समग्र रूप में महत्वपूर्ण हैं। कंपनी ने अन्य विभिन्न सरकार संबंधी निकायों के साथ अन्य संव्यवहार भी किए हैं, तथापि, ये संव्यवहार व्यक्तिगत रूप से और समग्र रूप में महत्वपूर्ण नहीं हैं और इसलिए इनका प्रकटन नहीं किया गया है।

**44. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)**

**रूपए मिलियन में**

| विवरण | | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|---|
| (क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली अपेक्षित सकल राशि | | 23.66 | 20.74 |
| (ख) निम्न पर खर्च की गई राशिः | | | |
| (i ) परिसंपत्तियों का निर्माण/अधिग्रहण | | शून्य | शून्य |
| (ii) उपर्युक्त (i) इतर प्रयोजनों पर | (सीएसआर परियोजनाओं हेतु) | 53-89* | 10-37 |

*पिछले वर्षों से संबंधित वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि और वित्त वर्ष 2020–21 के लिए खर्च करने के लिए आवश्यक 23.66 मिलियन रुपये की राशि 30 सितंबर 2021 से पहले खर्च की जाएगी

**45.** वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित और संविर्धित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

**रूपए मिलियन में**

| विवरण | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| विदेशी मुद्रा आमदनियां | 867.06 | 1,275.50 |
| संवर्धित विदेशी विनियम (आयात भुगतानों हेतु) | (786.29) | (1,179.02) |
| निवल विदेशी विनिमय आमदनियां | **80.77** | **96.48** |

**46. सेगमेंट रिपोर्टिंग**

कंपनी के अध्यक्ष को इंड एएस 108, प्रचालन सेगमेंटों द्वारा मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक (सीओडीएम) के रूप में निर्धारित किया गया है। सीओडीएम कंपनी के निष्पादन का मूल्यांकन करता है और विभिन्न निष्पादन संकेतकों के विश्लेषण के आधार पर संसाधनों का आवंटन करता है, तथापि, कंपनी प्राथमिक रूप से केवल एक सेगमेंट से संबंधित है यथा ''ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं'' और इसके सभी प्रचालन भारत के अंतर होते हैं। इसलिए, भारतीय लेखांकन मान 108 ''प्रचालन सेगमेंट'' के अनुसार कंपनी में कोई रिपोर्टिंग सेगमेंट नहीं है।

**क. राजस्व के 10 प्रतिशत से अधिक वाले ग्राहकों का प्रकटन**

**रूपए मिलियन में**

| विवरण | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| एअर इंडिया लिमिटेड | 2279.68 | 4700.83 |

**47. लेखापरीक्षकों को परिलब्धियां**

लेखापरीक्षकों का लेखापरीक्षा शुल्क और व्यय निम्नानुसार है:

**रूपए मिलियन में**

| विवरण | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| लेखापरीक्षा शुल्क : वर्ष हेतु | 1.00 | 1.00 |
| आउट ऑफ पॉकेट व्यय | 0.10 | 0.10 |
| **कुल** | 1.10 | 1.10 |

**48. उचित मूल्य मापन और वित्तीय लिखत**

क. **वित्तीय लिखत– श्रेणी और उचित मूल्य अनुक्रम के अनुसार** निम्नलिखित तालिका आगे ले जाई गई राशि और वित्तीय परिसंपत्ति और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य के साथ उचित मूल्य क्रम में उनका स्तर दर्शाता है।

(i) **31 मार्च 2021 को**

**रूपए मिलियन में**

| विवरण | वहन मूल्य | | | | उचित मूल्य मापन | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | एफवीटीपीएल | एफवीटी. ओसीआई | मुद्रीकरण लागत | कुल | स्तर 1 | स्तर 2 | स्तर 3 |
| **वित्तीय संपत्ति** | | | | | | | |
| **चालू** | | | | | | | |
| व्यापार प्राप्य* | - | - | 3,680.65 | 3,680.65 | - | - | - |
| नकद और नकद समतुल्य तथा अन्य बैंक शेष * | - | - | 45.17 | 45.17 | - | - | - |
| अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां | - | - | 57.54 | 57.54 | - | - | - |
| कुल | | | **3,783.36** | **3,783.36** | - | - | - |
| **वित्तीय देयताएं** | | | | | | | |
| **गैर चालू** | | | | | | | |
| अन्य वित्तीय देयताएं | - | - | 0.11 | 0.11 | - | - | - |
| वर्तमान | | | | | | | |
| व्यापार देयताएं* | - | - | 1,066.29 | 1,066.29 | - | - | - |
| अन्य वित्तीय देयताएं | - | - | 1,632.20 | 1,632.20 | | | |
| कुल | **-** | **-** | **2,698.60** | **2,698.60** | **-** | **-** | **-** |

* कारोबार प्राप्य, कारोबार देय, नकद और नकद समतुल्य और अन्य वर्तमान वित्तीय परिसंपत्ति , उचित मूल्य का अनुमान अपने अल्पाविधक प्रकृति के कारण देय हैं।

(ii) **31 मार्च 2020 को**

| विवरण | | वहन मूल्य | उचित मूल्य मापन | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | एफवीटीपीएल | एफवीटीओसीआई | मुद्रीकरण लागत | कुल | स्तर 1 | स्तर 2 | स्तर 3 |
| **वित्तीय संपत्ति** | | | | | | | |
| **चालू** | | | | | | | |
| व्यापार प्राप्य (पुनःनिर्धारित)* | | | 5,543.04 | 5,543.04 | | | |
| नकद और नकद समतुल्य तथा अन्य बैंक शेष * | | | 162.52 | 162.52 | | | |
| अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां | - | - | 76.85 | 76.85 | - | - | - |
| कुल | - | - | **5,782.40** | **5,782.40** | - | - | - |
| | - | - | | | - | - | - |
| **विवरण** | | **वहन मूल्य** | **उचित मूल्य मापन** | | | | |
| | **एफवीटीपीएल** | **एफवीटीओसीआई** | **मुद्रीकरण लागत** | **कुल** | **स्तर 1** | **स्तर 2** | **स्तर 3** |
| **गैर चालू** | | | | | | | |
| अन्य वित्तीय देयताएं | | | 0.11 | 0.11 | | | |
| वर्तमान | | | | | | | |
| व्यापार देयताएं* | - | - | 846.20 | 846.20 | - | - | - |
| अन्य वित्तीय देयताएं (पुनःनिर्धारितद्ध | - | - | 2,140.21 | 2,140.21 | - | - | - |
| **कुल** | - | - | **2,986.52** | **2,986.52** | - | - | - |

* कारोबार प्राप्य, कारोबार देय, नकद और नकद समतुल्य और अन्य वर्तमान वित्तीय परिसंपत्ति , उचित मूल्य का अनुमान अपने अल्पाविधक प्रकृति के कारण देय हैं।

**ख. उचित मूल्य अनुक्रम**

उचित मूल्य अनुक्रम इनपुट मूल्यांकन तकनीकियों पर आधारित है जो उचित मूल्य का मापन करने के लिए प्रयुक्त की गई है जो आमेलित किए जाने योग्य हैं या नही और इसमे निम्नलिखित 3 लेवल शामिल हैं :

स्तर 1: इनपुट प्रमुख परिसंपत्तियों और देयराशियों के लिए सक्रिय बाजार में कोट किया हुआ मूल्य (असमायोजित) हैं।

स्तर 2: इनपुट लेवल 1 के भीतर कोट न किए हुए मूल्य के अलावा हैं जो प्रत्यक्ष (अर्थात मूल्य) या अप्रत्यक्ष (मूल्य से उत्पन्न) रूप से परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए आमेलित किए गए हैं।

स्तर 3: इनपुट आमेलित किए जाने योग्य बाजार डाटा पर आधारित हैं। उचित मूल्य का निर्धारण इस अनुमान पर आधारित माडल का प्रयोग करके पूर्ण या इसके भाग के रूप में किया गया है जो न तो समान लिखत में आमेलित किए जाने

योग्य वर्तमान बाजार लिखत के मूल्य से समर्थित हैं और न ही ये उपलब्ध बाजार डाटा पर आधारित हैं।

## 49. वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य और नीतियां

कंपनी को वित्तीय विवरणों से उत्पन्न निम्नलिखित जोखिमों का सामना होता हैरू

i- ऋण जोखिम

ii- नकदी जोखिम

iii- बाजार जोखिम – क. विदेशी मुद्रा और ख. ब्याज दर

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में ऋण और उधार, व्यापार और अन्य देयराशियां शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का प्रमुख उद्देश्य प्राप्य राशियों और नकद तथा नकदी समतुल्य को वित्तपोषित करना है जो प्रत्यक्ष रूप से इसके प्रचालनो से उत्पन्न होता है।

कंपनी उधार जोखिम, नकदी जोखिम और बाजार जोखिम का सामना करती है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन तंत्र इन जोखिमो का प्रबंधन की निगरानी करता है। निदेशक मंडल इन सभी जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए इनकी समीक्षा करता है तथा इनके लिए नीतियों का अनुमोदन करता है। इनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

### (i) ऋण जोखिम प्रबंधन

ऋण जोखिम कंपनी के लिए वित्तीय हानि का जोखिम है, यदि कोई ग्राहक या वित्तीय लिखत पर दर्ज कोई काउंटर पार्टी अपने संविदागत दायित्वों को पूरा करने में विफल होता है। ग्राहक ऋण जोखिम का प्रबंधन कंपनी द्वारा केन्द्रीय रूप से किया जाता है और यह ग्राहक ऋण जोखिम प्रबंधन से संबंधित स्थापना नीति, प्रक्रियाओं और नियंत्रणों के अध्याधीन है। आकलन के अनुसार परिभाषित व्यक्तिगत ऋण सीमाओं के आधार पर ग्राहकों की ऋण गुणवत्ता का आकलन किया जाता है।

रिपोर्टिंग तिथि को ऋण का अधिक प्रभाव प्रमुख रूप से व्यापार प्राप्य राशियों से है। व्यापार प्राप्य राशियां मुख्यत गैर जमानती होती हैं, जो ग्राहकों से अर्जित राजस्व से प्राप्त होती हैं। कंपनी जिस क्षेत्र में प्रचालन करती है उसकी निगरानी करती है। कंपनी ऋण अनुमोदन, ऋण सीमा निर्धारित करके तथा ग्राहक जिनको कंपनी कारोबार के सामान्य क्रम में ऋण प्रदान करती है, की ऋण योग्यता की सतत निगरानी करके इसका प्रबंधन करती है।

व्यापार प्राप्यों में समान विमानन उद्योग से ग्राहकों की संख्या शामिल है। बकाया राशियों का महत्वपूर्ण भाग इसक समूह कंपनियों से है (यथा 60 प्रतिशत) और जिसके लिए प्रबंधन किसी ऋण जोखिम की संभावना नहीं मानती है। तदनुसार, समूह कंपनियों से प्राप्यों पर कोई संभावित ऋण घाटा नहीं है। इसके अतिरिक्त, सरकारी कंपनियों से प्राप्य राशियां पूर्ण रूप से वसूलीयोग्य मानी गई हैं और इसलिए ऐसी प्राप्य राशियों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

समूह कंपनी और सरकारी प्राप्य राशियों के अतिरिक्त, अन्य पक्षों के संबंध में, ऋण जोखिम का कोई व्यापक एकत्रण नहीं है। दर्शाए गए किसी भी वर्ष में किसी एक ग्राहक के प्रति राजस्व के 10 प्रतिशत या अधिक का भाग नहीं है। बकाया व्यापार प्राप्यों की मॉनीटरिंग नियमित आधार पर की जाती है और समयसीमा से अधिक के लिए देय राशियों के एकत्रण के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

सरलीकृत परिदृश्य के रूप में, कंपनी प्रावधान मेट्रिक्स का प्रयोग करके व्यापार प्राप्यों पर संभावित ऋण घाटों के प्रावधान करते हैं ताकि चूक भुगतानों को कम किया जा सके और प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को उपयुक्त प्रावधान किए जा सकें जहां कहीं बकाया राशियां लंबी अवधि के लिए देय हैं और उनके उच्च जोखिम शामिल है। प्राप्य राशियों के एकत्रण के हमारे एतिहासिक अनुभाव निम्न ऋण जोखिम को दर्शाते हैं। इसलिए, व्यापार प्राप्यों कों वित्तीय परिसंपत्तियों की एकल श्रेणी माना जाता है।

नीति के अनुसार प्राप्य राशियों को ओवरड्यू अवधि के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकत्रत किया जाता है यथा 6

माह : एक वर्ष से एक वर्ष से अधिक और एक से दो वर्ष।

कंपनी द्वारा प्रचालन किए जाने वाले वातावरण के आधार पर, प्रबंधन विचार करती है कि व्यापार प्राप्य (सरकारी विभागों से प्राप्य राशियों के अतिरिक्त) चूक (ऋण घाटा) के कारण है यदि भुगतान निर्धारित अवधि से अधिक समय के लिए देय हो गया है। इन प्रावधानकर्ता मापदंडों का परिकलन 36 माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया प्राप्यों के अनुपात के आधार पर किया जाता है। तदनुसार, निम्नलिखित दरों का प्रयोग करके ईसीएल के लिए प्रावधान किया जाता है:

| बकेट | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| सरकारी कंपनी | 27.19% | 0.00% |
| समूह कंपनी | 0.00% | 0.00% |
| तीन वर्षों तक के बकाया वाले अन्य पक्ष | 27.19% | 8.73% |
| तीन वर्षों से अधिक के बकाया वाले अन्य पक्ष | 100.00 % | 100.00 % |
| व्यक्तिगत आधार पर विशिष्ट ऋण जोखिम घाटा | 100.00 % | 100.00 % |

संभावित ऋण घाटे के लिए स्वीकृति संचलन निम्नानुसार है:

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 का |
|---|---|---|
| **वर्ष के आरंभ में शेष** | **521.93** | **436.26** |
| ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि वाले व्यापार प्राप्यों को स्वीकृति | 436.82 | 85.67 |
| व्यक्तिगत आधार पर विशिष्ट ऋण जोखिम घाटा | - | - |
| **वर्ष के अंत में शेष** | **958.75** | **521.93** |

## कंपनी ने इंड एएस–109 ''वित्तीय इंस्ट्रूमेंट'' की अपेक्षाओं के अनुसार प्रावधान मेट्रिक्स का प्रयोग करते हुए वित्तीय परिसंपत्तियों (व्यापार और अन्य संविदागत प्राप्यों) के लिए प्रावधान नहीं किए गए हैं। वर्ष के दौरान, कंपनी ने 958.75 मिलियन रूपए (पिछले वर्ष 521.93 मिलियन रूपए) की राशि के समूह कंपनियों से इतर के पक्षों से व्यापार एवं अन्य संविदागत प्राप्य राशियों के लिए सरलीकृत परिदृश्य का प्रयोग करके 31 मार्च 2021 को संभावित ऋण घाटे के संचयी प्रभावों का परिकलन किया है। कंपनी ने समूह कंपनियों से प्राप्य राशियों के संबंध में शून्य ऋण घाटे की संभावना की है।

कंपनी कोविड–19 वैश्विक महामारी के मद्देजनर प्राप्य राशियों की पुनर्प्राप्ति का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में है। इस प्रकार के विश्लेषण के होने तक, इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तिथि के अनुसार कंपनी के वित्तीय विवरण ों पर कोविड–19 के प्रभाव का निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

(ii) **नकदी जोखिम प्रबंधन**

नकदी जोखिम वह जोखिम होता है जो कंपनी को अपनी वित्तीय देयताओं को पूरा करने में सामने आता है और जिसे नकद या अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रदायगी द्वारा निपटाया जाना होता है,

कंपनी का दृष्टिकोण कंपनी को गैर जरूरी हानि के बिना और कंपनी की साख को नुकसान पहुंचाए बिना सामान्य और दबाव दोनों ही परिस्थितियों में देय होने पर अपनी देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी रखना है।

कंपनी का विश्वास है कि कुल नकद (बैंक जमा लियन सहित और इस पर भारित ब्याज जो देय न हो), प्रचालनों से

सृजित निधि के आंतरिक भावी अनुमान और इसके पूर्ण उपलब्ध आहरित न किए गए रिवाल्विंग ऋण सुविधा शून्य (31 मार्च 2020 शून्य रूपए) सहित इसकी वित्तीय स्थिति कंपनी को कारोबार के सामान्य क्रम में इसकी भावी ज्ञात देयताओं को पूरा करने में समर्थ बनाएगी। तथापि, यदि नकदी आवश्यकता उत्पन्न होती है तो कंपनी को भरोसा है कि वह वित्तीय व्यवस्थाओं, भारमुक्त परिसंपत्तियो के मूल्य प्राप्त करके चालू पूंजी, प्रचालन और नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने मे समर्थ होगी।

प्रबंधन की निगरानी के अधीन कंपनी की नकदी प्रबंधन प्रक्रिया निम्नानुसार हैः

– भावी नकदी प्रवाह की निगरानी से दैनिक वित्तपोषण का प्रबंध करना ताकि आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

– अनुमानिक नकदी प्रवाह के आधार पर कंपनी की नकदी स्थिति के रोलिंग अनुमान को बनाए रखना।

– विविध ऋण लाइनों को बनाए रखना।

रिपोर्टिंग तिथि को वित्तीय देयताओं की शेष संविदागत परिपक्वता राशियां निम्नानुसार हैं। संविदागत परिपक्वता पूर्ववर्ती तिथि पर आधारित है, जिस तिथि को कंपनी द्वारा इसका भुगतान अपेक्षित है।

**नकदी जोखिम प्रभाव**

**31 मार्च 2021 को**

**मिलियन रूपए में**

| **विवरण** | **प्रतिधारण राशि** | **संविदागत नकदी प्रवाह** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **1 वर्ष तक** | **1–5 वर्ष** | **5 वर्ष से अधिक** | **कुल** |
| **वित्तीय परिसंपर्तियां** | | | | | |
| **चालू** | | | | | |
| **व्यापार प्राप्य** | 3680.65 | 3680.65 | - | - | 3680.65 |
| नकद और नकद समतुल्य तथा अन्य बैंक शेष | 45.17 | 45.17 | - | - | 45.17 |
| अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां | 57.54 | 57.54 | - | - | 57.54 |
| **वित्तीय देयताएं** | | | | | |
| **गैर चालू** | | | | | |
| अन्य वित्तीय देयताएं | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.1 |
| **चालू** | | | | | |
| व्यापार प्राप्य | 1066.29 | 1066.29 | - | - | 1066.29 |
| अन्य वित्तीय देयताएं | 1632.20 | 1632.20 | - | - | 1632.20 |

**31 मार्च 2020 को**

**मिलियन रूपए में**

| विवरण | प्रतिधारण राशि | संविदागत नकदी प्रवाह | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 वर्ष तक | 1–5 वर्ष | 5 वर्ष से अधिक | कुल |
| **वित्तीय परिसंपतियां** | | | | | |
| **चालू** | | | | | |
| **व्यापार प्राप्य** | 5,543.04 | 5,543.04 | - | - | **5,543.04** |
| नकद और नकद समतुल्य तथा अन्य बैंक शेष | 162.52 | 162.52 | - | - | **162.52** |
| अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां | 76.85 | 76.85 | - | - | **76.85** |
| **वित्तीय देयताएं** | | | | | |
| **गैर चालू** | | | | | |
| अन्य वित्तीय देयताएं | 0.11 | 0.11 | - | - | **0.11** |
| **चालू** | | | | | |
| व्यापार प्राप्य | 846.20 | 846.20 | - | - | **846.20** |
| अन्य वित्तीय देयताएं | 2,140.21 | 2,140.21 | - | - | **2,140.21** |

(iii) **बाजार जोखिम**

बाजार जोखिम वह जोखिम है जिसमें बाजार कीमतों में परिवर्तन के कारण वित्तीय लिखत का उचित मूल्य और नकदी प्रवाह का मान उपर नीचे होता है। बाजार जोखिम में दो प्रकार के जोखिम शामिल होते हैं यथा मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य प्रतिफल को अधिकतम बनाकर स्वीकार्य पैरामीटरों के भीतर बाजार जोखिम प्रभाव को प्रबंधित करना और नियंत्रित करना है।

**क. ब्याज दर जोखिम**

ब्याज दर का जोखिम वह जोखिम है जिसमें बाजार कीमतों में परिवर्तन के कारण वित्तीय लिखत के भावी नकदी प्रवाह का मूल्य उपर नीचे होता है। कंपनी ने कोई उधार नहीं लिया है।

**ख. मुद्रा जोखिम**

मुद्रा जोखिम वह जोखिम है जिसमें विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण वित्तीय लिखत के भावी नकदी प्रवाह का मूल्य उपर नीचे होता है। कंपनी की वित्तीय स्थिति और नकदी प्रवाह पर मौजूदा विदेशी मुद्रा दरों में उतार चढ़ाव के प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव तब उत्पन्न होता है जब प्रचालन मुद्रा और कंपनी के प्रचालन, निवेश और वित्तपोषण कार्यकलापों से प्राप्त अन्य मुद्रा के बीच विनिमय दरों में उतार–चढाव होता है।

**विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रभाव**

31 मार्च, 2021 और 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार मुद्रा जोखिम का कंपनी पर प्रभाव के बारे में परिणामात्क डाटा का सारांश भारतीय रूपए में नीचे दिया गया हैः

**आंकड़े मिलियन में**

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | | | 31 मार्च 2020 को | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | यूएसडी | भारतीय रू. | कुल | यूएसडी | भारतीय रू. | कुल |
| **वित्तीय परिसंपत्तियां** | - | - | - | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| व्यापार प्राप्य | 455.25 | 3225.40 | 3680.65 | 298.87 | 5244.17 | 5543.04 |
| नकद एवं नकद समतुल्य तथा बैंक शेष | 12.59 | 32.58 | 45.17 | 44.63 | 117.89 | 162.52 |
| अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां | - | 57.54 | 57.54 | - | 76.85 | 76.85 |
| **कुल वित्तीय परिसंपत्तियां** | **467.84** | **3315.52** | **3783.36** | **343.50** | **5438.91** | **5782.41** |
| **वित्तीय देयताएं** | | | | | | |
| गैर चालू | | | | | | |
| अन्य वित्तीय देयताएं | - | 0.11 | 0.11 | - | 0.11 | 0.11 |
| चालू | | | | | | |
| व्यापार प्राप्य | - | 1066.29 | 1066.29 | - | 846.20 | 846.20 |
| अन्य वित्तीय देयताएं | 44.70 | 1587.50 | 1632.20 | 895.73 | 1244.48 | 2,140.21 |
| **कुल वित्तीय देयताएं** | **44.70** | **2653.90** | **2,698.60** | **895.73** | **2090.79** | **2,986.52** |

**संवेदी विश्लेषण**

निम्नलिखित तालिका संगत विदेशी मुद्राओं के प्रति भारतीय रूपए में 5 प्रतिशत वृद्धि और कमी के लिए कंपनी की संवेदी विश्लेषण का ब्यौरा प्रस्तुत करती है। 5 प्रतिशत की संवेदी दर का प्रयोग तब किया जाता है, प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को विदेशी मुद्रा जोखिम रिपोर्ट किया जाता है और विदेशी विनिमय दरों में युक्तिसंगत स्तर तक संभव परिवर्तन के प्रबंधन आकलन को दर्शाते हैं। संवेदी विश्लेषण में केवल वे बकाया विदेशी मुद्रा शामिल हैं जो मौद्रिक मदों को दर्शाती हैं और सभी अन्य परिवर्ती कारकों के स्थिर रहते हुए विदेशी मुद्रा दरों में 5 प्रतिशत परिवर्तन के लिए वर्ष के अंत में उनके अंतरण को समायोजित करते हैं। एक घनात्मक संख्या लाभ या इक्विटी में वृद्धि को दर्शाती है, जहां भारतीय रूपए संगत मुद्रा की तुलना में 5 प्रतिशत कम हो जाता है। संगत मुद्रा की तुलना में भारतीय रूपए में 5 प्रतिशत की कमी के लिए, लाभ या इक्विटी में तुलनात्मक प्रभाव पड़ता है, और इससे कम शेष ऋणात्मक होता है।

**रूपए मिलियन में**

| **विवरण** | **वृद्धि** | | **(कमी)** | |
|---|---|---|---|---|
| | **31 मार्च 2021 को** | **31 मार्च 2020 को** | **31 मार्च 2021 को** | **31 मार्च 2020 को** |
| प्राप्य राशि | | | | |
| यूएसडी/रू. | 83.31 | 114.26 | (83.31) | (114.26) |
| देय राशि | | | | |
| यूएसडी/रू | (2.23) | (44.79) | 2.23 | 44.79 |

**50. इंड एएस 115 – ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व**

| **विवरण** | **31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु (मिलियम में)** | **31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु (मिलियम में)** |
|---|---|---|
| ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व | 2,892.50 | 6081.23 |
| अन्य प्रचालनिक राजस्व | 448.65 | 880.33 |
| **प्रचालनों से कुल राजस्व** | 3341.15 | 6961.56 |
| **राजस्व स्वीकृति का समय** | | |
| समय बिंदु पर | 3341.15 | 6961.56 |

| | | |
|---|---|---|
| **प्रचालनों से कुल राजस्व** | 3341.15 | 6961.56 |

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| व्यापार प्राप्य (संदर्भ नोट 8) | 3,680.65 | 5543.04 |
| **संविदा देयता** | | |
| ग्राहकों से अग्रिम | | |
| आरंभिक | 0.57 | 0.44 |
| वर्ष के दौरान स्वीकृत राजस्व | - | |
| वर्ष के दौरान संवर्धन | - | 0.13 |
| अंतिम शेष (संदर्भ नोट सं. 16 व 18) | 0.57 | 0.57 |

**51.** हम वित्तीय विवरणों के नोट सं. 24 का संदर्भ लेते हैं, जहां पूर्व अवधि के निर्धारित आंकड़ों को आवश्यक शुद्धयों के समायोजन हेतु पुनःनिर्धारित किया गया है। तथापि, कुछ त्रुटियों की अवधि विशिष्ट प्रभावों को निर्धारित करने की अव्यवहारिकता के कारण, कंपनी ने चालू वर्ष के आरंभिक शेष में संचयी प्रभाव दिया है। इसलिए, पिछले वर्ष की प्रस्तुत किए गए वित्तीय आंकड़े विशुद्ध रूप से तुलनीय नहीं हैं।

**52. इंड एएस–116 : पट्टा देयता के लिए हवाईअड्डे स्थानों पर विचार न किए जाने पर स्पष्टीकरण नोट।**

(क) इंड एएस 116 के तहत उपलब्ध स्वीकृति छूट के अनुसरण में, अल्प अवधि के पट्टे, कम मूल्य की संपत्ति और उन परिसंपत्तियों, जो पिछले इंड एएस 17 के तहत कवर नहीं किए गए थे, के संबंध में कंपनी ने इंड एएस 116 के कार्यान्वयन के लिए समान छूट का लाभ प्राप्त किया है।

(ख) विभिन्न वाणिज्यिक परिसरों के लिए अन्य पट्टों के संबंध में, (खरीद/नवीनीकरण के विकल्प के साथ, लेकिन उसके टाइटल को अंततः स्थानांतरित किया या नहीं किया जा सकता हैं) जो कि विभिन्न स्थानों/स्टेशनों/क्षेत्रों में फैले हुए हैं, के संबंध में समयपूर्व समापन का प्रावधान है, जहां किसी भी पक्ष द्वारा 90 दिनों की नोटिस अवधि प्रदान करके इसे रद्द किया जा सकता है।

इनका मूल्यांकन लंबित रहने पर कंपनी ने अल्पावधि के पट्टों, कम मूल्य की परिसंपत्तियों और उन परिसंपत्तियों के संबंध में इंड एएस 116 के तहत आरओयू के रूप में विचार नहीं किया है, जो पिछली इंडएएस–17 के तहत कवर नहीं की गई थीं। कंपनी ने नई इंडएएस 116 के कार्यान्वयन के लिए समान छूट प्राप्त की है।

**53. वित्तीय विवरणों पर कोविड का प्रभाव**

कोविड–19 वैश्विक महामारी के वैश्विक प्रकोप और दिनांक 25 मार्च 2020 से लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन और इसके बाद केंद्रीय/राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए लॉकडाउन/प्रतिबंधों में कई विस्तारों का विमानन उद्योग पर व्यापक प्रभाव पड़ा। दुनिया के अलग–अलग हिस्सों में भी इसी तरह के लॉकडाउन लगाए गए, जिससे कंपनी के कारोबार पर गहरा असर पड़ा। एअर इंडिया समूह की कंपनियों और ग्राहक एयरलाइनों को महामारी के बाद नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में सभी निर्धारित घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रचालन बंद करने पड़े।

इस अवधि के दौरान कंपनी की वित्तीय गिरावट के दौरान हवाई यातायात का निलंबन और साथ ही, इस अवधि के दौरान वेतन और अन्य व्यय को पूरा करना पड़ा, जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति में और गिरावट आई।

कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित होने वाली परिसंपत्तियों, दरसूचियों, प्राप्तियों आदि के वहन मूल्य में कमी पर कोविड–19 के प्रभाव का भी आकलन किया है। महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक परिस्थितियों में भविष्य की अनिश्चितताओं से संबंधित मान्यताओं और अनुमानों को निर्धारित करने में, कंपनी ने विभिन्न आंतरिक और बाहरी सूचना स्रोतों पर विश्वास किया है। भविष्य की आर्थिक परिस्थितियों के वर्तमान संकेतकों के आधार पर, प्रबंधन को आशा है कि वह अपनी सभी

परिसंपत्तियों के वहन मूल्य को पूरी तरह से वसूल कर लेगी। तथापि, इन अनिश्चितताओं को देखते हुए, कंपनी के वित्तीय विवरणों और रोकड़ प्रवाह पर अंतिम प्रभाव का पूर्वानुमान इस समय नहीं की जा सकता है और भविष्य यह प्रभाव इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तिथि से भिन्न हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रभाव का आकलन निरंतर आधार पर प्रचालनरत रहने के लिए कंपनी की क्षमता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है।

कंपनी कोविड अवधि के दौरान भारत के विभिन्न भागों में आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति करने वाली विभिन्न उड़ानों की व्यवस्था द्वारा प्रचालन और संभलाई का कार्य कर रही थी तथा इसके अतिरिक्त चार्टर उड़ानों को ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं, उपकरणों का ऋण प्रदान करने आदि का कार्य भी कर रही थी।

## 54. कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन

दिनांक 24 मार्च, 2021 को, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (''एमसीए'') ने एक अधिसूचना के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–।।। में संशोधन किया। इस संशोधन के अंतर्गत अनुसूची–।।। के खंड–।, ।। और ।।। को संशोधित किया गया और यह दिनांक 1.04.2021 से लागू होते हैं। खंड–।। से संबंधित प्रमुख संशोधन जो उन कंपनियों से संबंधित हैं, जिनके वित्तीय विवरण कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 का पालन करने के लिए आवश्यक हैं:

**तुलन पत्र :**

- पट्टा देनदारियों को 'वित्तीय देनदारियों' शीर्ष के तहत अलग से प्रकट किया जाना चाहिए, जो विधिवत रूप से चालू या गैर–चालू के रूप में उल्लिखित हैं।
- इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में कुछ अतिरिक्त प्रकटन जैसे कि पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन और वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में शेष राशि।
- प्रमोटरों की शेयरधारिता के प्रकटीकरण के लिए विनिर्दिष्ट प्रारूप।
- व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, प्रगतिरत पूंजीगत काय और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति की आयु अनुसूचन के लिए विनिर्दिष्ट प्रारूप।
- यदि किसी कंपनी ने उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए धन का उपयोग नहीं किया है, जिसके लिए उसे बैंकों और वित्तीय संस्थानों से उधार लिया गया था, तो इसका उपयोग कहां किया गया है, इसके विवरण का प्रकटन।
- 'अतिरिक्त विनियामक अपेक्षा' के तहत विशिष्ट प्रकटीकरण जैसे व्यवस्था की अनुमोदित योजनाओं का अनुपालन, कंपनियों की श्रृंखला की संख्या का अनुपालन, कंपनी के नाम पर अचल संपत्ति के शीर्षक विलेख, प्रमोटरों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों (केएमपी) और संबंधित पक्षों को ऋण और बेनामी संपत्ति का विवरण आदि।

**लाभ और हानि का विवरण:**

- कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर), अप्रकट आय और क्रिप्टो या वर्चुअल करेंसी से संबंधित अतिरिक्त प्रकटन, जो अलग–अलग वित्तीय विवरणों के भाग संबंधी नोटों में 'अतिरिक्त सूचना' शीर्ष के तहत विनिर्दिष्ट हैं।

ये संशोधन गहन हैं और विधि द्वारा यथापेक्षित इन्हें लागू करने के लिए कंपनी इनके प्रभाव का मूल्यांकन करेगी।

## 55 नए और संशोधित भारतीय लेखा मानकों (इंडएएस) की प्रयोज्यता:

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (''एमसीए'') ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2020 और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) दूसरे संशोधन नियमों के माध्यम से निम्नलिखित प्रमुख संशोधनों और नए लेखांकन मानकों को अधिसूचित किया है, जो दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से लागू हो गए हैं।

**इंड एएस 116–पट्टे**

यह संशोधन कोविड–19 के कारण किराए की रियायतों के लिए लेखांकन प्रक्रिया को स्पष्ट और निर्धारित करते हैं कि इसे

पट्टा संशोधन माना जाए या नहीं।

**इंड एएस 1 – वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति / इंड एएस 8 – लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन**

यह संशोधन ''सामग्री'' की परिभाषा प्रदान करता है।

**इंड एएस 10 – रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं**

संशोधन ''गैर–समायोजन घटनाओं'' की परिभाषा और इसे लागू करने की प्रभावी तिथि प्रदान करता है।

**इंड एएस 34–अंतरित वित्तीय रिपोर्टिंग**

यह संशोधन विभिन्न इंड एएस संशोधनों के परिणामी प्रभावों को स्पष्ट करते हैं।

**इंड एएस 37– प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां**

यह संशोधन विभिन्न उद्योगों में संशोधनों के परिणामी प्रभावों और उनकी संरचना योजना के लेखांकन को स्पष्ट करते हैं।

इंड एएस/मौजूदा इंड एएस में संशोधन जारी किन्तु अप्रभावीः

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (''एमसीए'') नए मानक या मौजूदा मानकों में संशोधन को अधिसूचित करता है। ऐसी कोई अधिसूचना नहीं है जो दिनांक 1 अप्रैल, 2020 से लागू होती।

**हमारी संलग्न समतिथिक रिपोर्ट के अनुसार निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से**

| | | |
|---|---|---|
| **कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी**<br>**सनदी लेखाकार**<br>**फर्म पंजीकरण सं. 109574डब्ल्यू** | **राजीव बंसल**<br>**अध्यक्ष**<br>**डिनः 00245460** | **विमलेन्द्र आनन्द पटवर्धन**<br>**निदेशक**<br>**डिनः 08701559** |
| **विपुल के.चोकसी**<br>**साझेदार**<br>**स.सं: 037606**<br>**यूडीआईएन** 21037606AAAACO2003 | **राजेश नारायण**<br>**मुख्य वित्त अधिकारी** | **रामबाबु सी.एच.**<br>**मुख्य कार्यपालक अधिकारी** |
| **स्थान : दिल्ली/मुंबई**<br>**दिनांकः 13 सितंबर, 2021** | **श्रीमती शशी भदूला**<br>**कंपनी सचिव** | |